

दुनिया के विधान

लेखक

डा० पद्मि सीतारामैय्या

अनुवादक

नवीन नारायण अग्रवाल

शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी लि०

आगरा

प्रकाशक
शिवलाल अमवाल एन्ड कम्पनी लि०
होस्पिटल रोड, आगरा ।

प्रथमवार अगस्त १९४८
मूल्य छत्ते तीन रुपया

मुद्रक
भारतीय-प्रिंटिंग-वर्कर्स,
लखनऊ ।

प्रस्तावना

इस प्रप के द्वितीय संस्करण को निकालने के लिये न छे कोई व्याख्या देने की आवश्यकता है और न सम-प्रार्थना की। प्रथम संस्करण का विश्वविद्यालयों के छात्रों में अचाना स्वागत हुआ। प्रस्तुत संस्करण उन पाठनीयों के लिए, जिनकी दिलचस्पी इस समय देश में होमे वाले परिवर्तनों के कारण विधान निर्माण काय में बहुत बढ़ गई है।

सभी तथ्यों और आंकड़ों को प्रोफेसर इन्द्रचंद्र शर्मा, बी० ए० बी० काठेय, लाहौर के सौजन्य से संशोधित कर दिया गया है। मैं इस कठिन काम को सम्पादन करने के लिये उन्हें कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। फिर भी, इन पृष्ठों द्वारा मैं वास्तव-निर्मात्री परिपद के सदस्यों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का दावा नहीं करता। किंतु मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में एक ही नज़र में, विधान निर्माण संबंधी विभिन्न देशों की सारी बातों का पता चल जायेगा। साथ में यह भी कह दूँ कि इस (द्वितीय) संस्करण का प्रकाशन केवल इंडियन बुक कम्पनी, लाहौर की आर्थिक सहायता के कारण ही हुआ है।

नई दिल्ली
१-१०-१९४४

}

पी० पद्मामि सीतारामैया

विषय सूची

१ क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन विधान

१—आम्बरसेरब	१
२—केनेडा	२
३—मास्ट्रे शिवा	३
४—दक्षिणी अफ्रीका	४
५—न्यूजीलैण्ड	५
६—फ्रांस	६
७—स्विट्जरलैण्ड	७
८—जर्मनी	८
९—स्वाबो, फोटो, तथा सर्वो का राज्य	९
१०—रुस	१०
११—अमेरिका का समुक्त राष्ट्र	११
१२—पोलिश प्रजातंत्र	१२
१३—जैकोबोवाक्रिया	१३
१४—आस्ट्रिया	१४
१५—स्वीडन	१५
१६—नार्वे	१६
१७—येरपोनिया	१७
१८—डनमार्क	१८
१९—स्पेन	१९
२०—बेल्जियम	२०
२१—जापान	२१
२२—डेनमार्क	२२
२३—ग्रेटब्रिटेन	२३
२४—इटली	२४

२ कैबिनेट व केन्द्रीय सरकार

१—आयरलैंड	---	---	---	२०
२—डेनेडा	---	---	---	२८
३—आस्ट्रेलिया	---	---	---	२८
४—फ्रान्स	---	---	---	२४
५—इचिबी आफ्रीका	---	---	---	२०
६—जर्मनी	---	---	---	२०
७—स्विटजरलैंड	---	---	---	२१
८—अमेरिका का संयुक्त राज्य	---	---	---	२२
९—सोवियत संघ	---	---	---	२३
१०—आस्ट्रिया	---	---	---	२४
११—बेल्जियम	---	---	---	२४
१२—स्वीडन	---	---	---	२६
१३—मार्से	---	---	---	२७
१४—पोलैंड	---	---	---	२७
१५—स्पेन	---	---	---	२७
१६—बेल्जियम	---	---	---	२८
१७—इंग्लैंड	---	---	---	२८
१८—डेनमार्क	---	---	---	४०
१९—जापान ✓	---	---	---	४१
२०—इटली	---	---	---	४२

३ निषला भवन

१—आयरलैंड	---	---	---	४३
२—डेनेडा	---	---	---	४४
३—आस्ट्रेलिया	---	---	---	४४
४—इचिबी आफ्रीका	---	---	---	४४
५—न्यूजीलैंड	---	---	---	४४
६—स्विटजरलैंड	---	---	---	४८

✓ ८—स्विट्ज़रलैंड	८१
✓ ९—सोवियत कृत				८२
१०—स्लावो क्रोयें तथा सर्बों का राज्य				८३
✓ ११—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र				८७
१२—बेकोस्लोवाकिया	८६
१३—पोलिश प्रजासत्त्व	९०
१४—रबीडन	९१
१५—नाबें	९१
१६—आस्ट्रिया	९२
✓ १७—इ गार्सेड	९३
१८—डेन्मार्क	९५
१९—नेदरलैंड	९६
२०—इटली	९८
२१—जापान	९९
२२—मेक्सिको	१००

५—प्रान्त और न्यायालय

१—आयरलैंड	१०३
२—कैनेडा	१०४
३—आस्ट्रेलिया	१०५
४—न्यूजीलैंड	१०७
५—ब्राज़ील की प्रजासत्ता	१०८
✓ ६—फ्रान्स	१०९
७—स्विट्ज़रलैंड	११
✓ ८—जर्मनी	११२
✓ ९—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र	११२
✓ १०— " " " "	११३
११—बेकोस्लोवाकिया	११६
१२—स्लावो, क्रोयें तथा सर्बों का राज्य	११७
१३—पोलिश प्रजासत्त्व	११९

१४—स्वीडन	११८
१५—आस्ट्रिया	११९
१६—नार्वे	१२१
✓ १७—इंग्लैण्ड	१२१
१८—बेल्जियम	..	---	१२३
१९—जापान	१२४
२०—एस्पोनिया	...	---	१२५
२१—डेनमार्क	१२६
२२—इटली	..	---	१२६
२३—मैक्सिको	१२७

६—आधार भूत अधिकार व स्थानीय सरकार

१—आयरलैण्ड	१२८
२—आस्ट्रेलिया	१२९
३—कनेडा	१२९
४—दक्षिणी अफ्रीका	१२९
५—स्पेन	..	---	१३१
✓ ६—फ्रांस	१३१
७—स्विट्जरलैण्ड	..	---	१३३
८—जर्मनी	१३४
✓ ९—लिविंग स्टोन	..	---	१३५
१०—ब्रिटेन	...	---	१३७
✓ ११—अमेरिका का संघराज्य	...	---	१३७
१२—पोलिश प्रजासत्त	..	---	१३९
१३—स्वीडन	..	---	१४०
१४—नार्वे	...	---	१४०
१५—आस्ट्रिया	..	---	१४१
१६—स्लावो स्लोवाकिया व सर्बिया का राज्य	..	---	१४२
१७—एस्पोनिया	...	---	१४३
✓ १८—इंग्लैण्ड	..	---	१४३

१८—वेस्विजियम	...	१४३
२०—स्पेन		१४४
२१—डेनमार्क	..	१४५
२२—इटली	...	१४६
२३—जापान	...	१४६
२४—मैक्सिको	...	१४८

७ राज्य और उद्योग तथा शासन विधान में परिवर्तन

१—आबर्लेण्ड	१४०
२—कैनेडा	..			१४१
३—आस्ट्रेलिया	...			१४१
४—दक्षिणी अफ्रीका	१४१
५—न्यूजीलैण्ड	१४२
६—फ्रांस	१४२
७—स्विट्जरलैण्ड			..	१४३
८—बर्मी	१४३
९—सोवियतसंघ		१४४
१०—चेकोस्लोवाकिया				१४४
११—पोलिश प्रजातंत्र	१४४
१२—अमेरिका का संयुक्तसंघ			..	१४५
१३—स्वानो, लर्थो, क्रोटो का राज्य				१४६
१४—स्वीडन		१४७
१५—नार्वे	१४७
१६—आस्ट्रिया				१४८
१७—हंगरी			...	१४८
१८—बेल्जियम		१४८
१९—डेनमार्क	१४९
२०—डेनिश			..	१४९

८—कुछ अन्य बातें

१—आयरलैंड				
२—कैनाडा	..			
३—आस्ट्रेलिया				१५३
४—दक्षिणी अफ्रीका	..	---		१५३
✓ ५—फ्रांस	..	---		१५४
६—न्यूजीलैंड	...			१५५
७—जेडोस्तोवाकिया	..	---	---	१५५
८—स्विट्जरलैंड			---	१५६
✓ ९—जर्मनी		..	---	१५७
✓ १०—सोवियत रूस	---	१५७
✓ ११—अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र		---	---	१५८
१२—स्वीडन		---		१५९
१३—एरपोनिया		---	---	१६०
१४—आस्ट्रिया		..	---	१६१
१५—बेल्जियम	..		---	१६१
१६—नार्वे		---	---	१६१
✓ १७—डैंगलैंड	..		---	१६१
		..	---	१६४
			---	१६४

९—यू० एच० एच० आर० (सोवियत रूस)

१—सामाजिक संगठन	...	---	---	१७७
२—राज्य संगठन	---	१८०
३—समाजवादी सोवियत प्रजातन्त्रों के संघ की राज्य तथा के सर्वोच्च विभाग			---	१८१
४—संघ के प्रजातन्त्रों की राज्य तथा के सर्वोच्च विभाग			---	१८८
५—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ व शासन के अंग			---	१८९
६—संघ के प्रजातन्त्रों के शासन के अंग			---	१९१
७—सुदूर पूर्वतः सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्य तथा के सर्वोच्च अंग			---	१९५

८—राज्य सत्ता के स्थानीय अंग	१९६
९—स्वायत्तता और अभिव्यक्ति	१९७
१०—नागरिकों के मूल अधिकार और अधिकारधर्म	१९८
११—सुनाम परिपत्ति	२०१
१२—विद्वेषवाद, राजधानी	२०४



३ १ ३

क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन विधान

३ १ ३

आयरलैंड

क्षेत्रफल २७,११७ वर्ग मील।

शासन विधान ५ दिसम्बर १९१७ की तन्त्रि के अंतर्गत बनाया गया, १९१७ ई में उसका संशोधन हुआ, नवीन शासन विधान को जनता ने जनमत-संग्रह (Plebiscite) के परभाव स्वीकार किया।

एकारमक (स्वतंत्र राज्य)

उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्त का कठोरता से पालन।

जनसंख्या २६,१५,००

प्रेसीडेंट का चुनाव जनता सात वर्ष के लिये करती है।

वेतन १०,०० पौण्ड प्रति वर्ष।

यह 'काउन्सिल ऑफ स्टेट' के परामर्श पर किसी बिल को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। यह उपरोक्त न्यायालय उस अवधि पोषित कर दे, तो वह बिल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर सकता है। यदि व्यवस्थापिका सभा के नियुक्त मन्त्र के एक तिहाई सदस्य और सीनेट का बहुमत प्रेसीडेंट से बिल को अस्वीकार कर देने की प्रार्थना करे, तो वह उस बिल को जनमत-निर्णय (Referendum) के लिये भेज सकता है या उस बिल के प्रश्न पर आम चुनाव करा सकता है। तात्पर्य तथा वह मन्त्रियों के परामर्श पर कार्य करता है, किंतु कुछ विषयों में 'काउन्सिल ऑफ स्टेट' की राय ले सकता है।

८—राज्य सभा के स्थानीय अंग	---	--	१८५
९—स्वायत्त और अधियोग	--		१८७
१०—नागरिकों के मूल अधिकार और उत्तरदायित्व			१८६
११—चुनाव परिषदी	---		२०१
१२-- बिह्व ध्वजा, राजधानी	---		२०४

(शेष अधिकार' संघ की इकाइयों को मिले हुए हैं) संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के ढंग पर बना है, किन्तु थोड़ा अन्तर है।

गवर्नर-जनरल को सम्राट् आस्ट्रेलिया के मंत्रिमंडल के परामर्श पर नियुक्त करता है।

बैठन १०,००० पाँच प्रति वर्ष।

सरकार का वैधानिक प्रधान है। सम्पूर्ण शासन-कार्य चलाता है।

विरोध अवस्था में पार्लियामेंट के निचले मंचन को मग करने का उसे अधिकार है और कुछ अन्य अवस्थाओं में धारा-सभा के दोनों मंचनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

कानूनों को पार्लियामेंट के पास अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिये वापिस कर सकता है, अथवा सम्राट् की स्वीकृति के लिये उन्हें रत्न सकता है। यह स्वीकृति एक वर्ष के अन्तर मिल जानी चाहिए। १९११ ई. के वेल्थमिस्टर स्टैच्यूट (Statute of 1931), के पास हो जाने के पश्चात् से पार्लियामेंट के अधिकारों पर से यह रोक हट गई है।

४

दक्षिणी अफ्रीका

क्षेत्रफल ४,७२,५५० वर्ग मील।

जनसंख्या ६६,८०,०००।

२०-६-१९ ई. का सत्रय अफ्रीका एक्ट।

केपटाउन—पार्लियामेंट के अधिवेशनों का स्थान।

१—शेष अधिकार (Residuary powers) उन अधिकारों को कहते हैं जिन्हा विधान में यह उल्लेख नहीं होता कि वे किसके पास रहेंगे।

२—वैधानिक प्रधान (Constitutional Head) का तात्पर्य यह है कि वह केवल दिखावे मर का प्रधान होता है। वास्तव में उसके पास कोई शक्त नहीं होती। वास्तविक अधिकार मंत्रिमंडल को प्राप्त होते हैं।

कैनेडा

क्षेत्रफल ११,६४,८११ वर्ग मील।

जनसंख्या १,१०,१२,०००।

ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक्ट, १८६७, और उसमें किये गये म्यारर संशोधनों के अंतर्गत शासन होता है। पर इन्हीं पर वर्तमान कैनेडा का शासन-विधान सम्पूर्णतः आधारित नहीं है।

कैनेडा की संघ सरकार में गवर्नर-जनरल सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। वह राजा द्वारा कैनेडा के संविधान के परामर्श तथा स्वीकृति पर नियुक्त किया जाता है।

सरकार का बजटिक प्रबान है। संघ के किसी विध को सम्राट की स्वीकृति के लिये रख सकता है। वह स्वीकृति जब कैनेडा के संविधान के परामर्श पर ही जाती है।

१९२६ ई० के बाद से यदि प्रबान मंत्री पार्लियामेंट मय करने की माँग करे तो वह इन्कार नहीं कर सकता।

उसे उन शासक्य एजेण्डों तथा राज्यों को नियुक्त करने तथा मिलाने का अधिकार है किन्तु सम्राट या राजा सीमा नियुक्त नहीं करता या नहीं मिलता। कैनेडा तथा अन्य देशों के बीच ऐसी छोटी-मोटी सन्धियाँ कर सकता है किन पर सम्राट सीधे इत्याकर नहीं करता।

आस्ट्रेलिया

क्षेत्रफल २६,७४,४८१ वर्ग मील।

जनसंख्या १६,६७,०००।

शासन विधान १६०० ई में बना।

(शेष अधिकार' संघ की इकाइयों को मिले हुए हैं) संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका के ढंग पर बना है किन्तु बड़ा अन्तर है।

गवर्नर-जनरल को सम्राट् ब्राज़ीलिया के मंत्रिमंडल के परामर्श पर नियुक्त करता है।

बेठन १०,००० पीठ प्रति वर्ष।

सरकार का नैदानिक' प्रधान है। सम्पूर्ण शासन-कार्य चलाता है।

विशेष व्यवस्था में पार्लियामेंट के निचले भवन को मग करने का उसे अधिकार है और कुछ अन्य व्यवस्थाओं में बारा-समा के दोनों मयनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।

कानूनों को पार्लियामेंट के पास अपने सुझावों सहित पुनर्विचार के लिये वापिस कर सकता है, अथवा सम्राट् की स्वीकृति के लिये उन्हें रल सकता है। यह स्वीकृति एक वर्ष के अन्दर मिल जानी चाहिए। १९११ ई० के बैल्यमिस्टर स्टैचूट (Statute of 1931), के पास हो जाने के पश्चात् से पार्लियामेंट के अधिकारों पर से यह रोक हट गई है।

४ :

दक्षिणी अफ्रीका

क्षेत्रफल ४,०२,५५० वर्ग मील।

जनसंख्या ९९,८०,०००।

२०-९-१९ ९ का साठव अफ्रीका एक्ट।

रेपट्रान्तन—पार्लियामेंट के अधिकारियों का स्थान।

१—शेष अधिकार (Residuary powers) उन अधिकारों को कहत है किन्हा विधान में यह उल्लेख नहीं होता कि वह किसके पास रहेग।

२—नैदानिक प्रधान (Constitutional Head) का तात्पर्य यह है कि वह कक्षा दिवाये मर का प्रधान होता है। बाल्य में उसके पास कोई शक्त नहीं होती। बालविक अधिकार मंत्रिमंडल को प्राप्त होते हैं।

प्रीवेरिबा—सरकार का स्थान ।

राजा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के परामर्श पर गवर्नर-जनरल को नियुक्त करता है ।

बेतन २०,००० पौंड प्रति वर्ष ।

सरकार का वैधानिक प्रबन्ध है । व्यवस्थापिका सम्राट् मन्त्रों के बीच गति अविरोध हो जाने पर दोनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है ।

पार्लियामेंट द्वारा पास किये गये किसी भी कानून में उद्योग के लिये मुझाब दे सकता है ।

किसी भी कानून को सम्राट् की स्वीकृति के लिये रख सकता है जो एक वर्ष के भीतर ही बानी जायिये ।

: ५ :

न्यूजीलैण्ड

क्षेत्रफल १, १,२१४ वर्गमील ।

जनसंख्या : ११,०४,००० ।

१८४२ का एकद ।

१९०७ में 'डोमीनियन' पद मिला ।

गवर्नर-जनरल को राजा म्यूज़ीसेण्ड सरकार के परामर्श पर नियुक्त करता है ।

बेतन ५००० पौण्ड प्रति वर्ष और २५० पौण्ड का मत्ता ।

गवर्नर-जनरल के बेतन में, और मूल निवासियों के संबंध में शासन विधान द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य में परिवर्तन करने वाला किता सम्राट् की स्वीकृति के लिये रख लिये जाते हैं ।

सरकार का वैधानिक प्रबन्ध है । कैनेडा के समान ही उसके अधिकार हैं ।

फ्रान्स

क्षेत्रफल २,१२,९९६ वर्ग मील ।

जनसंख्या ४,२०,१४, ० ।

१७९१ और १८७० ई के बीच में ११ शासन विधान बने और बिगड़े ।

१८७५ ई का शासन विधान ।*

प्रेसीडेंट

वेतन ११, ०, ०० फ्राँक प्रति वर्ष । इसमें सप्ते मी शामिल हैं ।

नेशनल असेम्बली — पूर्ण बहुमत** द्वारा चुनती है—७ वर्ष की अवधि ।

देशद्रोह के अपराध में कक्ष निघला मगन सार्वजनिक अभियोग लगा सकता है और वेबल सीनेट ही उसकी सुनवाई करके दबदब दे सकता है ।

प्रेसीडेंट को १०० वोटों की सलाही दो जाती है—क्याकि अमेरिकन प्रेसीडेंट को केवल २१ तापा की ।

अधिकार

अनून को पेश करने का अधिकार । व्यवस्थापिका-सभा द्वारा पास हुए बिलों पर पोल्टी अवधि के लिए वीटो** का अधिकार प्राप्त है ।

अनून लागू करता है । सभा प्रदान करने का अधिकार है, किन्तु साम रिहाई अनून द्वारा ही सम्भव है ।

१—सन् १८४६ में नया विधान बन चुका है ।

४—पूर्ण बहुमत से तत्पर्य यह है कि आधे से अधिक वोट पक्ष में हों ।

५—वीटो (Veto) उस विरोधाधिकार को कहते हैं जिनका उपयोग कर राज्य का प्रधान व्यवस्थापिका सभा द्वारा पास किये गये किसी भी अनून को रोक सकता है । पूर्ण वीटो (Absolute veto) का तात्पर्य होता है कि वह अनून अस्वीकृत हो गया और लागू नहीं हो सकता । पोल्टी अवधि के लिए वीटो (Suspensary veto) का तात्पर्य यह है कि अनून लागू होना में देर की जा सकती है, पर अग्य शर्तें पूरी होना पर उस लागू करना होता है ।

राज्य की सैन्य शक्तियों का प्रबन्ध करता है। राज्य के कार्यों में समापत्तिव करता है।

विदेशों के लिए राजदूत नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों से मिलता है।

मसजिदों पर पुनर्विचार के लिए प्रेसीडेन्ट कर सकता है।

यह राज्य की बातचीत करता है।

मंत्रिमंडल के परामर्श पर व्यवस्थापिका समा के निचले मंचन को मंग कर सकता है।

स्थान रिक्त होने पर मेहनत असेम्बली नया चुनाव करती है। नवे चुनाव होमे तक मंत्रिमंडल इन व्यवहारों का उपयोग करता है।

प्रेसीडेन्ट व्यवस्थापिका समा को संघेय भेज सकता है। वे ट्रिबून (मंत्री) द्वारा पड़े जाते हैं जो दोनों मंचनों में आ-जा सकता है।

कानूनों के लिये प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति आवश्यक नहीं किन्तु वह पुनर्विचार के लिए कर (राज्य ही कभी ऐसा किया जाता हो) देरी लगा सकता है।

प्रेसीडेन्ट एक बार में व्यवस्थापिका समा की बैठक एक मात क लिये स्वगित कर सकता है किन्तु एक वर्ष में दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

अमेरिकन प्रेसीडेन्ट न तो कंग्रेस (अमेरिकन व्यवस्थापिका समा) को स्वगित कर सकता है और न मंग ही।

मंत्रिमंडल का प्रधान नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में समापति का वह प्रवच करता है।

६—विधान में सीमेर के परामर्श का उल्लेख है—मंत्रिमंडल के परामर्श का नहीं।

७—इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित मतीत होता है कि प्रेसीडेन्ट के हस्तक्षेप से बचने का उपाय यहाँ के मंत्रिमंडल से कोब ही निकाला। मंत्रिमंडल की बैठकें यहाँ दो प्रकार की होने लगीं। एक तो नियमित किन्तु समापत्तिव प्रेसीडेन्ट स्वयं करता था और दूसरी अनियमित किन्तु समापत्तिव प्रधान-मंत्री करता था।

अपने वैधानिक कार्यों के क्षेत्र में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।

वे अधिकार प्रेसीडेंट स्वयं काम में नहीं ला सकता। शासन-विधान में स्पष्ट निर्देश है कि प्रेसीडेंट के प्रत्येक कार्य पर एक मंत्री के मी इस्ताफ़र आवश्यक हैं। (कान्स्टीट्यूशनल ऑ, २५ धरकरी, १८७५, धारा ३)।

नोट—फ्रांस के पठन क बाद आज़म-समर्पण की सन्धि पर २३ जून, १९४० को इस्ताफ़र हो जान पर तृतीय प्रजातंत्र का अन्त हो गया। नये शासन विधान ने समस्त अधिकार प्रेसीडेंट (मार्शल पैता) को सौंप दिव। १२ जून, १९४४ को तीन कान्स्टीट्यूशनल ऐक्ट पास हुए और पैता ने उन पर इस्ताफ़र किये। १९४४ में फ्रांस क फिर स्वतंत्र होने पर अक्टूबर १९४५ और फिर जून १९४६ में मेरान्द्र ऐसेम्बली के चुनाव हुए। इस समय फ्रांस का नया विधान बन रहा है।

: ७ :

स्विटज़रलैंड

क्षेत्रफल १५,९४४ वर्गमील।

जनसंख्या ४२,१८,००।

२२ कैन्टों के बीच मित्रता की सन्धि के फलस्वरूप।

शेप अधिकार कैन्टों क शिप सुरक्षित।

इन्हीं अनियमित बैठकों में सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार तथा निर्णय होता था। नियमित बैठकें केवल उन्हीं निर्णयों का नियमित रूप देती थीं। वही प्रथा (Convention) १९३७ ई में मंत्रिपरम प्रथा करने के परचाह में समुक्त प्रांत क कांफ़रेंसी मंत्रिमंडल तथा अन्य मंत्रिमंडलों में मी अपना सी क्लिमे गवर्नर के सम्मुख संयुक्त निर्णय रने का मढ़ें।

८—यह अक्टूबर २४६ में बन चुका।

९—यह सन्धि १८४८ ई० में हुई। १८७४ ई में इसमें संशोधन हुआ। उसके परचाह मी उसके अनेक छोट-मोटे परिवर्तन हुए हैं।

राज्य की मुख्य शक्तियों का प्रबन्ध करता है। राज्य के कार्यों में समतत्त्व करता है।

विदेशों के लिए राजदूत नियुक्त करता है और विदेशी राजदूतों से मिलता है।

मसजिदों पर पुनर्विचार के लिए प्रेसीडेंट कह सकता है।

वह मन्त्रियों की शक्तों को चलाता है।

मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर व्यवस्थापिका समा के निचले मकान को भंग कर सकता है।

रखान रिक्त होने पर गैरनसब असेम्बली नया चुनाव करती है। नये चुनाव होने तक मन्त्रिमण्डल इन अधिकारों का उपयोग करता है।

प्रेसीडेंट व्यवस्थापिका समा को संदेश भेज सकता है। वे कृपण (भंगी) द्वारा पढ़े जाते हैं जो दोनों मकानों में प्रेषित सकता है।

कानूनों के लिये प्रेसीडेंट की स्वीकृति आवश्यक नहीं किन्तु वह पुनर्विचार के लिए कह कर (शायद ही कभी ऐसा किया जाता हो) बेरी लया सकता है।

प्रेसीडेंट एक बार में व्यवस्थापिका समा की बैठक एक मास के लिये स्थगित कर सकता है किन्तु एक वर्ष में दो बार से अधिक ऐसा नहीं कर सकता।

अमेरिकन प्रेसीडेंट न तो अग्रिम (अमेरिकन व्यवस्थापिका समा) को स्थगित कर सकता है और न भंग ही।

मन्त्रिमण्डल का प्रधान नियुक्त करता है। मन्त्रिमण्डल की बैठकों में समापति का पद प्रदाय करता है।

४—विधान में सीनेट के परामर्श का उल्लेख है—मन्त्रिमण्डल के परामर्श का नहीं।

७—इस संघ में वह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंट के हस्तक्षेप में बचने का उपाय वहाँ के मन्त्रिमण्डल से प्लोम ही निकालता। मन्त्रिमण्डल की बैठकें वहाँ दो प्रकार की होने लगीं। एक तो नियमित किन्तु समतत्त्व प्रेसीडेंट स्वयं करता था और दूसरी अनियमित किन्तु समतत्त्व प्रधान-मंत्री करता था।

अपने वैधानिक कार्यों के क्षेत्र में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं।

ये अधिकार प्रेसीडेंट स्वयं काम में नहीं ला सकता। शासन-विधान में स्पष्ट निर्देश है कि प्रेसीडेंट के प्रत्येक कार्य पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक हैं। (कॉन्स्टीट्यूशनल ऑर्, २५ फरवरी १८७५, पन्ना ३)।

नोट:—मार्च के पक्ष के बाद आत्म-समर्पण की सन्धि पर २३ मूल, १९४० को हस्ताक्षर हो जाने पर तृतीय प्रजातंत्र का अन्त हो गया। नये शासन विधान ने समस्त अधिकार प्रेसीडेंट (मार्शल पैता) को सौंप दिये। १० मूल, १९४ को तीन कॉन्स्टीट्यूशनल ऐक्ट पास हुए और पैता ने उन पर हस्ताक्षर किये। १९४४ में मार्च के फिर स्वतंत्र होने पर अक्टूबर १९४४ और फिर मूल १९४६ में मेथनका ऐसेम्बली के चुनाव हुए। इतने समय मार्च का नया विधान बन रहा है।

: ७ :

स्विट्ज़रलैंड

क्षेत्रफल १५,९४४ वर्गमील।

जनसंख्या ४२,१८,००।

२२ कैप्टनों के बीच मित्रता की सन्धि के फलस्वरूप।

शेष अधिकार कैप्टनों के लिए सुरक्षित।

इन्हीं अनियमित बैठकों में लारे महत्वपूर्ण कियों पर विचार तथा निर्णय होता था। नियमित बैठकें केवल उन्हीं निर्णयों का नियमित रूप देती थीं। वही प्रथा (Convention) १९१७ ई में मंत्रिमंडल प्रथा करने के पश्चात् में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी मंत्रिमंडल तथा अन्य मंत्रिमंडलों ने भी अपना ही विधान गवर्नर के सम्मुख तनुक्त निर्णय रत्ने आ सके।

८—यह अक्टूबर १९४६ में बन चुका।

९—यह सन्धि १८४८ ई० में हुई। १८७४ ई० में इसमें संशोधन हुआ। उसके पश्चात् भी उसमें अनेक छोटे-मोटे परिवर्तन हुए हैं।

समस्त सर्वोच्च अधिकार संघ के पास ।

फ़ेडरल काङ्ग्रेस

स्यवस्थापिका तथा के दोनो मन्त्र प्रत्येक ग्राम चुनाव के परभाव
द्वारा मिलकर चुनते हैं ।

तीन वर्ष की अवधि ।

शासन विधान में इस बात का कोई निर्देश नहीं कि संघ के मंत्रियों
का चुनाव स्यवस्थापिका तथा के सदस्यों में से हो, किन्तु यही एक बेबा
रिबाध हो गया है ।

फ़ेडरल काङ्ग्रेस सिस्ट्रिक्चरल बोर्ड की पार्लियामेंट की
कार्यकारिणी समिति (Executive committee) के समान
कार्य करती है ।

विदेशी मामलो, कानूनों को लागू करने, सेना पर अधिकार, बजट
को तैयार करने तथा उपरिबत करने, कानून पेश करने इत्यादि के
अधिकार इसे हैं ।

८

जर्मनी

क्षेत्रफल २,२५,५२८ वर्गमील ।

जनसंख्या ७,६३ ७५,००० ।

शासन विधान ११ अगस्त १९१९ ई ; जनकी १९३४ क 'रील
निकार्म बिल' द्वारा संशोधित ।

प्रेसीडेंट का समस्त अन्ता—पूर्व बहुमत द्वारा चुनाव करतो है ।
आयु ३५ वर्ष से ऊपर । यदि पूर्व बहुमत प्राप्त न हो तो दूसरी बार में
साधारण बहुमत द्वारा । अवधि सात वर्ष । रील यदि दो-तिहाई के बहुमत
से प्रस्ताव करे तो अन्ता बोट लेकर उसे हटाने का निर्णय कर सकती है ।
यदि अन्ता हटाने के लिए से एक से दो एक सेने के दिन से सात वर्ष
की फिर अवधि गिनी जाती है । चुनाव चुनाव में लड़ा हो सकता है ।

प्रेसीडेंट रीलरुदाय का सदस्य नहीं होता ।

बहि निवला मफन उसे बापिस मेकने (Recall) का प्रस्ताव करे तो उसे पर से मंजुल कर दिवा जाता है और बहि अन्ता प्रस्ताव के समर्जन में राब दे वो वह पर से अलग हो जाता है ।

अधिकार

आधारमूल अधिकारों को मी, केन्व सहायता से शान्ति स्थापित करने में मंजुल कर सकता है जैसे व्यक्तिगत अधिकार, माणस्य संवधी स्वतंत्रता, निवात, उमा, उद्युदाय बनाने और सम्पति संवधी स्वतंत्रता—किट्ट रीजलरटाग को दुरत खूबना देनी होती है ।

सेना पर सर्वोच्च नियंत्रण ।

रीज के पराधिकारियों को नियुक्त करने तथा निकालने का अधिकार, यदि वृत्तरे अन्य ढग का विधान में निर्देश न हो । वह अधिकार वृत्तरे को सौंप सकता है ।

अंतर्राष्ट्रीय विषयों में रीज का प्रतिनिधित्व करता है ।

बांसलर के परामर्श पर रीज को मंग कर सकता है । प्रेसीडेण्ट अपिपेसन को मग करमे के सिवाय उसे किसी प्रकार स्पगित नहीं कर सकता । (दुसना कीबिये, इंग्लैण्ड, अमेरिका, मज्ज से) ।

प्रेसीडेण्ट की आका पर बांसलर अथवा संबंधित मंत्री के इस्ताफर आवश्यक हैं । इस्ताफर करनेवाला उस कार्य के लिये उत्तरदायी समझा जाता है ।

बांसलर तथा मंत्रिगण प्रेसीडेण्ट बांसलर को नियुक्त करता है और उसकी राय पर मंत्रियों को ।

नोट १—इस समय पराकृत जर्मनी विभिन्न राज्यों के नियंत्रण में है। उसका विभाजन कर विभिन्न राज्य उस पर अलग अलग शासन कर रहे हैं। धीरे-धीरे उसे फिर शासन में स्वतंत्रता दी जा रही है। जर्मनी का मरिभ्य अथकार में ही है। जर्मनी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नवीन जर्मनी की सीमा तथा शासन-विधान को रूपरेखा क्या होगी।

२—दिल्लर के हाथ में शक्ति आने पर (१९३३ १९४५) बरत्तर उत्सद-कर होते रह ।

बीसे केवल उस समय जबकि व्यवस्थापिका सभा के दोनों सदनो में मतभेद हो और केवल इस सीमा तक कि यदि वह चाहे तो, रीज़ल्यूट के विरोध के रहते भी रीज़ल्यूट द्वारा किसी मसविदे को दो तिहाई बहुमत से पास कर देने पर, उसे कन्वन्श की राय मानने के लिये मजबूर करता है।

झारखण्ड लागू करना प्रैसीडेंट झारखण्डो को शासन विधान के निर्देश के अनुसार 'कनेल आक्ट का' में एक माह के भीतर प्रकाशित करा देता है। उसके १४ दिन परचास से लागू हो जाते हैं।

प्रैसीडेंट के साथ अधिकारों के लिये प्रांसलर, सचिवमंडल, व्यवस्था सचिवी अधिकार, निचले तथा ऊपरी सदन शीपको के अंतर्गत देखिये।

: ६ :

स्त्रावों, कोर्टों तथा सर्वो का राज्य १०

सीमित (पैमानिक) राजतंत्र।

२५,६२८ वर्गमील।

राजा।

१० :

रूस

यूनिअन आक्ट सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक

क्षेत्रफल : ८,२८,७२१ वर्गमील।

जनसंख्या १२,२६,२५,०।

१०—इस राज्य को 'यूगोस्लाविया' कहते हैं। यह द्वितीय महायुद्ध के समय और उसके परचास इसमें अनेक बदलाव-धेर हुए हैं। राजतंत्र नष्ट कर वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित हो गया है और नया शासन विधान भी तैयार हो गया जो अत्यंत प्रगतिशील है।

रुस का वर्तमान शासन-विधान १९१६ ई० में लागू किया गया था। यह 'स्तालिन-शासन विधान' ^{११} के नाम से प्रसिद्ध है।

शासन विधान में सभ के प्रेसीडेंट के निरुक्त किय जाने का कोई निर्देश नहीं है। अतएव रुस में कोई नाम मात्र का (Titular) प्रधान नहीं है। विदेशी सम्बन्ध अपने परिषद तथा अभिक्रम-पत्रों को प्रेसीडीयम के समापति के सम्मुख पेश करते हैं और उत्तराधिकारियों का संघालन केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति (Central Executive Committee) का प्रधान करता है।

सर्वोच्च शासन सत्ता 'सोवमरकोना' (काउन्सिल ऑफ पीपुल्स कमिटीयर्स को अब रुस क मंत्री कहलाते हैं।) को दी गई है जिसे सुप्रीम काउन्सिल बुन्ती है। किन्तु वास्तव में मंत्रिमंडल कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी बुन्ती है और उसका निरूपण सुप्रीम काउन्सिल नियमित रूप से मान लेती है। इस 'सोवमरकोना' का एक समापति होता है जिसे प्रधान मंत्री समझा जा सकता है।

प्रेसीडियम सुप्रीम काउन्सिल बहुत धीरे होने से वास्तविक सत्ता का उपयोग नहीं कर सकती। इसके सिध १० सदस्यों ^{१२} की एक स्थायी समिति (Standing Committee) सुप्रीम काउन्सिल अपनी सम्मिलित बैठक में करती है। यह स्थायी समिति प्रेसीडीयम करता है।

प्रेसीडियम अब काउन्सिल का अधिभारण न हो रहा हो, उस समय उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करती है। इसके कुछ विशेष

११—इसमें परबती १, १९४४ में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसके अनुसार सभ की इकाइयों को एक सीमा तक विदेशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने तथा समन्वयता करने का अधिकार दिया गया। साथ ही उन्हें सेना रक्षण का भी अधिकार दिया गया। किन्तु इस सम्बन्ध में मूल सिद्धान्त मंच सरकार ही निरूपण कर सकेगी।

१२—यह सन्ध्या १९३९ में थी। उसके परबन्ध अब जोरियत रुस में नये देश शामिल हो गये, यह सन्ध्या बढ़ा दी गई।

अधिकार यी हैं, जैसे धना प्रदान, बैंक कमीशन की नियुक्ति, सेना के सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा अलहाबादी, पूर्ण अथवा अपूर्ण सेन्य-संगठन की आशा, तन्निबन्धों पर अन्तिम सहमति प्रकट करना, अमूर्तों की व्याख्या इत्यादि। यदि सुप्रीम कोर्टनितल का अधिकार न हो रहा हो तो युद्ध की घोषणा कर सकती है। इस वास्तविक व्यवस्थापिका समाप्ता जा सकता है।

: ११ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

क्षेत्रफल ३०,२६,७७८ वर्ग मील।

जनसंख्या १३,०२,१५,०००।

संघीय शासन विधान १७८७ ई में बना, १७८८ ई में लागू हुआ।

राष्ट्र अधिकार संघ की इकाइयों के पास हैं।

प्रेसीडेंट चार वर्ष की अवधि। उसके चुनाव के लिये राजनैतिक पार्टियों के राष्ट्रीय कन्वेंशन डेप्युटीजों को नामाङ्क करते हैं और इकाइयों की व्यवस्थापिका सभाओं की आका से बनता उनमें से अपने डेप्युटीज प्रेसीडेंट का चुनाव करने के लिए चुन लेते हैं। व चुने हुए डेप्युटीज प्रेसीडेंट का चुनाव करते हैं।

प्रत्येक इकाई को अपने ही डेप्युटीज चुनने का अधिकार है किन्तु कि संघ की व्यवस्थापिका सभा के दोनों सदनो में मिलाकर उसके सदस्य हैं। किन्तु एक इकाई की एक ही वोट मिली जाती है और वह वोट उस पार्टी की ओर ही गई मानी जाती है जिस ओर उस इकाई के डेप्युटीजों का बहुमत है।

प्रेसीडेंट पर के लिये उम्मेदवार की आयु कम से कम ३५ वर्ष और उसका राज्य के अन्तर्गत निवास कम से कम १४ वर्ष का होना चाहिये।

प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट या तो कॉमेस के द्वारा कार्बनिक अमितीय लगाकर हटाये जा सकते हैं या वेस्टवोड अधिका विरुद्ध के सुर्म में दायित्व दिये जाकर।

२,४,००० डालर और १०,००,००० फ्रैंक पर्येक लार्ज तथा लॉर लार्ज—४,८०,००० डालर।

किसी विल को बिना इस्ताफर किये या वीटो किये नों ही लोड सकता है। इस अवस्था में यदि कॉमिंस का अधिवेशन चल रहा हो, तो वल दिन में वह बिना प्रेसीडेंट के इस्ताफर के कन्सून बन जाता है।

किसी मसबिरे को मेज़ पर पड़े रहने देकर, यदि वल दिन के भीतर कॉमिंस का अधिवेशन स्थगित हो जाय, उधका अत कर सकता है। इसे 'पाफिट वीटो' करते हैं।

यह चीजे किसी मसबिरे को वीटो कर सकता और ऐसा करने के फरख बतावे हुए उतको उत मन्स को लौटा सकता है ज्यों प्रारम्भ में उसे उपरिबत किया गया था। किन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा के दोनों मबन अलग अलग दो-तिहाई के बहुमत से उसे बुधारा पास कर दें तो वह वीटो के रहते हुए भी निममित रूप से कानून बन जाता है।

यह स्थल तथा नाबिक सेना का कमाण्डर-इन-चीफ होता है।

यह चीनेट के दो-तिहाई के बहुमत की सहमति से उन्नि कर सकता है।

राजदूतों की नियुक्ति करता है—अन्य दूतों, काउन्सिलों, सर्वोच म्यामासय के म्यायावीयों इत्यादि की नियुक्ति भी चीनेट के परामर्श तथा सहमति से करता है।

चीनेट की बज बेटक न हो रही हो उत समय रिक्त स्थानों की पूर्ति बोड़ी अवधि के लिये 'कमीशन' द्वारा करता है। ये अगली बेटक के समाप्त होने तक रह सकते हैं।

किसी या दोनों मबनों की बेटक बुला सकता है और दोनों में अपारध में स्थगित होने के समय के प्रश्न पर मतभेद हो जाय तो स्वयं स्थगित कर सकता है।

यह मसबिदों का मुख्य वे सकता है, राजदूतों तथा अन्य दूतों से मिलता है।

प्रेसीडेंट के अधिकार किसी भी राज्य या प्रधान मंत्री से अधिक हैं।

लहार में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। ५, ०, ० सरकारी कर्मचारी उतके अधीन हैं।

संघीय अदालतों को हटाने का अधिकार प्रेसीडेंट का अधिकार है बल्कि नियुक्त करने के।

यह शासन-विभागों के निर्वहण के लिये कानूनों का अन्तर्गत पूरक नियम बना सकता है।

धमा प्रदान—कमिश्न द्वारा लगाने गये अभियोगों (Impeachments) और रक्षक के विरुद्ध अपराधों में नहीं।

कानून संबंधी अधिकार—१—बीजे (ऊपर देखिये),

२—कमिश्न को सन्देश,

३—विरोध अभियोजन—विरोध मसखिदों पर विचारार्थ।

धमा प्रदान तथा कानूनी अधिकार—वास्तविक उद्देश्य अधिकार के दुरुपयोग को रोकना था। धमा प्रेसीडेंट के ये अधिकार समझे जाते हैं—व्यक्तिगत उपयोग नाटकीय होता है।

प्रेसीडेंट एक पार्टी का नेता होता है, पर पार्टी का उस पर कोई निर्वहण नहीं।

उसे कोई भी हटा नहीं सकता।

उसे इसीस सीपो की सलाह दी जाती है जबकि फ्रांस के प्रेसीडेंट को एक ही सीपो की।

१२ :

पोलिश प्रजासत्त

क्षेत्रफल १,४९, ४२ वर्ग मील।

जनसंख्या २,१८,८४,१९९।

प्रजासत्त १५ मार्च १९२१ ई और १९२४ ई का संसोधित विधान।*

* पोलैण्ड के शासन विधान में मुझ के परचात् काफी उलटपेच हुए हैं और नई शासन व्यवस्था पहले से अधिक प्रगतिशील है।

प्रेसीडेंट अबपि तात बर्ष ।

नेशनल असेम्बली द्वारा सम्मिलित बैठक में चुनाव । डाइट १/५ के बहुमत से उस पर अमिबोग लगा सकती है ।

कोरम १/२

ट्रिबूनल ऑफ स्टेट^{११} के द्वारा अमिबोग का निरूपण होता है ।

डाइट को भंग कर सकता है, यदि सीनेट की सहमति हो या डाइट स्वयं १/५ के बहुमत से इसके पक्ष में अपनी सहमति दे ।

कोरम १/२

प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है और उसके द्वारा अन्य मंत्रियों को ।
प्रेसीडेंट का काम प्रदान करने का विशेषाधिकार मंत्रियों को दिये गये दण्ड पर लागू नहीं होता ।

ग्राम रिहाई करने का अधिकार नहीं है ।

: १३ :

जैकोस्तोवाकिया

क्षेत्रफल ५४,२५४ वर्ग मील ।

जनसंख्या १,४७,२९,३३१ ।

(बोहेमिया, मोरेविया, स्लोवाकिया, तिशीस्त्रिया का भाग, कार्पेथिया रुथेनिया का भाग, कार्पेथियनस का दक्षिण भाग^{१२})

प्रजातंत्र—केवल कार्पेथियन रुथेनिया का सर्वत्र लोक प्रजातंत्र ही तथीय है । उसकी अपनी डाइट तथा सरकार है । सरकार की नियुक्ति प्रेसीडेंट करता है किन्तु वह डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है ।

नवम्बर १४, १९१८ ।

११—ट्रिबूनल ऑफ स्टेट—सर्वोच्च न्यायालय का एक विभाग ।

८ न्यायाधीश डाइट के द्वारा नियुक्त ।

४ न्यायाधीश सीनेट के द्वारा नियुक्त ।

१४—गत महायुद्ध के पश्चात् इसकी सीमा में भी परिवर्तन हो गया है ।

वह लोकियत कठ से मूल, १९४५ ई० की सन्धि के अनुसार हुआ ।

प्रेसीडेंट नेशनल असेम्बली-सम्मिलित बैठक में—सात वर्ष के लिये चुन्ती है।

योग्यता चेम्बर ऑफ डिपुटीज के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उम्र १५ वर्ष से अधिक हो। १/५ बहुमत से चुना जाता है—एक बैठक में, दोरम—पूर्व बहुमत; नामों को बोलकर उपस्थिति देनी आती है। यदि दो बार के बोटिंग में उपरोक्त बहुमत न मिले तो तीसरा बोटिंग निर्धारक होता है। उपरोक्त पत्र के लिये दो बार चुना जा सकता है; उपरबात् एक अवधि के विराम के बाद चुना जा सकता है। प्रथम प्रेसीडेंट पर यह बात लागू नहीं की गई।

प्रेसीडेंट व्यवस्थापिका सभा को केवल एक माह के लिये वर्ष में केवल एक बार कर सकता है। उसे मग भी कर सकता है किन्तु अंतिम वर्ष के अर्पीय में नहीं।

प्रेसीडेंट किसी भी किस को एक माह के भीतर पुनर्विचार के लिये छोड़ा सकता है।

यदि दोनों मदन पूर्व बहुमत से उपस्थिति बोलकर उसे फिर पाठ कर दें तो वह कानून बन जाता है, अथवा यदि चेम्बर ऑफ डिपुटीज उसे उपस्थिति बोलकर १/५ के बहुमत से पाठ कर दे तब भी वह कानून हो जाता है। (यदि पहिले से अधिक क्लेम और बहुमत की आवश्यकता होती है, तो केवल नुबतय विरवास प्रकट करने के लिये।)

अधिकार विदेशी मामलों में प्रतिनिधित्व करता है, और सन्धि—वाशिरव—अर्थ संबंधी प्रश्नों—सैनिक मामलों—सीमा संबंधी विषयों पर उसके अधिकार हैं।

राज्यतों को नियुक्त करता है और उनसे मिलता है।

बुद्ध को पोषणा करता है और नेशनल असेम्बली की सहमति से शान्ति-सन्धि करता है।

नेशनल असेम्बली को बुलाता है, रवानगि तथा मंग करता है।

कानूनों को वापिस मेन्ने का अधिकार उसे है।

नोट—द्वितीय संसदस्थापनी महापुरुष के परचाय तथा शासन विधान बन रहा है।

मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पद से उन्हें अलहरा करता है तथा उनकी संख्या निर्धारित करता है।

उच्च शिक्षा के प्रोफेसरो को नियुक्त करता है और उन्हें अलहरा करता है।

सूठी बेची से ऊपर के अफसर, राज्य अफसर तथा ग्यामापीश की नियुक्ति।

धरकार क हुम्नाम पर छायापता देता है तथा पेन्शने देता है।

समस्त सेना का कमान्डर-इन-चीफ़ होता है। इना प्रदान करता है।

: १४

आस्ट्रिया

क्षेत्रफल २०,७,६६ बगमील।

जनसंख्या ६९,९९,४५५।

सङ्घ सरकार

राज्य अधिकार—शासन संबंधी तथा इन्तुली प्रांती के पास है।

प्रेसीडेंट

नेशनल काउन्सिल तथा फ़ेडरल काउन्सिल की सम्मिलित बैठक चुनाव करती है।

चार वर्ष की अवधि; लगातार केवल एक बार ही और चुना जा सकता है—उम्मेदवार की उम्र कम से कम ३५ वर्ष होनी चाहिये। यदि नेशनल काउन्सिल का मतदाता भी हो। गत राजशाही परिवार या शासन करनेवाले परिवारों का व्यक्ति प्रेसीडेंट नहीं चुना जा सकता।

प्रेसीडेंट बरि कार्य करने योग्य न रह तो कठम्य मार संघ के चांसलर पर पड़ता है।

उच्च विदेशी मामले—राजदूत—संघीय अफसरों की नियुक्ति—राज्य अफसर—परो कर्मी तथा अफसरों की उपाधि के संबंध में अधिकार प्राप्त है।

दुनिया के विधान

। क्षमा प्रदान करने—नाजाबत संतानों को कानूनन घोषित करने का अधिकार है। किन्तु सभ सरकार के करने पर ही यह ऐसा कर सकता है।

नोट—पार्थीब सभ्य की बारा ८० के अंतर्गत जर्मनी इसके लिये बाध्य था कि "आस्ट्रिया की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से आदर करे।" किन्तु बीमर विधान की ११वीं बाण में आस्ट्रिया को "जर्मन रीढ़ के साथ मिला जाने पर" रीढ़ टूटने में प्रतिनिधित्व देने का निर्देश किया गया था।

सुप्रीम कौंसिल ने इस बाण को अवैधानिक घोषित कर दिया और जर्मनी की एक राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें १० अगस्त १९१६ ई० से आगे बीच वर्ष तक के लिये इसी प्रकार की घोषणा करनी पड़ी। जर्मन-आस्ट्रिया के मिला जाने का प्रश्न बराबर यूरोपीय राजनीति में उठता रहा और १९१८ ई० में यह मिश्रण ही गया।

स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् नया शासन विधान बन रहा है।

: १४ :

स्वीडन

क्षेत्रफल १, ७१, १४० वर्गमील।

जनसंख्या ६१, १०, ०।

शासन विधान १८ ६ ई० में बना।

राजा।

पैतृक गद्दी। ईबेगलिक बर्ष में विरासत रखनेवाला। राजा तथा उच्चराजिकारी राजकुमार के शामिल होने की आयु—१८ वर्ष।

राजा कीर्त का कमायदर-बन-बीऊ होता है।

क्षमा दरद में कमी कर सकता है।

सम्पत्ति बहिष्कार दे सकता है।

किसी भी अज्ञात को राजा निश्चाल सकता है, पर संबंधित मन्त्री विशेष प्रकट कर सकता है।

राजा के पास बीये का अधिकार है।

राजा स्ववस्थापिका समा हुआ अधिवोग लगाये जाने पर भी जमा कर सकता है, किन्तु पुन नौकरी नहीं दे सकता।

१६

नार्वे

क्षेत्रफल १,२४,५५६ वर्गमील।

जनसंख्या २९,१७, ००।

स्वतंत्र, स्वामीन, अधिभार्य, अदेव राज्य।

सीमित, पैतृक राजतंत्र

यदि उत्तराधिकारी न हो न राजा दूसरे नाम को प्रस्तावित कर सकता है; अजात (unborn) उत्तराधिकारी भी राजगारी के अधिकारी होते हैं।

बिना किसी पर राजा स्वयं रूप से सहमति प्रदान नहीं करता, वे अस्वीकृत समझे जाते हैं।

१७

ऐस्थोनिया

क्षेत्रफल १८,१५१ वर्गमील।

जनसंख्या ११,१४, ।

प्रजातंत्र

विवि १५-५-१९२० ई०।

२-७-१९२० ई०।

१५—द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक भाग में (१९४० ई०) ही ऐस्थोनिया सोवियत रूस का एक भाग बन गया और अब भी है। वहाँ अब सोवियत शासन है।

१८ :

इंग्लैण्ड

खेनपत्र ६५,२७६ वर्गमील ।

जनसंख्या ४,६२,२३,००० ।

राजा बैधानिक प्रधान ।

उस पर ब्रिटिश बजट का १/५ प्रतिशत स्वयं होता है ।

प्रिंसी काउन्सिल—संख्या लगभग ३५०—केवल राजगद्दी के आब
कर का आम्ब विशेष उत्सवार्थिक कार्यों के लिये मिलती है ।

लॉकास्टर की इन्हीं से होने वाली उसकी व्यक्तिगत आय है और
ऊपर बताये गये स्वयं के अतिरिक्त है ।

प्रिंस आठ वेस्त को इन्हीं प्रकार कमरलैयड से आय मिलती है ।

सरकार का वास्तविक प्रधान मधिमंडल है जो प्रधान मंत्री के सार्वभौम
कार्य करता है । राजा के इन्हीं अधिकार विस्तृत हैं, किन्तु वे समस्त
अधिकार सरकार द्वारा सम्राट के नाम पर उपयोग किये जाते हैं । इस
प्रकार राजा केवल बैधानिक प्रधान है ।

: १९

स्पेन

तिथि दिसम्बर ६, १९११ ।

शासन विधान राज्य-संघर्ष के अधिकार से बनाया गया स्वीकार
किया गया और बैधानिक कोर्टों द्वारा मान लिया गया—संघर्षों की
केन्द्रीय प्रजातंत्र । शेष अधिकार राज्य के पास । किन्तु वे डेलीगेट
किये जा सकते हैं । अधिकार विस्तृत किये गये हैं ।

संघीय राज्यों के लिये व्यवस्थापिका समान है और प्रांतों के शासक में
शासन-कार्य ।

प्रेसीडेंट

६ वर्ष की अवधि ।

कम से कम ४ वर्ष की आयु हो।

सेमिक, पादरी, शासन करनेवाले परिवार नहीं हो सकते।

अधिकार

युद्ध को घोषणा कर सकता है।

२०

बेल्जियम

क्षेत्रफल ११,७७५ वर्गमील।

जनसंख्या ७,८१,८१, ००।

शासन विधान नवम्बर १० १८३१।

७-२-१८३१

संशोधित अक्टूबर १५, १८२१।

राजा

पेट्रुस, पुत्री को गद्दी नहीं मिलती। राजकुमार राजा की सम्मति के बिना यदि विवाह करता है तो गद्दी पर से अधिकार लो देता है।

क्रिस्टोप्यवस्वापिका समा के दोनों मकन पुनः उसे गद्दी पर बैठा सकते हैं।

धैर्यात्मिक अधिकार

राजा हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव (निचले मकन) को मंगा कर, नये चुनाव की घोषणा कर सकता है।

राजा के स्वर्गवास पर, स्ववस्वापिका समा के दोनों मकन बिना बुलाये दसवें दिन मिलते हैं, उस समय एक अधिकार मंत्रिमंडल के पास रहते हैं।

राजा को दोनों मकनों के सम्मुख शपथ लेनी होती है।

२१ :

जापान

क्षेत्रफल १,४८,७५६ वर्गमील।

जनसंख्या ७,२२,२३, ०।

राजा अधिवेशन बुलाना है और अधिक से अधिक दो माह के लिये उसे स्वमित कर सकता है।

राजा विलों को रीतुरदाग के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित कर सकता है।

धमा प्रदान तथा आम रिहाई करने का अधिकार उसे प्राप्त है।
राजा कानून के अनुसार मुद्रा बना सकता है।

: २३

मैक्सिको

क्षेत्रफल ७,६१,६४४ वर्ग मील।

जनसंख्या २,१६,५६,०।

नया शासन विधान—प्रजासत्ताकीय—संघीय प्रेसीडेन्ट।

१९ जनवरी १९१७।

पात्रियों को मुगिया देने तथा विदेशियों द्वारा शोकाब क विच्छेद निवृत्त है।

सर्वोच्च सत्ता प्रेसीडेन्ट में निहित है, प्रेसीडेन्ट का सीधा चुनाव होता है।

सोम्यता मैक्सिको का नागरिक हो—उत्पत्ति से वा उसके माता-पिता मैक्सिको निवासी हों—आयु १५ वर्ष से अधिक हो। प्रत्यक्ष आबवा आश्रयस्थ रूप से किसी दंग आबवा सरकार को सैनिक शक्ति द्वारा पकड़ने के पद्धत में भाग न लेना हो।

अधिवि प्रथम दिसम्बर से चार वर्ष।

कभी चुनाव नहीं चुना जा सकता।

अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति करनेवाला—अगले अवसर पर प्रेसीडेन्ट नहीं चुना जा सकता। अल्प-कालीन रिक्त स्थान की पूर्ति कायत करती है। यदि उसकी बैठक हो रही है, तो उसके तदनु मत् बैठक चुनाव करते हैं। यदि बैठक न हो रही हो वा स्थायी समिति (Permanent Committee) चुनती है और निव मत् चुनाव के लिये प्रेश का विशेष अधिवेशन बुलाती है।

अस्यकालीन रिद्धता—यदि अथर्वि के प्रथम दो वर्ष के मीतर हो तो अस्यकालीन प्रेसीडेंट फिर कमी प्रेसीडेंट नहीं बन सकता ।

प्रेसीडेंट बिना कांग्रेस की सहमति के त्याग-पत्र नहीं दे सकता और यह सहमति केवल गम्भीर कारवायों के उपस्थित रहने पर ही ही जानी चाहिए ।

अधिकार

विचारार्थ मन्त्रिदा उपस्थित कर सकता है ।

बीरो क उसे उठने ही सीमित अधिकार प्राप्त हैं जैसे कि अमेरिकन प्रेसीडेंट को ।

अधिकार और कर्तव्य

कानूनों को लागू करता है ।

सेन्ट्ररियों को नियुक्त करता और अलहरा करता है । इसी प्रकार के अधिकार एजेण्टों, अनरलों और गवर्नरों के संबंध में प्राप्त हैं ।

सीनेट की स्वीकृति से समस्त मंत्रियों, राजदूतों तथा काउन्सिल अनरल को नियुक्त करता तथा अलहरा करता है ।

यही अधिकार सेना के कर्नलों और फोर् के ऊँचे अफसरों के संबंध में प्राप्त हैं ।

अन्य अफसरों की नियुक्ति ।

कल तथा स्वतः सेना का प्रथम ।

नेशनल गार्ड का समुचित प्रबन्ध । (देखिये धारा ७६, उप धारा ४) ।

कांग्रेस के प्रस्ताव पर मुद्द की घोषणा ।

योग्यता-पत्रों को जान करता है ।

कूटनीति सम्बंधी पत्र तबहार तथा लिख करता है ।

कांग्रेस के विशेष अधिकार जान बुलाना है ।

न्याय विभाग को काम करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है ।

तामुद्रिक व्यापार पर तथा अन्य सवनेवाली धुगियों के मन्त मोलता है ।

तमा प्रदान करता है। आविष्कार तथा लोक संबंधी सुविधाओं के लिये एकाधिकार देता है।

शासन-विधान द्वारा निर्देशित कर्तव्यों का पालन करता है।

२४

इटली

क्षेत्रफल १,१२,००० वर्ग मील।

जनसंख्या ४,४५,१७,०।

राजा नाम मात्र का प्रधान।

मुख्यस्थिती वास्तव में प्रधान था।

नोट—युद्ध में पराक्रम के परचात् इटली में अनेक परिवर्तन हुए। इटली बनवा के मत जानने के परचात् प्रजातंत्र घोषित कर दिया गया। राजा देश से अछा गया। मया शासन विधान बनाने के लिए विधान निर्मात्री परिषद का चुनाव हो चुका है।

: २ :

कैबिनेट व केन्द्रीय सरकार

आयरलैंड

प्रबन्धक-विभाग

धारा ११—इसे एक्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं—उसका पौष से सात तक—प्रेसीडेंट के द्वारा नियुक्ति, डेल की मामलदारी पर। अन्य मंत्री प्रधान मंत्री और राजस्व मंत्री के परामर्श पर नियुक्त किये जाते हैं। (केनेडा के टंग पर व्यवस्था)।

प्रेसीडेंट बाइस प्रेसीडेंट का निर्वाचन करता है। डेल आयरन के मुख्य पर अतिरिक्त मंत्री नियुक्त किये जा सकते हैं, किन्तु वह विभागों के प्रधान मात्र होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से डेल आयरन के प्रति उत्तरदायी होते हैं—वह मया १९२७ ई० से लगभग उठा ही दी गई है।

प्रेसीडेंट जनता द्वारा चुना जाता है।

अर्य संबंधी विवाह वर हैं किन्हीं डेल आयरन का समापति ऐसा घोषित करे। किन्तु व्यवस्थापिका समा का कोई भी मयन वह मॉग कर सकता है कि इत प्रश्न का निर्वाच मुविवाहों की कमेटी (Committee of priveleges) करे।

सभी डेल आयरन के सदस्य होने चाहिये।

वह तीन डेल आयरन (उभय मयन) में उपस्थित हो सकते हैं तथा मापण्य वे सकते हैं।

: २ :

कैनेडा

मन्त्री, यदि पहिले ही व्यवस्थापिका सभा का सदस्य न हो तो तीन माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए। यह एक वैधानिक प्रथा (Convention) है।

श्रेय वार्षिक बजट के समान।

किरोपी बल के नेता को वही बैठक दिया जाता है जो प्रधान मन्त्री को—५० • वार्षिक वार्षिक।

३

आस्ट्रेलिया

बैठक १२, ०० वार्षिक को सात मंत्रियों को दिया जाता है।

लेबर पार्टी का मंत्रिमंडल बनाती है तो मंत्रियों के नामों का मुख्यतः पार्टी कोकस^{१८} करती है।

कैबिनेट सम्पूर्ण शासन कार्य चलाती है और पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अवश्य होने चाहिए।

यदि पहिले से ही यह सदस्य न हों तो (यह नियम है) उन्हें तीन माह के भीतर अवश्य सदस्य चुन लिया जाना चाहिए।

१८ कोकस (caucus) व्यवस्थापिका सभा के पार्टी सदस्यों की बैठकों को कहते हैं जो अपने-अपने शासन-संबंधी विषयों पर पहिले से विचार करने के लिये होती हैं। पार्टी के सभी सदस्य उसमें समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें किये गये साधारणतया पार्टी के व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्यों को मानने होते हैं।

४

फ्रान्स

मंत्रियों का वेतन ६,००० फ्रैंक है। सरकारी भवन इसके साथ अलग से मिलता है। यदि प्रधान मंत्री स्वयं म्याम विभाग नहीं सम्हालता तो म्याम मंत्री का पद उसके बाह्र आठा है।

मंत्री तथा उनके कैबिनेटरी साधारणतया चैम्बर के सदस्य होते हैं।

मंत्री सम्मिलित रूप से उत्तरदायी हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी है। साधारण अपराधों के लिये साधारण म्याबालको द्वारा दण्डित किये जा सकते हैं किन्तु राजद्रोह के विषयों में स्वकस्त्वायिका समा उन पर अमियोग लगाकर उन्हें दण्डित कर सकती है।

कैबिनेट के मंत्रियों के इस्ताफर प्रायेक मामले में आवश्यक हैं। नये मंत्रियों की नियुक्ति-यम पर प्रधान मंत्री इस्ताफर करता है।

मंत्रियों की काठस्थल की बैठक में प्रैसीडेन्ट समापदित्व करता है किन्तु कैबिनेट बैठक में नहीं करता। कार्यवाही का विकरल प्रकाशित होने के लिये समाचार पत्रों को दे दिया जाता है किन्तु महत्वपूर्ण विषयों पर उसमें कुछ नहीं कहा जाता।

प्रधान मंत्री को सदस्यों के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिये सहमति लेने में कभी कभी कई सप्ताह लाग जात हैं। क्वीरे भी मंत्री त्याग-पत्र देने की बमकी बेकर अन्य मंत्रियों की स्थिति को भी इनारे में बाल सकता है।

मंत्रिमंडल का प्रायः पुनर्गठन होता रहता है, नये मंत्रिमंडल कम बनते हैं। प्रायः वही प्रधान मंत्री फिर पद सम्हाल लेता है।

इंग्लैण्ड में कैबिनेट की स्थिति बेरा की विचार-धारा पर निर्भर है, क्वीर में पार्लियामेन्ट की शक्त्ता पर।

दक्षिणी अफ्रीका

केपीनेट

गवर्नर-जनरल चुनता तथा बुलाता देता है। संख्या इस से अधिक न हो। कैबिनेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी की इच्छा पर उसकी अन्तिम निर्णय है। दक्षिणी अफ्रीका में कैबिनेट को एक्जीक्यूटिव काठन्वित्त करते हैं।

६

जर्मनी

कैबिनेट रीज़रव्यग के प्रति उत्तरदायी होती है।

प्रेसीडेन्ट के अधिकार १९१० ई० के परचाय बहुत विस्तृत हो गये हैं। जर्मन शासन विधान ने प्रेसीडेन्ट को कानून बनाने में सहयोग देने का अधिकार दे दिया है। उसे यह अधिकार है कि रीज़रव्यग की कार्यवाही का विवरण उसे दिया जाय। वह कार्यवाही के समय अभ्युच पर प्रहरण कर सकता है; वह कैबिनेट के संगठन के बारे में बलों की मींगें मानना अस्वीकृत कर सकता है।

पार्लियामेंट की शक्ति प्रेसीडेन्ट की बढ़ती हुई शक्ति से कम होती जा रही है। प्रेसीडेन्ट पार्लियामेन्ट को भंग कर सकता है।

१९१९-१९२४ के काल में ४८वीं धारा के अंतर्गत ११० 'एमेजेंसी डिक्ली' (Emergency Decrees) जारी की गईं।

कानून बनाने के सम्बन्ध में पहल (Initiative) का अधिकार है।

(अ) रीज़र सरकार रीज़रव्यग की सम्मति पर विषय उपस्थित कर सकती है।

(ब) बिना सहमति के भी ऐसा किया जा सकता है। किन्तु

भासाविक अवस्था पर प्रकाश डालने के लिये एक बहस्य निकालना आवश्यक है।

(घ) रीज स्ट्रट के ज़ोर देने पर, अपनी सहमति के बिना भी। किन्तु एक बहस्य में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना चाहिए।

बाँसहार तथा मंत्रियों को उपस्थित होने तथा भाषण देने का अधिकार है। उन्हें उपस्थित होने के लिए बाधा भी आ सकती है।

४८ वीं धारा के अंतर्गत समयम समस्त क्रमशः अधिकार प्रेसीडेंट को हस्तांतरित कर दिये गये हैं।

कमेन्ट्रीयों कन्ता के सामने खुली बैठकें करती हैं।

विदेशी मामलों की कमेटी गुप्त बैठकों में काम करती है। किन्तु उक्तका दो तिहाई बहुमत खुली बैठकों की माँग कर सकता है।

७

स्विट्ज़रलैंड

फ़ेडरल काउन्सिल

सात सदस्य, अर्ध-सैनिकी। व्यवस्थापिका तथा के दोनों मंत्रियों द्वारा चुना जाता है।

(निर्वाचन इस प्रकार होता है कि किसी भी कैबिनेट के एक से अधिक सदस्य न हों)

संघ का प्रेसीडेंट फ़ेडरल काउन्सिल का अध्यक्ष पद ग्रहण करता है।

प्रेसीडेंट तथा बाइल प्रेसीडेंट का चुनाव फ़ेडरल असेम्बली द्वारा १ वर्ष के लिये होता है। यह फ़ेडरल काउन्सिल (मंत्रिमंडल) के सदस्य होने चाहिए। कोई सदस्य उक्त पदों पर लगातार दो वर्ष कार्य नहीं कर सकता।

कोरम ४

सब मंत्रियों का चुनाव हो जाता है तो वह व्यवस्थापिका तथा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देते हैं। रिक्त स्थानों के लिये नये चुनाव होते हैं।

प्रेसीडेंट को एक प्रारम्भिक मत और वृत्त कार्डिंग वोट देने का अधिकार होता है ।

पाठलर कैब्रल काठस्थल का सदस्य नहीं होता ।

वह मुख्य सेक्रेटरी होता है—जर्मन पाठलर यह नहीं होता ।

प्रत्येक कैब्रल काठस्थल का सदस्य एक शासन-निर्माण का प्रधान होता है—राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुत्रित, ग्रह विभाग, सैन्य विभाग, डाक विभाग, राजनैतिक विभाग, प्रकाशन ।

कानून बनाने के लिये मतबिहे तैयार करती है और व्यवस्थापिका समा से कानून बनाने की प्रार्थना करती है ।

कैब्रल काठस्थल किसी एक पार्टी से नहीं बनाई जाती । उसके सदस्य विचार-निर्माण के समय व्यवस्थापिका समा में भी विरोधी विचार प्रकट कर सकते हैं ।

व्यवस्थापिका समा में उसका काष्ठी प्रभाव है किन्तु उनका मत नहीं होता ।

कैब्रल काठस्थल प्रेसीडेंट, पाठलर, कैब्रल बोर्ड के स्वाभाविक, कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर शेष सभी अङ्गों को नियुक्ति करती है ।

: ८ :

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

कैबिनेट

कैबिनेट इन्फ्लेक्स इत्यादि क समान शासन कार्य नहीं करता । प्रेसीडेंट के अंतर्गत वस शासन विभागों के प्रधानों की समिति है । उसका वह कर्तव्य नहीं कि उनसे परामर्श करे, किन्तु ऐसा ही चलन हो गया है । प्रेसीडेंट कैबिनेट की स्वीकृति से उन्हें नियुक्त करता है, किन्तु वे कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । न कांग्रेस में उनका कोई स्थान ही होता है । योग्यता का कोई प्रश्न नहीं । प्रेसीडेंट जब चाहे उन्हें

अज्ञात कर सकता है। केवल पार्टी के दिनों का ध्यान रखा जाता है। अठनी-अनरत तथा सैक्रेटरी ऑफ स्टेट कानून के विरोध (बकीश) होते हैं। नये कैबिनेट सदस्यों की प्रायः कोई परिश्रम से प्रसिद्धि नहीं होती। यह उच्चराशी मंत्री न होकर उसके व्यक्तिगत परामर्शदाता के समान होते हैं।

विभिन्न शासन विभागों के प्रधान हात हैं।

: ६ :

सोवियत रूस

केंद्रीय शासन समिति (Central Executive Committee)—इसमें २०० सदस्य होते हैं जो आसत रशियन कमिश्न द्वारा चुने जाते हैं। यह पार्षदात्म पार्लियामेन्ट के समान कार्य करती है। यह कमिश्न के प्रति उत्तरदायी होती है और कमिश्न की बैठकों के अवकाश काल में बही कानून संश्लेषी, शासन संश्लेषी तथा निर्यन्त्र करनेवाली संश्लेष सभा होता है। सदस्यों को "प्रेसीडेन्ट अथवा अध्यक्ष की सहमति के बिना" क्रेड नहीं किया जा सकता। उपस्थिति अनिवार्य है। सदस्य किसी सोवियत में जा सकते हैं और धूपना माँग सकते हैं।

अधिकार—समस्त सरकार के अंगों का निर्देशन, भूमिकों तथा कृषकों की सरकारों का निबंधन। यह समस्त कानून संबंधी तथा शासन कार्यों का एकीकरण करती है और उनमें ताम्बस्य समाहित करती है। आसत रशियन कमिश्न की आज्ञाओं (decrees) तथा सरकार के केंद्रीय अंगों की आज्ञाओं का निरीक्षण करती है और कमीठारों (commissars) की वा विभागों की आज्ञाओं पर अपनी अनुमति देती है। यह कमिश्न का अधिबेशन बुलाती है। कार्य का विवरण, अपनी नीति के संक्षेप में बहस्य देती हुई, देती है। विभिन्न विभागों तथा शासन के

विभिन्न भागों में नियुक्तियों करती है। और भी अधिकतर हैं, किन्तु उनका जाल एशियन कमिंस के साथ सम्मिलित रूप में उपयोग होता है।

केंद्रीय शासन समिति कामूनों, रिपोर्टों को देखती है। ग्वाय तथा शासन के कामों में माय होती है। प्रत्येक सदस्य को सरकार के किसी न किसी केंद्रीय अथवा स्थानीय काम में भाग लेना होता है। इतकी बैठकें इस प्रकार से इन विभिन्न विभागों के जमातार पुनर्विजन के रूप में होती हैं और इनके सदस्य वे होने हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय शासन समिति के सचकारी प्रतिनिधि होते हैं।

काउन्सिल ऑफ पीपुलस कमीतार 'जाल एशियन सैक्रेट रेस्यू क्यूटिव कमेटी' को नियुक्त करती है। वह सम्स्त आजादियों तथा विचारकों को प्रभावित करती है और केंद्रीय शासन समिति को इतकी सुचना देती है। केंद्रीय शासन समिति इन्हें मंजूर कर सकती है या रद्द कर सकती है। किन्तु यदि आपसत आन्तरिक हो तो कमीतारों द्वारा उन्हें जागू किया जा सकता है। विदेशी मामलों, युद्ध जलसेना, रद्द, ग्वाय, भ्रम सामाजिक मजदारी, शिक्षा, डाक तथा तार, राश्री, राजस्व, वातावात, कृषि, विदेशी वाक्त्विज्य मोजन (राज्य निर्बंध), सर्वोच्च न्यायिक काउन्सिल और स्वास्थ्य विभागों का भार इतके सदस्य सम्हालते हैं।

प्रत्येक सदस्य के साथ एक बोर्ड होता है। बोर्ड के सदस्यों के नाम केंद्रीय शासन समिति द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। कमीतार को मासले तक करने के अधिकार होते हैं। किन्तु बोर्ड यदि असहमत हो, तो किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी विषय प्रेसीडिन्स अथवा केंद्रीय शासन समिति के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, किन्तु इसमें किसी आजा का सागू होता टलता नहीं।

१ १० १

आस्ट्रिया

शासन विभाग

इसमें पीपुलस कमिन्स होते हैं—एक प्रेसीडिन्स, तृतीय मंत्री,

सेन्ट्रेरी ऑफ स्टेट, प्रांतीय सरकार के सदस्य—यह जनता के राष्ट्रीय तथा प्रांतीय प्रतिनिधि चुनते हैं।

राष्ट्रीय प्रांशुकर समस्त निर्धारों को सरकारी रूप में लागू करने के लिये उत्तरदायी है। यह फेडरल असेम्बली के निर्णय पर हस्ताक्षर करता है। फेडरल कौंसिल का समापत्तिव चांसलर करता है। फेडरल कौंसिल प्रांशुकर, बार-चांसलर, और राष्ट्रीय मंत्रियों से मिलकर बनी है। ये सबके सब नेशनल कौंसिल द्वारा प्रिथिवल कमेटी के प्रस्ताव पर उसी के सदस्यों में से चुने जाते हैं। यदि नेशनल कौंसिल की बैठक न हो रही हो तो अस्थायी रूप से प्रिथिवल कमेटी स्वयं चुनाव कर लेती है। नेशनल कौंसिल का अनिश्चित का प्रस्ताव मंत्रियों या कियों की मंत्री को अलाहवा कर देता है।

बजट फेडरल कौंसिल द्वारा नेशनल कौंसिल के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

सेन्ट्रेरी ऑफ स्टेट सरकारी पार्लियामेन्टरी सहायक होते हैं और मंत्रियों के आधीन होते हैं।

११

जैकास्लोकिया

प्रत्येक कानून स्पष्टतया यह बतायेगा कि उस कानून को बनाने के लिये कौन सा सरकारी सदस्य उत्तरदायी है।

मंत्रियों को व्यवहारविका समा के दोनों भवनों में उपस्थित होने तथा मापस देने का अधिकार तथा बुलाये जाने पर ऐसा करने का कर्तव्य है।

बैठकों के व्यवहार कानून में और व्यवहारविका समा के मग होने पर नये चुनाव के परिणाम तक—२४ सदस्यों की एक कमेटी (जिसके १६ सदस्य चेम्बर ऑफ डिपुटीज द्वारा तथा ८ सदस्य सीनेट द्वारा चुने जायें) एक वर्ष की अवधि के लिये बनाई जाती है। इन अवसरों पर यह प्राकरयक कार्यों का निरीक्षण करती है। इनमें कानून बनाना, सरकारी तथा सार्वजनिक पर नियंत्रण की सम्मिलित है। चुनाव होने के पश्चात् तुरंत बना दी जाती है।

अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportioned Representation) कमेटी में चेम्बर ऑफ़ डिपुटीज के चेयरमैन तथा डिपुटी वाइस-चेयरमैन सीनेट के वाइस-चेयरमैन भी सम्मिलित होते हैं। यह समस्त वैधानिक मामलों में भाग लेती है। किंतु प्रेसीडेंट अथवा डिपुटी प्रेसीडेंट का चुनाव नहीं करती और न वैधानिक कानूनों में संशोधन कर सकती है। न यह शासन विभाग की शक्तियों को परिचालित कर सकती है। यह राजस्व समर्पणी या सैनिक भार को भी नहीं बढ़ा सकती। न यह सम्मति दे सकती है और न नुद की ही घोषणा कर सकती है। धारा १४।

१२

स्वीडन

शासन विभाग

कॉन्सिल ऑफ़ स्टेट—राजा के सम्बन्धी सदस्य नहीं हो सकते। इसमें विभागों के अध्यक्ष दस की संख्या तक होते हैं। इसके अतिरिक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से दो ने पहिले पर प्रहार किया हो। कार्यवाही का विवरण रक्खा जाता है।

विदेशी मामलों में विरोधवा विवरण रक्खा जाता है। जिन सम्झौतों की आवश्यकता हो वह रीजल्यूग की अनुमति के बिना भी किये जाते हैं किंतु उनको क्लरवाल् रीजल्यूग के समुक्त पेश किया जाना चाहिए।

परि राजा का निर्वाच विरुद्ध हो तो कैबिनेट विरोध कर सकते हैं, नहीं तो उन निर्वाचों के लिये मंत्रियों को उत्तरदायी समझा गया है।

कोई आवश्यक नहीं कि वे किसी भी मन्त्र के सदस्य हो।

परि किसी मंत्री का परामर्श राजा द्वारा कॉन्सिल ऑफ़ स्टेट के मुद्दों पर भी ठुकरा दिया जाये तो वह त्यागपत्र दे देता है। उसे तब तक बैठन मिलता रहता है जब तक कि रीजल्यूग निर्वाच न करे।

: १३ :

नार्वे

शासन विभाग

मंत्री की आयु कम से कम १० वर्ष है। संख्या सात। इसे कौंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। मंत्री या स्टोर्बिंग के सदस्य न हों कौंसिल ऑफ स्टेट में लिये जा सकते हैं। कौंसिल ऑफ स्टेट का प्रथम सदस्य ही मत दे सकता है। कोरम संख्या का आधा होता है। एरन-वर्न का अनुभावी होना आवश्यक है, नहीं तो सदस्यता के अनौप्य समझा जायगा। कार्यवाही का विवरण रक्खा जाता है।

विवरण में विरोध का निरोध होना आवश्यक है किन्तु कोई मंत्री राजा के साथ मिलकर पदच्युत करने के अधिनियम से बच सके।

इस प्रकार मंत्रीगण स्टोर्बिंग में उपरिष्ठ नहीं हो सकते। वह लैगबिग के कुछ अधिनियम में उपरिष्ठ हो सकता है और वे स्टोर्बिंग के गुप्त अधिनियम में भी आधा मिलने पर उपरिष्ठ हो सकते हैं।

: १४

ऐस्थोनिया

शासन विभाग

मंत्रिमण्डल का चुनाव होता है।

१५

स्पेन

स्थायी समिति (Permanent committee) जिसके २१ सदस्य होते हैं, और वे पार्टियों द्वारा अनुपात से चुने जाते हैं। यह

बैधानिक अधिकारों और विधुयों के क़ेद तथा अभिप्राय म लगाने के लयध में जा गारटी है, उसे मंजूर कर सकती है ।

: १६

वेल्जियम

मंत्रियों को अधिक से अधिक परब्युत किया जा सकता है ।

कम्पून से सेना की संख्या निबध है । यह कानून हर वर्ष जगले एक बर की अवधि के लिये लागू कर दिया जाता है ।

मन्त्री यदि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हों तो विचार-विनिमय के संबन्ध में मत दे सकते हैं । किंतु उनकी उपस्थिति व्यवस्थापिका सभा में आवश्यक है और उन्हें अपने विचार का प्रकाशन वहीं भाषण द्वारा करने का अधिकार है ।

१७

इंग्लैण्ड

कैबिनेट

इसमें मंत्री सम्मिलित होते हैं—किंतु सभी मंत्री कैबिनेट में नहीं बैठते ।

प्रधान मंत्री के त्यागपत्र देने पर राजा अल्प नेता को बुलाता है बशति यह आश्चर्य नहीं कि वह किसी पार्टी का मान्य हुआ नेता हो (उदाहरणार्थ १८७४ ई० में लार्ड रोसबरी, १९२२ ई० बोन्स ला) वह प्रधान मंत्रित्व इस शर्त पर ग्रहण कर सकता है जब पार्टी द्वारा नेता चुन लिया जावे । अपरोक्त अवसरों पर ऐसा ही हुआ ।

कैबिनेट को आर्डर-इन-कौंसिल जारी करने का अधिकार है । ये किठनी ही तरह के होते हैं । इनमें से कुछ पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं और कुछ नहीं रखे जाते । कभी कभी ४० दिनों तक पार्लियाम-

मेंट के सम्मुख रखते रहते हैं। कहीं कहीं इस बात की आवश्यकता होती है कि व्यवस्थापिका सभा के दोनों मन्त्रों द्वारा वे स्वीकृत कर लिये जायें। कुछ के लिये तत्पश्चात् कानूनों के बनाने की आवश्यकता होती है।

दोब तथा जल सेना के अनुमान कोष विभाग के पास न भेजे जाकर पाल्मर ऑफ एस्टब्लिश के पास जाते हैं।

मंत्रियों का सम्मिलित उच्चदायित्व होता है।

वेतन २००० पौण्ड बार्सिक से १०००० पौण्ड तक है। उपर्युक्त मंत्री को ५००० पौण्ड^१ बार्सिक वेतन मिलता है। प्रत्येक साइ^२ पाल्मर रिटायर्ड होने पर बीवन भर के लिए ५००० पौंड बार्सिक पेन्शन पाता है।

प्रत्येक मंत्री को या तो व्यवस्थापिका सभा के किसी मन्त्र का या तो पहले ही से सदस्य होना चाहिये या बाद में बन जाना चाहिये। किन्तु पौंड सेक्रेटरी आफ स्टेट से अधिक किसी एक मन्त्र के सदस्य न हों और न दूसरे मन्त्र से पौंड से अधिक ऑफर-सेक्रेटरी लिब जा सकते हैं।

प्रधान मंत्री सम्राट के नाम से कामम्स सभा को मंग कर सकता है और ठोक काम न करने पर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को भी बहाल कर सकता है (उदाहरणार्थ मोन्टेस्यू १९२२ ई में हटा दिये गए थे) कैदीनेट का उच्चदायित्व है, किन्तु १९३२ में यह शिष्टांत प्रथम बार ठोककर व्यक्तिगत मंत्रियों को किन्तु सभा में मनमोह था, व्यवस्थापिका सभा में उन मतमोहों को पकड़ कर लेने दिया गया और वे पद पर बने रह। (सर एच सेम्पुअल लिबिप स्लोडैन: एन-दर नीति पर। उन्होंने कोडाका पैक के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिया)।

कमैटिबा के अन्तर्गत शोम्पता का ध्यान रखकर चुने जाते हैं—
 वार्षिक लिब नीध ग्वावी कमैटियों के पास जान है—कमैटिया के पास जान बाल सभी लिब विचार के बाद बायित्व आन चाहिये—स्वायो

१—यु १९३७ का 'मंत्रियों का वेतन कानून' स्पष्ट है करता कि "यह पुरान जो प्रधान मंत्री और कोष का अध्यक्ष है" १,००० पौण्ड बार्सिक पावेगा।

बैधानिक अधिकारी और विधुदियों के क़ैद तथा अभियोग न लगाने के लयभ में जो गारंटी है, उसे मसूख कर सकती है ।

: १६ :

चेरुजियम

मंत्रियों को अधिक से अधिक परख्युत किया जा सकता है ।

कानून से सेना की संख्या नियत है । यह कानून हर बर्ष अगले एक बर्ष की अवधि के लिये लागू कर दिया जाता है ।

मंत्री यदि व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हों तो विचार-विनिमय के लयभ में मत दे सकते हैं । किंतु उनकी उपस्थिति व्यवस्थापिका सभा में आवश्यक है और उन्हें अपने विचार का प्रकाशन वहाँ मायख द्वारा करने का अधिकार है ।

१७

इंगलैण्ड

कैबिनेट

इसमें मंत्री सम्मिलित होते हैं—किंतु सभी मंत्री कैबिनेट में नहीं बैठते ।

प्रधान मंत्री के त्यागपत्र देने पर राजा अख्य नेता को बुलाता है बशयि यह आश्चर्य नहीं कि वह किसी पार्टी का मन्ना हुआ नेता हो (उदाहरणार्थ १८३४ ई० में कार्लोत्सबरी, १९२२ ई० बोन्स जा) वह प्रथम मंत्रिमंडल इस शर्त पर प्रस्ताव कर सकता है अथ पार्टी द्वारा नेता चुन लिया जावे । उपरोक्त अवसरों पर नेता ही हुआ ।

कैबिनेट को आर्बर-इन-कॉन्सिल जारी करने का अधिकार है । वे किठनी ही तरह के होते हैं । इनमें से कुछ पार्लियामेंट के लयभे रखते आते हैं और कुछ नहीं रखते आते । कमी कमी ४० दिनों तक पार्लिया

मेंट के सम्मिलन रखते रहते हैं। कहीं कहीं इस बात की आवश्यकता होती है कि व्यवस्थापिका सभा के दोनों मन्त्रों द्वारा वे स्वीकृत कर लिये जायें। कुछ के लिये साधारण कानूनों के बनाने की आवश्यकता होती है। पौर तथा बल सेना के अनुमान कोष विभाग के पास न भेजे जाकर मंत्रियों का सम्मिलित उद्घरणामित्व होता है।

वेतन २००० पौरड वार्षिक से १०००० पौरड तक है। प्रधान मंत्री को ५००० पौरड वार्षिक वेतन मिलता है। प्रत्येक साइड पार्लियामेंट रिटायर्ड होने पर जीवन भर के लिए ५००० पौरड वार्षिक पेन्शन पाता है।

प्रत्येक मंत्री को या तो व्यवस्थापिका सभा के किसी मन्त्र का या तो पहले ही से सदस्य होना चाहिये या बाद में बन जाना चाहिये। किन्तु पौरड सेक्रेटरी आफ स्टेट से अधिक किसी एक मन्त्र के तदरत न हो और न दूतरे मन्त्र से पौरड से अधिक अंडर-सेक्रेटरी लिये जा सकत हैं।

प्रधान मन्त्री सभा के नाम से कामन्ध सभा को मग कर सकता है और ठीक काम न करने पर व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को भी असग कर सकता है (उदाहरणार्थ मोन्टेग््यू १९२२ ई में इटा दिये गए थे) केरीने का उद्घरणामित्व है, किन्तु १९३९ में यह सिद्धांत प्रथम बार लोकतन्त्र व्यक्तिगत मंत्रियों को किन्में आपत में मतभेद या व्यवस्थापिका सभा में उन मतभेदों को पकड़ कर लेने दिया गया और वे पद पर बने रहे। (उदाहरण सेम्बुसल प्रिन्सिपल्स स्त्रोडैन्स उठ-कर नीति पर। उन्होंने ओटावा पैक्ट के प्रश्न पर त्याग-पत्र दे दिया)।

कमैटियों के बेवरेमैन् बोम्पता का प्यान रखकर पुने जाते हैं— वार्षिक वित्त नीध स्थायी कमैटियों के पास जाते हैं—कमैटियों के पास जाने बाल समी विस विचार के बाद वार्षिक आन चाहिये—स्थायी

२ — मूल १९३७ का 'मंत्रियों का वेतन कानून' स्पष्ट है करता कि "हर पुरुष जो प्रधान मंत्री और कोष का अध्यक्ष है" १०,००० पौरड वार्षिक पावेगा।

कमेटियों में सरकारी दल का बहुमत होता है लेकिन ग्राइवेट विलों^१ पर विचार करनेवाली 'सिलेक्ट कमेटियों' में सदस्यों को चुनते समय पार्टीमन्त्री का ध्यान नहीं रखा जाता—ग्राइवेट विलों पर विचार करने वाली कमेटी में चार कामन्स सभा के सदस्य, फौच सार्ज सभा के सदस्य तथा एक प्रेसीडेंट होता है—यह ठीक सच होता है।

हाउस ऑफ कामन्स की एक 'ग्रान्ड कमेटी' होती है जो चार विभागों में बटी रहती है; उसमें दो कानून बनाने के सम्बन्ध में और अन्य दो धार्मिक विलों को लोकर ग्रेप सभी विलों पर विचार करने के लिए होती है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भवन की एक कमेटी होती है जो 'कमेटी ऑफ सप्लाइ' और 'कमेटी ऑफ वेज पेयब मौम्स' कहलाती है। पार्टी प्रतिनिधियों की चुनी हुई म्यारद सदस्यों की एक 'कमेटी ऑफ सलैशन्स' होती है जो 'सेशन्स कमेटी', 'सिलेक्ट कमेटी' और अन्य कमेटियों को, जो विलों तथा ऐसे मायसों की जाँच करती है जो स्पष्टता राजनेतिक है। 'सेशन्स कमेटी' के तीन विभाग होते हैं—पब्लिक एकाउन्ट, पब्लिक पिटीशन (धार्मिक पत्र) और किचिन (kitchen) विभाग कहलाते हैं। 'सिलेक्ट कमेटी' के परन्तु सदस्य होते हैं किन्तु ग्राइवेट विलों पर विचार करनेवाली 'सिलेक्ट कमेटी' के केवल चार सदस्य होते हैं।

: १८ :

डेनमार्क

काउन्सिल ऑफ स्टेट

राज्य उच्चराजिदारी इसमें भाग लेता है। राजा सभापतिव करता है। राजा की अनुपस्थिति में राजा द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री सभापति

११—ग्राइवेट विल उन विलों को कहते हैं जो विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा विशेष स्थान के लिए होते हैं। यह समस्त देश वासियों और समस्त देश पर लागू नहीं होते।

का शासन प्रदत्त करता है। प्रधान मंत्री कार्यवाही का विवरण राजा के पास स्वीकृति के लिए भेजता है और यदि राजा स्वीकृति न दे तो काउन्सिल आफ स्टेट के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। मंत्रियों पर राजा का कास्टडीन अमियोग लगा सकता है। रीगल्टूट अर्थात् न्यायालय अमियोग की अनुमति पर अपना निर्णय देता है।

१६ :

जापान

कैबिनेट—सम्राट को परामर्श देती है किन्तु (प्रधानमन्त्री) भारत के प्रति उत्तरदायी होती है। शासन विधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। राज के मंत्री संख्या में इस होते हैं।

निदेशी मामलों, यथा, राजस्व, युद्ध, न्याय सेना, न्याय, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, संदेश के शासन।

राजमन्त्र का भी एक मंत्री होता है किन्तु वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। मंत्री व्यवस्थापिका समा के किसी भी मन्त्र के सदस्य हो सकते हैं। और दोनों में ही मापदण्ड दे सकते हैं। उनको भारत के प्रति उत्तरदायित्व की प्रथा १९१४ ई के परचाए से स्थापित हो चुकी है।

प्रिया काउन्सिल—प्रेसीडेंट, भारत प्रेसीडेंट, पञ्चीत काउन्सिलर, एक चीफ सेक्रेटरी, और फौज सेक्रेटरी इसके सदस्य होते हैं।

काउन्सिलरों में पराधिकारी होने के नाते राज के वे समस्त मंत्री होते हैं किन्तु कैबिनेट बनती है।

काउन्सिल सम्राट को निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देती है—

- (१) शासन विधान और उन कारणों के विषय में किन्तु न्याय के संबंध में उद्दिष्ट होता है।
- (२) देश में संकट-व्योपणा प्रसारित करने के संबंध में।

- (१) वैधानिक एकाशाओं के संबंध में ।
 (४) सभियों के नियम में ।
 (३) प्रिन्सीपल काउन्सिल के संगठन के नियम में और उन नियमों
 - पर विचार को विशेष रूप में उठ लड़े हों ।

राजनीतिक सभ्य के समस्त कैबिनेट बनाने के संबंध में इससे परा
 मर्श लिया जा सकता है । कैबिनेट के समस्त कार्य तथा कानूनों के
 संबंध में शासक के समस्त उपरिष्ठ किए जाने से पहले अपना शासक
 द्वारा स्वीकृत किए जाने के परंपरा इतका परामर्श लिया जा
 सकता है ।

यह सभ्य की वैधानिक परामर्शदाताओं की सर्वोच्च समिति है ।
 इस प्रकार इसने आधिकारिक रूप में कैबिनेट का स्थान ले लिया है । ऐसा
 माना जाता है कि कैबिनेट के अधिकारों को इसने इधिया लिया है
 और उन्हें सीमित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

नोट—जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं जापानी शासक अन्तर
 मीकार्पर के निरीक्षण में बनाए गए नये शासन विधान के मसविदे^{११}
 पर विचार कर रही है ।

२० :

इटली

मंत्री व्यवस्थापिका सभा के दोनों भवनों में बैठ सकते हैं और
 मायदा भी हो सकते हैं । उनके अंदर-सैक्रेटारियों को भी यह अधिकार
 प्राप्त है । (इङ्ग्लैण्ड में ऐसा नहीं है) ।

संघियों की संख्या चौदह होती है । प्रत्येक का एक अंदर-सैक्रेटरी
 होता है जिसका प्रधान मंत्री नियुक्त करता है ।

संघियों को अग्राह्य पार्टी से सौदा पढ़ाने की (अर्थात् क
 सम्मान) आवश्यकता नहीं होती ।

१२—यह शासन विधान स्वीकृत किया जा चुका है पर अभी
 उच्चरी अखिर कपरैला लामने नहीं आई ।

विवादास्पद प्रश्न म्याक्सा के लिए 'कमेटी ऑफ प्रिन्सिपल्लेज' (इसमें दोनों मन्त्रों के तीन तीन सदस्य रहते हैं) को सौंप दिये जाते हैं। इसका प्रेषण जून सुप्रीम कोर्ट का एक ऊँचा म्याबाबीय होता है।

१९२७ ई० से हाउस का स्पीकर निर्बिरोध पुनर्निर्वाचित हो जाता है।

२ :

कैनेडा

हाउस ऑफ कामन्स

हाउस ऑफ कामन्स का संगठन क्विबी भी समान सिम्प्लिफिड सिस्टम के अनुसार किया जा सकता है—

कैनेडा की जनसंख्या
क्यूबेक की जनसंख्या^{१०}

प्रेसीडेंट इस अनुपात को रखते हुए मन्त्रों की संख्या बढ़ा सकता है।

राजस्व तथा बजट

व्यक्तिगत वित्तों की पहल कामन्स मन्त्र से ही की जा सकती है। किंतु उन पर कर्नर-कन्सल की छद्मति प्राप्त कर लेना आवश्यक रहता है। सभी उन पर विचार हो सकता है।

१४—इसका तात्पर्य यह है कि क्यूबेक प्रांत के प्रतिनिधियों की संख्या ६४ ही रहेगी। इस संख्या के क्यूबेक की जनसंख्या में विभाजन करने के प्रति सीट के पीछे जनसंख्या का अनुपात निश्चय आयेगा। उसी अनुपात से अन्य प्रांतों को भी सीटें दे दी जायेंगी।

केन्द्रीय सरकार विशेष कार्यों के लिये प्रांतों को नियुक्त रख
 देती है।
 १,८०,००० स्क्वैर माइल इतक और बोवा स्कॉटिया
 को भी।

: ३ :

ऑस्ट्रेलिया

निचला मध्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
 जबकि तीन बर्य यदि इसके पूर्व मंग न कर ही जाय।
 मताधिकार योग्यता बालिग मताधिकार।
 सीटों की संख्या ७५ इकाइयों की जनसंख्या के अनुपात से।
 प्रत्येक को कम से कम ५ सीटें मिलती हैं।
 यदि बिना आधा कोई बैठकों में अनुपस्थित रहे तो सीट के रिक्त
 हो जाने की घोषणा कर ही जाती है।
 यात्रा की सुविधायें राज्य की ओर से बिना व्यय मिलती हैं।
 कुछ अन्य बातें

स्पीकर केवल एक कारिदा बोटा होता है।
 जनसंख्या की गणना में मूल निवासियों को नहीं गिना जाता।
 पार्लियामेंट की सत्ता की व्याख्या स्वयं क्वेन्सला की पार्लियामेंट
 कर सकती है। किंतु यह सत्ता क्रिश्च हाउस ऑफ कामन्स की सत्ता
 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कामन्स मदन के स्पीकर का केवल एक
 कारिदा बोटा होता है।
 मदन शांति, व्यवस्था, सुरासन के लिये कानूनों को बनाता है।
 ये कानून केवल उन विषयों से संबंधित हो सकते हैं जो प्रांतों के पाठ
 उपस्थित नहीं।
 राजस्व मुद्र के समय मुद्रक तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर
 पाता है।

मकन केबोनेट पर नियंत्रण रखता है। इसकी सहा, कार्यवाही के निमित्त आदि ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन्स के समान ही है।

: ४

दक्षिणी अफ्रीका

हाउस आफ असेम्बली

अबधि पाँच वर्ष, यदि इसके पूर्व भंग न कर दी जाय। सीधे प्रांतों से चुनाव होता है। संख्या १५०^{११}।

केप कासेनी ५१, नैटाल १०, ट्रान्सवाल २६, ऑरेंज फ्री स्टेट १७।

यह संख्या कुल १५ तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु कम नहीं की जा सकती। प्रत्येक प्रांत के सीटों की संख्या उक्त प्रांत के पोपुलेशन मुख्य वास्तियों के अनुपात से निर्धारित की जाती है।

केप कासेनी में किसी को भी मताधिकार से वियोग कानून के दृष्टिकोण किसी रूप से संबंधित नहीं किया जा सकता किंतु मूल निवासियों के मताधिकारी संघी कानून रिजर्व रख लिये जाते हैं।

एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। स्वतंत्र प्रत्यक्ष करने के दिन से ४०० वोटों की आवश्यकता है। अनुपस्थिति के लिये १ पौण्ड प्रति दिन कम हो जाते हैं।

उम्मेदवारों की योग्यता—प्रांतीय असेम्बली के सदस्य होने की

१५—यह मूल भंग का वर्षों का लंबा रूपान्तर है। किंतु बोग लमाने से स्पष्ट है कि संख्या १२९ ही रह जाती है। बाद में संख्या बढ़ा देने की शक्ति का उल्लेख भी है। स्पष्ट है कि यह १५ संख्या अधिक से अधिक स्थिर है। वास्तव में सन् १९३४ ई. के कानून के अनुसार यह संख्या १५० ही कर दी गई है और अब प्रांतों में सीटों का विभाजन इस प्रकार है। केप ६१, नैटाल १६, ट्रान्सवाल ५० और ऑरेंज फ्री स्टेट १६।

पोम्पा प्रावरणक—५ वर्ष से राज्य का निवासी हो। योरोपीय जिटिय प्रका हो। कोरम ५ ।

प्रेसीडेंट की केवल एक कार्टिय बोट होती है। सम्राट के प्रति राजमणि की शपथ ली जाती है।

बैठक में गैर कानूनों और पर भाग लेने पर १० पौण्ड प्रति दिन का दरद। सदस्यों के अधिकार, सुविधायें इत्यादि प्रेसीडेंट नियंत्रित करता है।

राजस्व बजट संबंधी आर्थिक विज्ञ केवल असेम्बली में प्रारम्भिक रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं किन्तु अधिवेशन के समय में अन्य संबंधी विषयों पर गवर्नर की स्वीकृति से केना प्रावरणक है।

पार्लियामेंट की सम्मिलित बैठक में सीनेट का प्रेसीडेंट तथा पक्ति करता है। कानूनों पर गवर्नर-जनरल हस्ताक्षर करता है और हस्ताक्षर किये हुए विज्ञ सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कर दिये जाते हैं।

५

न्यूजीलैण्ड

राज्य आक रिपब्लिकेण्टिव।

बालिग पुंस्य मताधिकार, प्रत्येक पुंस्य का एकमत। जन क्रिया का भी समान मताधिकार दे दिया गया है।

मीटों की संख्या—७६। इसके अतिरिक्त ४ स्थान माथि (मूल नियामिका) के लिये नियत हैं।

बेनन—१० पौण्ड आर्थिक।

कानून बनाने की शक्ति सत्ता। शासन विधान परिवर्तित का करता है।

कानूनों का रिपोर्टर पार्लियामेंट में उपस्थित करता तथा पात्र करता है। सभी उच्च सहायक के रूप में रहता है। वही स्वीकर को तथा बच्चाओं को बोलने के समय में संदेष्ट देता है। बजट, जिसमें अन्य बातें भी भर दी जाती हैं, जो कमेटी में तीन महीने लग जाते हैं।

पार्लियामेण्ट में शून्य के पूर्व नहीं पहुँच पाता। अतएव, प्रथम जनवरी एक या दो माह के अंदर विशेष प्रयोग स्वीकृत की जाती रहती है।

कुछ अन्य बातें

पुस्तक का प्रबंध बोमीनियन सरकार के हाथों में है।

उदत्त अत्यंत सतर्क रहते हैं। ५/४ के लगभग तापमान स्थानीय उदत्तों की ही मात्रा से ऊँचा नहीं उठ पाते। पठन नहीं है। उदत्त एजेण्ट के समान समझे जाते हैं।

३ ६ ३

स्विटजरलैण्ड

निधला मधन

नेशनल काठमित्त।

उदत्त संख्या १८०, प्रत्यक्ष चुनाव और आनुपातिक प्रतिनिधित्व आम वार्षिक मताधिकार।

आयु २० वर्ष।

अवधि ४ वर्ष।

नारियों को मताधिकार नहीं।

मताधिकारों का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष २२,००० संख्या के पीछे एक के अनुपात से चुने जाते हैं। १,० से अधिक के भाग के लिये एक सीट दे दी जाती है।

अयोग्यता

कोई भी मताधिकार यदि पारसी न हो तो चुनाव का उम्मीदवार हो सकता है। नारियों को मताधिकार नहीं।

केन्द्रीय विधायी के लिये आभारपूर्ण अधिकारों तथा अन्य कानून के अंतर्गत देखिये।

फ्रांस

निधनस्य मरण—सैम्यर आफ डिपुर्टेस्त

अवधि ४ वर्ष ।

मताधिकार—रिस्ट्रिक्ट मतदाता—वे जोकी जो स्वतः का बल पर काम वा क्यूटी पर लगे हैं, वोट नहीं दे सकते—अक्सर भी नहीं दे सकते—वालिफ पुस्तक मताधिकार किंतु नहीं इसे ग्राम मताधिकार करते हैं । एक मत से अधिक नहीं । अनिवार्य मतप्रदान नहीं ।

सीटों की संख्या—प्रत्येक डिपार्टमेंट^{११} में ७५००० के पीछे एक सदस्य और अतिरिक्त संख्या पर प्रति १०, ५०० के पीछे एक सदस्य प्रत्येक डिपार्टमेंट के कम से कम ३ डिपुटी होते हैं ।

बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र—यदि एक डिपार्टमेंट के ३ डिपुटी हो तो ही निर्वाचन-क्षेत्र होगा । कुल सदस्य ५८४^{१०} जिसमें १० फ्रांसीसी उपनिवेशों के प्रतिनिधि, १० अफ्रीरिया के और २३ आस्ट्रेल-औरेन के प्रतिनिधि होते हैं ।

नये निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यों के होते हैं ।^{१२}

बेचन—भत्ता दिया जाता है ।

योग्यता—दैनिक सेवा—वे अकलन, वा रिटायर्ड होम क लिय अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उम्मेदवार हो सकते हैं । बैंक ब्याज पर्यंत के डायरेक्टर तथा उप-डायरेक्टर भी लगे हो सकते हैं । इती प्रकार कुछ अन्य अकलन भी, जो मजिस्ट्रेट, श्वाब विभाग, धार्मिक विभाग में

२१—'डिपार्टमेंट' फ्रांस में शासन की इकाई को कहते हैं । इन्हे जिले के समान समझना चाहिए ।

२०—सन् १९१९ में यह संख्या ६१८ थी । इसमें ५३९ भाग क सदस्य (२३ आस्ट्रेल-औरेन के इती में शामिल हैं), १० उपनिवेशों तथा ९ अफ्रीरिया के व ।

१८—नये शासन-विधान में देखा नहीं दे ।

अथवा फोरम हों, सके हो सकते हैं। यदि कोई विपुटी पेटन-योगी अक्षर निवृत्त हो जाय तो वह विपुटी पद पर नहीं रह सकता किंतु यदि उम्मेदवार होने की योग्यता उतमें हो तो दूसरी बार चुना जा सकता है। किन्तु चुनाव पत्रों में तय्या से अधिक मत दे दिये जाते हैं वह अनियमित घोषित नहीं किये जाते, केवल अन्त में अधिक नामों को काट दिया जाता है।

क्लोजर^{२२} (closure) तमी लागू किया जा सकता है जब दो सदस्य बोल चुके हों। किंतु मन्त्री उत्तर दे सकता है बशर्ति अतिम शब्द वाद-विवाद में साधारण सदस्य के होते हैं। एक व्यक्ति का मापक दूसरे व्यक्ति से सकते हैं किंतु संयुक्तराष्ट्र, अमेरिका के समान मापक के बिना पढ़े प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। मत बैलट^{२३} प्रस्तुत दिये जाते हैं किंतु बसुत वह झुंटे ही रहते हैं। किंतु पश्चात् सदस्य मंच पर बैलट द्वारा मतदान की माँग कर सकते हैं। ऐसी शक्ति में अक्षरानुसार (Alphabetically) सदस्यों को बुलाया जाता है। प्रश्न के बाद बहस होती है और विदेशी नीति के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर मत लिए जाते हैं। पहले इस प्रस्ताव पर मत लिए जाते हैं कि मन्त्र अपनी कार्यवाही जारी रखे। मैम्बर केवल दिनांक मात्र^{२४} को एक कानून बनानेवाली संस्था है।

२२—क्लोजर (closure) का तात्पर्य उक्त तरीके से है जिसके द्वारा बहस को काफ़ी जल्दी खत्म करने से रोका जाया है। इसका उद्देश्य यह है कि कार्यवाही में व्यर्थ देरी न हो और कार्य सुचारु रूप से चल सके।

२३—बैलट (Ballot) मत-पत्र को कहते हैं। बैलट द्वारा मत-दान का उद्देश्य यह है कि मत गुप्त रूप से दिया जा सके। मत-दाता के अतिरिक्त कोई भी यह न जान सके कि मत कितने दिये हैं। मत-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते।

२४—इस कानून का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। वास्तव में कैबिनेट के अत्याधिक कारण मैम्बर के पास ही वास्तविक शक्ति है।

बजट चालू और विरोध लक्षों में विभाजित रहता है। विरोध स्वयं चालू स्वयं के भाग नहीं समझे जाते। उनके लिये धन उधार लिया जाता है। इस विरोध स्वयं में लगभग पचास पचास हजार मर्दे रहती हैं। बजट कमीशन राजस्व व्ययों की कटौत और मन्त्रियों के सहयोग से काम करता है। कमीशन मर्दों को पटा बढ़ा सकता है किन्तु बढ़ाने में मन्त्रियों को स्वीकृति आवश्यक है।

मुद्र की पापणा दोनों मर्दों की सहमति के बिना नहीं की जा सकती।

सदस्यों को २७,००० फ्रांक् व्यय या ५,००० डॉलर मिलते हैं। वे अपने पुत्रों, बान्धवों और मित्रों के लिए नौकरी और पद खोजते फिरते हैं। वे सम्मान विद् नौकरी और सम्मान वेधने के लाइसेन्स, की खोज में भी रहते हैं। सरस्य मर्दन के धामने विचार प्रकट करते हैं, प्रेसीडेंट के सम्मुख नहीं।

ग्रीनेट और बैम्बर फ्रांक् डिपुटीज दोनों का अभिवेशन पौष मर्दोंने एक बनता रहता है।

प्रेसीडेंट एक बार में बैम्बर को एक माह के लिए स्थागित कर सकता है किन्तु एक वर्ष में बह दो बार से अधिक ऐसा मर्दी कर सकता है।

८

जर्मनी

मिखला मर्दन रीछस्टाग

अवधि चार वर्ष

आम मतविचार, प्रत्यक्ष चुनाव, आधुनिक प्रतिनिधित्व, दोष वर्ष की धायु।

२२ सीटों की संख्या—निवृत्त नहीं है।

१०, ०० मत देने वालों के पीछे एक सरस्य। मत कार्य-क्रम

नीतियों और सिद्धांतों के स्वरूप लिए आते हैं—व्यक्तिपर नहीं। वैतंत्रिक विधीकरणों की तरह धूमिलनों की और एक राष्ट्रीय शासिका तैयार की जाती है और स्वयं इन शासिकाओं से क्रम से जुड़े आते हैं। पहले विधीकरण की शासिका से तीन सदस्य लिये आते हैं—उसके पश्चात् धूमिलन की शासिका से और अन्त में राष्ट्रीय-शासिका से।

(अ) एकाधिकारी (exclusive) कानून सम्बन्धी शक्तियाँ

(ब) कानून सम्बन्धी सम्मिश्रित^{११} (concurrent) शक्तियाँ

(घ) सिद्धान्त सम्बन्धी कानून।

रीज को आर्थिक विषयों में इकाइयों पर विशेषाधिकार मान (*over-riding powers*) है। रीज के कानून इकाइयों के कानूनों को इन विषयों में रद्द कर देते हैं—मतलब का नियन्त्रण राष्ट्रीय स्तर पर करता है।

सैन्य अफसर यदि चुनाव सड़ रहे हों अथवा समाजों में सम्मिश्रित होना चाहते हैं तो उन्हें छुड़ी अथवा बेनी होती है। प्रैसीडेंट तथा व्यवस्थासिका समा को विशेष ढंग की सुविधायें मिली हुई हैं।

विदेशी मामले—सीमायें (इकाइयों की सहमति से, रक्षा भी) औपनिवेशिक मामले और डाक तथा तार—इन विषयों में केवल रीज को ही तथा प्रभु है।

प्रेसीडेंट पर अभियोग—१०० सदस्यों के इच्छापर से और बहुमत के पास कर देने पर लगाया जा सकता है। यही ढंग शासन विधान में परिवर्तन के लिये नियत है। अभियोग राष्ट्रीय कोर्ट के सामने लयाया जाता है जो इस संसद में अपना निर्णय देती है।

इकाई राज्य रीज के कानूनों को लागू करते हैं, रीज का नियंत्रण रहता है। बैठकें प्रैसीडेंट द्वारा स्वयं या एक-तिहाई सदस्यों की मौजूदगी पर बुलाई जाती हैं। मदन स्वयं अथवा चैबरमैन, विपुली चैबरमैन तथा

११—सम्मिश्रित शासिका (concurrent list) में वे विषय होते हैं जिन पर केन्द्रीय तथा धूमिलनों की सरकारें कानून बना सकती हैं, पर उक्त विषयों पर केन्द्रीय कानून धूमिलन के कानूनों की तुलना में प्राथमिक आते हैं।

संकेती पुनः है और स्वयं कार्यवाही के नियम निर्धारित करता है। अविधान कुत्ते होते हैं किन्तु दो-तिहाई क बहुमत से गुप्त बैठक को मौन को बाध सकती है। यदि रीजल्टिंग के एक-तिहाई सदस्य उन्हें ठा कामूनों को १ माह तक लागू होने से रोक दिया जाता है। इसी अवधि के अन्दर कमी भी दोनों यवन अपना निर्णय दे उन्हें कमी भी लागू करा सकते हैं।

: ६

सोवियत रूस

कौंसिल ऑफ पीपुल्स कमिश्नर सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी तथा आल रशियन कौंग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। पीपुल्स कमिश्नर तथा बोर्ड कौंसिल ऑफ पीपुल्स कमिश्नर तथा आल रशियन कौंग्रेस की सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आल रशियन कौंग्रेस तथा सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी समस्त राष्ट्रीय मामल के विषयों पर नियन्त्रण रखती है। इसमें विदेशी संबंध, सन्धियों पर अंतिम स्वीकृति, प्रादेशिक गिरोइव्स्की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नीमाओ तथा राम्बो की अलहदगी; मुद्र तथा शान्ति; उधार का धन तथा कर; तदकर तथा व्यापारिक समझौते; न्याय कार्य; अन्न रिहाई इत्यादि भी इन्हीं के अधिकार में हैं। यह पीपुल्स कमिश्नरों के नेबरमैन को नियुक्ति तथा बाली (इटा देना) भी करते हैं। रशियन तथा विदेशियों के नागरिक अधिकारों का धरन; लील तथा नाय; अपराध तथा दण्ड; मुद्रा, आर्थिक जीवन का संगठन; बजट; सना; कामून् बनाना और न्याय इन्हीं के अधिकार में हैं।

प्रशासिकाट—आम—आयु १८ वर्ष। निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं। १ बीबिडोनार्बन कितो उतरानन कार्य से करता हो। २ कितो गृह-कार्य—स्वाधार अथवा उद्योग धंधे में लगा हो। ३ जल और स्थल सेना का प्रौढी हो। ४ नागरिक हो पर कार्य करने में अक्षमर्ष हो। स्थानीय लोकियन सेंट्रल ऐक्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति

सं आयु संबंधी शोषता को कम कर सकती है। ५. भ्रम करने वाले विदेशी।

अयोग्यताएँ^{११} १. जा सामार्य दूसरों से सबा करता हो। २. जो पूजा, भूमि अथवा उद्योग की आयु पर रहते हो। ३. व्यक्तिगत व्यापारो एजेंट तथा मध्यस्थ। ४. पादरी तथा संत। ५. निष्कली पुस्तिक के एजेंट और स्वामी। ६. विदेशी पुस्तिक के दस्ते अथवा गुप्त पुस्तिक के सदस्य। ७. शासक शक्ति के सदस्य। ८. नासासित तथा निष्कृत मस्तिष्क वाले। ९. वह किनको किसी धुरे (infamous or mercenary) अपराध में हथ मिल चुका है।

बजट:—आल रशियन कैब्रल एकजोस्फूटिष कमटी जा राज्य तथा स्थानीय सोवियतों में विभाजित है। सोवियत केवल स्थानीय आवश्यकता-पूर्ति के लिये कर लगा सकते हैं। आम आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोष से होती है।

आल रशियन कॉंग्रेस^{१२} नगर सोवियतों का प्रतिनिधि प्रत्येक २५०० व्यक्ति के पीछे १ के अनुपात से आते हैं। गवर्निया (प्रान्तीय) कॉंग्रेस से प्रत्येक १,२५,००० व्यक्तियों के पीछे एक। सन् १९२१ ई. में इसके १६११ सदस्य थे। वर्ष में एक बार बैठक होती है। इसके पास सर्वोच्च राजनैतिक तथा है। आल रशियन कॉंग्रेस के विशेष अधिकार निम्नलिखित हैं:—

(१) सोवियत शासन विधान में आचारभूत परिवर्तन करने का अधिकार इसे प्राप्त है।

१३—सोवियत के १९३६ ई० के नवीन शासन विधान में वह अयोग्यता हटा दी गई है। पारा १३५ के अनुसार केवल वही व्यक्ति मत नहीं दे सकते किनका या तो मस्तिष्क निष्कृत है अथवा म्वायासब ने किनसे महाधिकार छीन लिया है। अयोग्यता हटाने का कारण स्पष्ट है। १९३६ ई० तक अन्य प्रकार के अयोग्य व्यक्ति या तो समाप्त हो चुके थे या उनका विचार-परिवर्तन हो चुका था।

१४—सन् १९३६ के नये शासन-विधान के अनुसार इससे संबंधित आदि में अनेकों परिवर्तन हो चुके हैं। विशेष तान के लिये देखिये परिशिष्ट में-सोवियत कूट का नवीन शासन विधान।

(२) यह लम्बियों पर अतिम स्वीकृति देती है ।

आला रशियन कॉंग्रेस का शेष अधिकारों के बिना ऊपर की टिप्पणी पढ़िये । इसके अन्व अधिकार ऐम्प्लॉ एम्प्लॉयर्स कमेटी के साथ सम्मिलित रूप में हैं ।

स्थानीय सोवियत सत्ता का संगठन** सोवियतों की कॉंग्रेस (अ) सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिधियों (प्रति ५ • मसदावाओं के पीछे २ प्रतिनिधि) तथा प्रांतीय सोवियतों के प्रादेशिक प्रतिनिधियों (प्रति १५ • निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि) से मिलकर बनती है । समस्त प्रतिनिधियों की संख्या अधिक से अधिक २० होती है— सोवियतों की भी वही अधिकतम संख्या है । यदि प्रादेशिक कॉंग्रेस के ठीक पहिले सोवियतों का अधिवेशन हो तो इसी में चुनाव हो जाता है ।

(ब) प्रांतीय अथवा गूबरनिया—इसमें नगर सोवियतों के अन्व १, • मसदावाओं के पीछे १ तथा सोवियतों की कॉंग्रेस के प्रांतीय विधीनों से प्रति १० •• निवासियों के पीछे १ प्रतिनिधि लिया जाता है ।

नेशनल असेम्बली ।

१०

स्त्रियों, कोठों तथा मर्दों का राज्य**

नेशनल असेम्बली

अधिकांश ४ वर्ष ।

प्रति ४०, आसियों के पीछे १ प्रतिनिधि ।

महाधिकार आन समान प्रत्यक्ष तथा गुप्त ।

१५—इसमें भी अब अनेक परिवर्तन हो चुके हैं ।

१६—जैसा कि हम पहिले बतला चुके हैं, यूगोस्लाविया में इनको परिवर्तन हो चुके हैं ।

११

जैकोस्लोवाकिया

चैम्बर आफ डिपुटीज़

अवधि १ वर्ष ।

महाधिकार आम धमान, प्रत्यक्ष महाधिकार । आनुपातिक प्रतिनिधित्व । वयस्क महाधिकार । आयु २१ वर्ष, उम्मदवार की आयु १० वर्ष ।

संख्या १० ।

प्रत्यक्ष चैम्बर स्वयं अपना चैयरमैन चुनता है ।

उन पर अधिनियोग—सम्पादकीय के अतिरिक्त—केवल उसके चैम्बर की सहमति से लगाया जा सकता है । उसे बिना चैम्बर वा कमेटी की आज्ञा, अितको १४ दिन में चैम्बर स्वीकृत कर ले के पकड़ा वा बंद नहीं किया जा सकता ।

वे किसी भी ऐसे विषय में साक्षी उदस्पता से अलग हो जाने पर भी, नहीं वे सकते जो उन्हें उदस्पता के नाते बताई गई हैं ।

कानून किसी भी मकान में उपस्थित किया जा सकता है । उनमें पर स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि कानून का राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा । कानून बनने में दोनों मकानों की स्वीकृति आवश्यक है ।

वज्रद निबन्धने मकान के अधिकार में है ।

परि सरकार एकमत होकर कोई बिल उपस्थित करे और जेहनल असेम्बली उसे अस्वीकृत कर दे तो वह चैम्बर आठ डिपुटीज़ के समस्त मतदाताओं के समक्ष राय के लिये भेजा जाता है किंतु सरकार द्वारा प्रस्तावित वैधानिक परिवर्तनों में इत प्रकार की राय नहीं ली जाती ।

असेम्बली को प्रैसीडेण्ट चुनाता है जबकि पूर्ण बहुमत प्राप्त वह मोंग की बात—नहीं वो किसी भी चैम्बर का चैयरमैन देता कर सकता है । यदि अंतिम अधिवेशन को समाप्त हुए ४ मास बीत चुके हों तो नये अधिवेशन की मोंग के लिये $\frac{2}{3}$ का बहुमत काफ़ी है ।

अंरम हो-सिद्धाई बहुमत ।

प्रेसीडेंट या काउन्सिल आफ् मिनिस्टर्स पर अमियोय लगाने के लिये कोरम दो-तिहाई का बहुमत होता है और प्रस्ताव की स्वीकृति दो तिहाई के बहुमत से ही बानी चाहिए।

नेशनल असेम्बली के सदस्य सदस्यता समाप्त होने के परन्तु एक वर्ष तक नौकरी नहीं कर सकते। यह नियम मंत्रियों पर लागू नहीं होता। किन्तु सरकारी नौकर जुने जा सकते हैं। उन्हें छुट्टी दे दी जाती है और उनके बैठन में छुट्टी भी होती रहती है। वे अल्पि की समाप्ति पर फिर पदासूद कर दिये जाते हैं। बरी बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिये लागू है। डिपार्टमेंटों के प्रीफेक्ट नेशनल असेम्बली या वैधानिक स्थापनाओं के सदस्य नहीं हो सकते—जुनाव संबंधी स्थापनाओं तथा डिपार्टमेंटों को काउन्सिलों।^{११}

: १२

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

निचला मकन

हाउस आफ् रिप्रेजेंटेटिव।

अल्पि २ वर्ष।

सदस्य राज्यों (इकाइयों) की जनता द्वारा चुने जाते हैं। मत-विचार योग्यता बही होती है जो राज्य के निचले मकनों के संबंध में निर्धारित है।

सदस्यों की योग्यता आयु २५ वर्ष। ७ वर्ष का निवात—निर्वाचन क्षेत्र का रहने वाला होना चाहिए। सीटों की संख्या मतदाताओं के अनुपात से प्रत्येक राज्य में नियत की जाती है। वे मूल निवासी इतिहास, जो कर नहीं देते, शामिल नहीं किये जाते।

अयोग्यतायें राज्यविद्रोह। अयोग्यता अंग्रेज द्वारा हटा दी जा सकती है।

११ जैसा हम ऊपर कह आये हैं वहाँ भी नया शासन विधान बन रहा है।

बैठकों के लिये शेरम, स्वगित नियम, सदस्यों को मजद से बाहर करने इत्यादि के संवद में सीनेट के कालम में देखिये ।

उन्हें १५० वीसद वार्षिक बैठन मिलता है ।

सफवा ४१५ ।

अधिकार

समस्त वार्षिक विल निचले मजद में प्रथम वार विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

बहुत कम देना होता है कि वार्षिक सदस्य बैठकों में उपस्थित हो पाठ-समा के प्रति अन्याय प्रकट करें ।

: १३ :

पोलिश प्रजातन्त्र

निबन्धा मजद आरद ।

व्यधि १ वर्ष ।

महाविकार वाम, गुण, समानमताधिकार—जनुपारिक प्रतिनिधित्व ।

कमस्क महाविकार । इकीत वर्ष की वानु—उक्तिव क्यूरी पर नियुक्त फ्रीजी बोट नहीं दे सकते ।

राज्य विभाग, शासन तथा ग्वाव (केन्द्रीय नहीं) विभागों के सकारी अपसर उन स्थानों से नहीं चुने जा सकते जहाँ व पर्वों पर नियुक्त हैं । जब चुन लिये जाते हैं वे सुविधानें उचित सुधी दे ही जातो हैं ।

अधिकार

१—सेना पर सर्वोच्च निबन्ध का अधिकार व्यवस्थापिका तथा में स्थित है ।

२—आरद द्वारा कानून बनाने में परल की जाती है ।

३—निर्दिष्ट पुनः के समन्व में आरद मजदों का फेरता करतो है ।

४—ग्राम रिहाई केवल व्यवस्थापिका तथा द्वारा ही जा सकती है।

सुविधायें

सुविधाएँ और अयोग्यताएँ—

(अ) किसी बिन्दी पर अमियोग नहीं लगाया जा सकता।

(ब) भूमि नहीं खरीद सकता।

(स) ऐन्य सम्बन्धी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई आदर सूचक चिन्ह या पद नहीं पहन कर सकता।

(द) एक ठप्परवाही सम्पादन नहीं हो सकता।

: १४

आस्ट्रिया

निचले मजदूर के अधिकार

नेशनल काउन्सिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एक कमिटी नियुक्त करती है जो संघ के शासन कार्य में, संघीय सरकार के बनाने में सहयोग देती है और संघीय सरकार की उन आशाओं को जारी कराने में सहयोग देती है जिनके लिए इसकी सहमति आवश्यक है।

नेशनल काउन्सिल

महाधिकार समान, प्रत्यक्ष, गुप्त, व्यक्तिगत बीस वर्ष या उससे अधिक आयु के नर-नारियों को प्राप्त है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। उन्मीदवारों की आयु कम से कम बीबीस वर्ष की होनी चाहिए।

अवधि चार वर्ष।

सीटों की संख्या नागरिकों की संख्या के अनुपात से होती है।

मजदूर की बैठक या छोटे चेपरमैन स्वयं चुना सकता है अथवा वह एक चौथाई सदस्यों की मंजूर पर चुना जाता है। केवल रजिस्टर का मंजूर कर सकता है।

फोरम ३

अधिष्ठात

दोनों मदन संघीय सरकार से कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं। कोई व्यक्ति दोनों मदनों का उदत्त नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी को उदत्त बनने के लिए विशेष आज्ञा नहीं लेनी होती। कानूनों को नेशनल काउन्सिल में संघीय सरकार विचारार्थ उपस्थित कर सकती है या वह संघीय सरकार द्वारा कैबिनेट काउन्सिल में उपस्थित किया जा सकता है। २०० • महदाता या तीन प्रान्तों के आगे महदाता किसी भी कानून को बनाने की मांग कर सकते हैं। कानून बनाने का वह ढंग जनता द्वारा प्रारम्भ (popular Initiative) कहलाता है।

प्रत्येक कानून यदि नेशनल काउन्सिल निर्णय करे या बहुसंख्य पार्यन्त करे तो जनमत जानने के लिए भेजा जा सकता है।

राज्य संघियों के लिए नेशनल काउन्सिल की स्वीकृति आवश्यक है। संघीय सेना नेशनल काउन्सिल के निगरान में रहती है। कुछ की शोपला संघीय व्यवस्थापिका समा अध्यात दोनों मदनों का सम्मिलित अधिवेशन करता है। सम्मिलित अधिवेशन का चेररमै नारी बारी से नेशनल काउन्सिल और कैबिनेट काउन्सिल के अध्यक्ष होते हैं। कुछ विषयों में संघीय सरकार सिद्धांतों को निर्धारित करती है—प्रांत उन्हें कार्य रूप में परिचित करते हैं—प्रान्तों के शासन का संगठन—भूमि सुधार—बंगल—विजली की शक्ति—इमारतों—प्रान्तीय अफसरों की नौकरी के सम्बन्ध में नियम।

: १५

स्वीडन

रिक्स्टाग
रिक्स्टाग निम्नलिखित कमेटीयों को नियुक्त करती है। वैधानिक—राज्य—मांग—बैंक—कानून—रूपि।
प्रत्येक अधिवेशन दोसह व्यक्तिओं की एक कमेटी नियुक्त करता है जिसका कार्य राजा से विदेशी सम्बन्धों पर परामर्श लेना होता है।

राजा की उपस्थिति में विचार विनिमय नहीं किया जाता।

२३०—देहात और नगरों का अनुपात—१५० ८०।

ग्राम मुख्य मताधिकार १६०६ ई. से जारी हुआ।

अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धास्त दोनों मबनों के चुनाव में लागू है।

अवधि चार वर्ष।

रिजनों और पुद्दों को २१ वर्ष की आयु में मताधिकार मिल जाता है। प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ स्थान रिक्त होने पर पूर्ति के लिए व्यक्ति भी आते हैं (उँचे मबन के कालम में देखिए)।

दोनों मबनों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

साधारणतया व्यवस्थापिका तथा में दिये गए मापदण्डों पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती किन्तु मबन ई. के बहुमत से अधिसूचना लाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

रिकरटाग का अधिवेशन प्रतिवर्ष दस जनवरी को प्रारम्भ होता है। राजा की उपस्थिति में रिकरटाग अवका उत्तरी कोई कमेटी विचार विनिमय नहीं करती।

१६ :

नार्वे

स्टोर थिंग

मताधिकार योग्यता २१ वर्ष की आयु—५ वर्ष का निवात।

अधोमताएँ—कितनी अपराध में दण्ड—व्यक्तिगत मामलों में सजा देने में अक्षमता के कारण दण्ड—अपनी सरकार की बिना अनुमति के विदेशी राज्य की मौकटी—मत्र लरीहने का बेचने के कारण दण्ड—एक स्थान से अधिक पर बोट दिया हो। असमर्थ व्यक्ति मत्र मेक सकते हैं।

अवधि चार वर्ष।

सदस्य संख्या १५० ; नगर और देहात का अनुपात—१ २।

क्रिश्चियाना ७ सीट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व।

एक ठिकरई सदस्य शहरी निर्वाचक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और

बो-तिहार नामों के देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ठम्मेदवार आठ १० वर्ष—१० वर्ष का निवात। मन्त्री और पुराने मन्त्री तब तक चुने जा सकते हैं। अठसर सदस्य नहीं हो सकते। चुने जाने पर सदस्यता स्वीकृत करने पड़ती है किन्तु यदि वह दोबारा चुना गया हो और वह पहले चुनाव के पर्यात् तीन अभिवेदनों में उपस्थित रह चुका हो तो वह अनिवार्य नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ग्राम्य व्यक्ति चुने जा सकते हैं।

भत्ता ३०० क्रोन्न मार्ग म्यव।

निकरिता के लिए स्वयं मिलता है और सेवार्थ (nursing) मत्ते। तदस्य और अरुकाय के समय स्थान प्रदत्त करनेवाला व्यक्ति मत्ते के सम्बन्ध में प्राप्य में तब कर लेते हैं।

विशेष उपस्थिति—१२ क्रोन्न प्रतिदिन मिलता है और स्वयं की मूर्ति मुविषाय।

कानून पहले स्टोर पिय में प्रस्तावित किए जाते हैं तत्परचाय लैगियन को भेजे जाते हैं।

कूटनीति के सम्बन्ध में रिपोर्ट की माँग की जा सकती है पर वह रिपोर्टें ८ व्यक्तियों की एक कमेटी के सामने रखी जाती हैं। समझौते की गुप्त बातें प्रकाशित बातों के विरुद्ध नहीं होनी चाहियं।

स्टोर पिय का अभिवेदन प्रतिवर्ष १० जनवरी के बाद आने वाले सोमवार को प्रारम्भ होता है। दोनों मन्त्रों में क्रम सदस्यों की संख्या का बो-तिहार होता है। प्रत्येक मन्त्र अपना मैसीजेण्ट चुनता है। स्टोर पिय का अन्तिम भाग स्टोर से वह मांग कर सकती है कि वह अपनी रिपोर्टें इसके सम्मुख पेश करें।

स्वयंस्थापिका तथा की बैठकें कूटी होती हैं किन्तु यदि आने तदस्य मांग करें तो गुप्त हो सकती हैं।

: १७ :

एस्थोनिया

केवल एक मन्त्र

महाविचार : तमान—गुप्त—आनुवातिक प्रतिनिधित्व।

अथवा तीन वर्षों।

सदस्य संख्या १००।

मतदाताओं की योग्यता

आयु २० वर्ष—ऐरवोनिया को कम से कम एक वर्ष से प्रजा हो।
 व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों से सैनिक सेवा नहीं ली जाती।

अयोग्यताएँ

विद्वेष मस्तिष्क—अध्यापन—गूंगापन—बहरापन—सर्जीलापन—
 कानूनी बली (Guardian) नियुक्त हो और विशेष अपराधी वर्ग
 के लोग।

पाठ हुए कानूनों का जारी होना एक विहार सदस्यों की मांग पर
 दो माह के लिए स्वीकृत किया जा सकता है और यदि इस अवधि के
 अन्तर २५००० मतदाता मांग करें तो कानून अनमत संग्रह के लिए
 मंत्र दिए जाते हैं और जनता का निर्णय अन्तिम होता है।

जनता द्वारा पहले कोई भी २५० मतदाता बिल उपस्थित कर
 पह मांग कर सकते हैं कि असेम्बली या तो उसे स्वीकृत कर ले या
 अस्वीकृत करे।

अस्वीकृति की अवस्था में अनमत संग्रह निर्धारित होता है।

यदि असेम्बली की राय के विरुद्ध अनमत-संग्रह का निर्णय हो तो
 मंत्र चुनाव ७५ दिन में होते हैं।

बजट उपहार का मामला, कर लगानेवाले कानून, मुद्रा, शान्ति
 और सन्धिपूर्ण अनमत संग्रह के लिए नहीं भेजी जाती।

अनमत संग्रह की प्रथा ही इस प्रकार से ऊँच मजदूरी के कार्य समाप्त
 करती है।

व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशन प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोम
 वार से प्रारम्भ होते हैं। एक-दो-वारें सदस्यों की मांग पर भी अधिवेशन
 बुलाए जाते हैं।

व्यवस्थापिका सभा विद्वेष वेयरमैन की अध्यक्षता में अपने वेयर
 मैन का चुनाव करती है।

वेठके चुनी होती हैं; डिम्ब से विहार सदस्यों की मांग पर गुप्त
 वेठके की जा सकती है।

हाउस आफ़ कामन्स

सदस्य संख्या १४ ।

मताधिकार बयस्क मताधिकार, आयु २१ वर्ष, क महीने से उस निर्वाचन क्षेत्र में वा समीप के निर्वाचन क्षेत्र में रहता हो—अथवा उस निर्वाचन क्षेत्र में उसके काम का आश्रित दुकान, गोदाम इस वीह कासना किराये का हो। उनमें उसके स्वयं रहने की आवश्यकता नहीं।

हो निर्वाचन क्षेत्रों में निवास और मकान की योग्यता के कारण मत दे सकता है। अतएव व्यापारियों को मजदूरों से अधिक सुविधा है।

यूनीवर्सिटी—समस्त बयस्क पुरुष प्रेसुप्ट

अयोग्यताएँ विदेशी, अकिंचन, जार्ड तथा के सदस्य और संस्थाओं में रहनेवाले मिष्ठ मस्तिष्क वाले व्यक्ति।

नामजदारी का पर्चा दाखिल करने का समय एक घण्टा—२५०

वै माय न मिले तो वह अमानत जप्त हो जाती है।

मठदाताओं की सूची पर पर बाहर तैयार की जाती है। पार्लियामेण्ट अपना अतिरिक्त केवल हाउस आफ़ लार्ड्स के भी राजी होने पर बड़ा सकती है।

अनुपस्थित मठदाता यदि देश के अन्दर ही हो तो डाक द्वारा मत दे सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार को बिना डाक व्यव हरेक मठदाता के पास एक पर्चा भेजने का अधिकार है।

कोई सदस्य त्यागपत्र नहीं दे सकता, पर यदि कोई ऐसा करना ही चाहे तो उनके लिए नाममात्र का कोई पर दे दिया जाता है जैसे बिस्केन इगडूठ अथवा लॉकास्टर की डची जिनमें कुछ नहीं करना पड़ता। यह बाकायदा निवृत्ति समझी जाती है यद्यपि केवल एक मन्त्री के लॉकास्टर की डची के पाने के समय के अतिरिक्त कोई बैठन नहीं देना पड़ता।

बहि स्वीकर वह समझे कि 'लोक' लगाने से मन्त्रिमण्डल के राज

असम्भव होता है तो वह उसे न लगाए—एक वर्ष से प्रयुक्त नहीं हुआ—अब भी इच्छा हो स्वीकर अपनी आशा से इतना गैरतरी लागी कर सकता है।

कर लगानेवाला बिल एक पब्लिक बिल है—किन्तु बिनका म्युनि सिलेक्टियों वा रेलों से सम्बन्ध होता है प्राइवेट बिल कहलाते हैं—प्राइवेट सदस्य पब्लिक बिल विचारार्थ उपस्थित कर सकते हैं—लेकिन मार्गनाम पर आधारित प्राइवेट बिल ऊँचे वा निचले किंहीं भी मकान में उपस्थित किये जा सकते हैं।

काम्बज तथा का कोरम ४० है—प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्तर के परचात् ४० सदस्यों द्वारा अतन्तोपबन्ध उत्तर बताकर स्थायित्व प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने की आशा रहे ही जाती है। मकान अब चाहे स्थायित्व हो सकता है किन्तु मकानों के अभिप्रेतम साथ साथ समाप्त होते हैं। चुनाव के बाद स्वीकर पार्टी बन्दी में नहीं पड़ता। अमेरिका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रथा इसके विररीत है। वहाँ चुनाव के पश्चात् स्वीकर और मो अन्तिक पार्टी भावना से प्रेरित हो जाता है।

। १६ ।

स्पेन

कार्टेज़

२१ वर्ष की आयु का व्यक्ति सदस्य हो सकता है।

४ वर्ष की अवधि।

२० ।

फ्रान्स

इच्छे किंहीं मकान की बैठक अनियमित है, सीनेट केवल स्यापालक

के रूप में धारणी बैठक कर सकता है। ऐसे समय कौन्सिल स्वयं अपने प्राधिकार से बैठकें करती है।

बैठकें सुली होती हैं। पूर्ण बहुमत द्वारा गुप्त बैठकें हो सकती हैं।

कब तक कमेटी रिपोर्ट न दे, वित्तों पर चैम्बर आफ़ डिप्युटीज़ में विचार नहीं होता। प्रेसीडेंट बीटो नहीं कर सकता किंगु येता कमी वा क्लर्क ही नहीं किया गया। चैम्बर की २० कमेटीयों होती हैं। प्रत्येक के ४४ सदस्य होते हैं।

इंग्लैण्ड में कामगस मजदूरी को कानून तथा वास्तविक दोनों रूप में बज़र पर निबंधन प्राप्त है।

फ्रांस में चैम्बर को केवल वास्तव में, कानून नहीं।

संयुक्त राज्य में हाउस आफ़ रिप्रेजेंटेटिव को यह निबंधन न कानून और नही वास्तव में प्राप्त है।

प्रत्येक में सभ्यता इत्यादि नहीं होते। सदस्यों को सारी^{१०} में कोई यह बताना नहीं फ़िरता कि उन्हें क्या करना है, और कि कौन मठ देना है।

: २१ :

वेल्सियम

निबन्धा मध्यम हाउस आफ़ रिप्रेजेंटेटिव

प्राधिकार : प्रायः २१ वर्ष की आयु और ५ मद्र की निबन्धा योग्यता।

सुनाम निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना बाहिपः विधियों को रो-विधायी के बहुमत से एक मत दिया गया है। मठ दादाओं की सुधी निपमानुसार रहती है (वेना कि आकिरूपा में है) अनुपातिक प्रति-निबन्धा। मठ-बाल अनिर्वाय है।

१०—सारी मजदूरी के समीप वाले कमरों को करते हैं जहाँ सदस्य बैठक करता है।

संख्या ४०,००० निवाशियों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। २५ वर्ष की आयु आवश्यक है।

योग्यताएँ बेकिंगमन का नागरिक या निवासी हो या उसे पूरी नागरिकता प्रदान की जा चुकी हो।

उदर्यों की सुविधाएँ अब तक कोई अपराध करते समय न पकड़ा जावे ड्रेड नहीं हो सकती। यदि मजबूत प्रॉग करे तो उदर्यों पर से अग्नि-योग भंग कर दिया जाता है।

मत्ता १९,००० फ्रांक वार्षिक मत्ता। मार्ग-भ्रम्य इसके अतिरिक्त रिटायर्ड होने पर देने के लिये कोष स्थापित किया जा सकता है।

उदर्यों की आधी संख्या प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाती है।

प्रत्येक असमर्थ पुरुष तथा बच्चेवाले विधुर को जो ५ फ्रांक का हाउस टेन्त देते हैं यदि वे १५ वर्ष की आयु के हैं एक अतिरिक्त मत्त दिया जाता है। इतने प्रकार उन सभी को भी जो २५ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी बालबिक आयदाद २००० फ्रांक के मुख्य की है अथवा जो भूमि से इतनी ही आय कमाते हैं। अथवा जिनका नाम पब्लिक डेट (शुल्क) रजिस्टर में है एक अतिरिक्त मत्त दिया जाता है। जिनका इतना धन सेविंग बैंक में जमा है कि १०० फ्रांक व्याज मिलती हो, उन्हें भी अतिरिक्त मत्त प्राप्त है। तीसरा मत्त उन सभी को प्राप्त है जो प्रेसुएट हो, या माथ्यामिक शिक्षा पूरी कर चुके हो, या शिक्षा जैसे कार्य में लगे हो—पर तीन से अधिक मत्त नहीं होते। (यह सूचना सुडो विस्सन के ग्रन्थ से ली गई है जो १९१८ ई तक ही है।)

अभिवेचन—नवम्बर में प्रति वर्ष द्वितीय मंगलवार को प्रारम्भ होकर कम से कम ४० दिन चलते हैं।

स्वयंसेवाविका समा का अभिवेचन जुला होता है किन्तु यदि प्रेसीडेन्ट या बहुमत पादे तो गुप्त हो सकता है।

उदर्यों को सरकारी सभा में जाने पर स्थान रिक्त कर देना होता है, किन्तु हुजरा चुनाव तक तकता है। वाइस-प्रेसिडेन्ट तथा प्रेसीडेन्ट का चुनाव प्रत्येक अभिवेचन में प्रत्येक मजबूत स्वयं करता है।

यदि मत्त समान आँवें, तो मौजूद अस्वीकृत समझी जाती है। बाह

करने के लिये कोरम मध्यम का बहुमत है। बोलकर मठ दिखे जाते हैं या उठे रहकर तथा बैठे रहकर।

मंत्रियों को प्रार्थना-पत्र दिखे जाते हैं, मदन को नहीं।

: २२ :

डैनिमार्क

मिखला मध्यम फास्कुस्टीन।

सब नर-नारी को देश के निवासी हैं और भिन्नता रखने का स्वान्त है मठराता है यदि (१) वे किसी बुरे अपराध में दण्डित होकर उस समय सज़ा न भुगत रहे हों, अथवा (२) उन्हें जन-संघटनों से आर्थिक सहायता आपत्ति काल में मिली हो और उन्होंने श्रेय चुकाया न हो, अथवा (३) भिन्नी जायदाद समाप्त हो गई है और किन्हीं विवाहिका पोषित कर दिया गया हो।

उदरस्यो की उम्रवा १३ से अधिक न होगी।

आनुगतिक प्रतिनिधित्व स्थापित किया जा सकता है।

अवधि ४ वर्ष।

बेत्तन मिलता है।

मदन में बलम्ब कानूनी माने जाते हैं।

प्रत्येक मदन अपना चैमर में स्वयं चुनता है।

मदन की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित होता है किन्तु जनता गुप्त रखने को कह सकती है।

सम्मिश्रित बैठक प्रत्येक चैमर के कम से कम आधे उदरस्य उपस्थित हो।

रीडरस्यग राजधानी (कोपेन हेगन) में बैठती है।

जुने हुए सरकारी अफसरों की किसी की अनुमति नहीं लेनी होगी। विरोध अवस्थाओं में, बेत्तन मोगी पदों को प्रत्येक करमे वाले उदरस्य कानून बूझती बार में फिर चुने जा सकते हैं।

दुनिया के विधान

बिना आधे सदस्यों की उपस्थिति के कोई मस नहीं लि
सकता।

२३ :

इटली

निबला मसन कैम्बर आफ डिपुटीज़।

३१५ सदस्य।

एक मतदान। प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं।

सम्पूर्ण पार्टी सूची पर मन लिया जाता है।

बिना पार्टी को सबसे अधिक मत मिले वह मसन की दो-तिहाई

सदस्यों पर अधिकार कर लेती है। मत दाता बिना पार्टी को चुनना चाहते

हैं उनके बिना पर लाइन कर देते हैं। (कासिस्तों का बिल्ड सिनडे तथा

कुस्वाही प्राचीन रोमन सिन्ड है और पपुबारी का कास तथा लक्षणार)

अन्य पटिवों को आनस में अनुमान से छोटे मिल जाती हैं।

अबकि ५ वर्ष। प्रधान मंत्री मसन को कमी भी मन करने का

निर्णय कर सकता है।
(बार में चुनाव १९३३ ई०) कहा जाता है कि प्रधान मंत्री

केवल मतदाताओं के पास एक सम्पूर्ण सूची विचारार्थ भेज सकता है।

सरकार को स्वरकारिका तथा ने स्वयं काफी आर्थिकता की शक्ति

देती है।

कानून की केवल मोटी रूपरेखा बनाई जाती है—सरकार आधी

वेगों तथा डिप्टियों से उ है मर होती है—कमी कमी पर अधिकार

नीचे के कर्मचारियों को दे दिया जाता है (बास्तव में इन डिप्टियों

को बनाने में परिश्रम तथा लागू करने में कठिनाइयाँ आरम्भजनक हैं।

आर्थिक बिल प्रथम बार में निबले मसन में उपस्थित किये जाते

हैं सीनेट मान जाती है—न माने तो और नये सीनेटर नियुक्त कर दिये

जाते हैं।

स्वीकर निष्पक्ष होता है।

कमेडिया का चुनाव तथा प्रश्न करने का हक सर्वोच्च छत्र का है।
संख्या ६ कमेडियों में विभाजित है। (प्रत्येक २ माह के परामर्श
द्वारा से बनती है) इनमें से प्रत्येक बनने वाली कमेटी में एक सदस्य
भेजा जाता है।

: २४ :

मैक्सिको

सिंधला भयम हाउस आफ रिपब्लिकेनिस ।

अवधि: २ वर्ष ।

छोटी की संख्या प्रत्येक ३ • • वा २०० • से अधिक के विभा-
जन के पीछे एक प्रतिनिधि । किन्तु प्रत्येक राज्य का कम से कम एक
सदस्य होना चाहिए । प्रत्येक सदस्य के साथ उसके रिक्त स्थान की पूर्ति
के लिए स्थानापन्न (substitute) भी चुना जाता है ।

चुनाव प्रणाली ।

योग्यताएँ १—नागरिक हो २—आयु पचीस वर्ष की हो;
३—राज्यों का निवासी हो वा चुनाव के छ माह पूर्व निवासी बन गया
हो; ४—चुनाव से ६ दिन पहिले एक सक्रिय सैनिक सेवा में न रहा हो;

५—बिना ६ दिन पहले त्यागपत्र दिए शासन विभाग का सेक्रेटरी
वा असिस्टेंट सेक्रेटरी अथवा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अथवा राज्य
का गवर्नर अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट (राजप्रधानी) अथवा राज्य का
न्यायाधीश नहीं हो सकता ।

अयोग्यताएँ बार्मिक मतों के पक्षी अथवा पदाधिकारी अयोग्य
हमके होते हैं ।

कोरम बहुमत ।

अधिष्ठाता

१—द्वार और कर्तों के सम्बन्ध के बिल केवल निबन्धे मन्त्र में
प्रस्तावित किए जा सकते हैं ।

२—शासन अर्द्ध को निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्तावित

कर सकता है। (अ) प्रेसीडेन्ट द्वारा (ब) किसी मन्त्र द्वारा, (ग) राज्य की व्यवस्थापिका समाजों द्वारा।

टिप्पणी : वे बिल जो (अ) और (ग) और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं उन पर कमेटियों विचार करती हैं।

किन्तु बिलों को मन्त्र स्वरूप प्रस्तावित करते हैं उन पर मन्त्रों की कार्यवाही के नियमों के अनुसार कार्य होता है।

१—प्रेसीडेन्ट का बीरो —(i) वे बिल जो प्रेसीडेन्ट द्वारा दल बिल में बाधित नहीं भेजे जाते, पास हो गये समझे जाते हैं। (ii) यदि प्रेसीडेन्ट विरोध करे तो वह उसे मन्त्र के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है जिसमें वह प्रस्तावित किया गया था। यदि वह मन्त्र हो-निहाई के बहुमत से उसे फिर पास करे तो वह दूसरे मन्त्र के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। यदि दूसरा मन्त्र भी उसे हो-निहाई के मत से स्वीकृत करे तो कानून पास समझा जाता है।

४—सीनेट द्वारा बीरो वह बिल जिसको सीनेट एक बम अस्वीकृत कर देती है उतकी मन्त्र में उसके सुझावों सहित दोबारा जांच होती है और यदि मन्त्र फिर स्वीकृति दे तो वह प्रेसीडेन्ट के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है।

कॉंग्रेस के अधिकार —ये अधिकार विस्तृत रूप से ७१ से ७७ पाठ्यों में १२ शीर्षकों के अन्तर्गत गिनाए गए हैं।

१—नये राज्यों को शामिल होने की सहमति देना।

२—८००००० वर्ग मील के क्षेत्रफल में राज्यों को स्थापित करना।

३—वर्तमान राज्यों में से नये राज्य बनाना यदि जनमत इसके अनुकूल हो। ऐसे राज्यों की जनसंख्या कम से कम १२००० होनी चाहिये और इस विषय में राज्यों की व्यवस्थापिका समाजों तथा राज्य के मन्त्र के प्रेसीडेन्ट की भी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। नये राज्यों में स्वयं अपना मार सम्भालने की बिन्ता होनी चाहिये। इस प्रकार का निर्णय संघ के दोनो मन्त्रों को हो-निहाई के बहुमत से तथा राज्य की व्यवस्थापिका समाजों को वापारख बहुमत से प्राप्त होना चाहिये। किन्तु यदि सम्मिलित राज्य उक्त प्रस्ताव से सहमति न हो तो राज्यों की व्यवस्थापिका समाजों के हो-निहाई बहुमत को सहमति आवश्यक है।

४—राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करना ।

५—राजधानियों को परिवर्तित करना ।

६—कानून सम्बन्धी अधिकार । यह अधिकार उन संघीय प्रदेशों के सम्बन्ध में प्राप्त हैं जिन पर प्रेसीडेन्ट द्वारा नियुक्त गवर्नर शासन करते हैं । यह गवर्नर प्रेसीडेन्ट द्वारा हटाये जाते हैं । सुप्रीम कोर्ट के समस्त न्यायाधीशों और प्रथम बार मुद्दमों पर विचार करने वाले न्यायाधीशों को कौमेस मत अलग कर नियुक्त करती है । अर्न्त कन्सल सीने प्रेसीडेन्ट के मातहत होता है ।

७—बजट के लिए आवश्यक कर लया सकता है ।

८—उधार ले सकता है और श्रृंखल तथा विदेशी व्यापार के विषयों पर अधिकार रखता है ।

९—उद्योग सम्बन्धी कानून बनाता है ।

१०—स्त्रियों, व्यापार, उधार उद्योगों के विषय में कानून बनाता है और मोट प्रचारित करने वाला एक बैंक स्थापित करता है ।

११—विदेशी ममाकों के सम्बन्ध में अधिकार है ।

१२—मुद्रा की घोषणा करता है ।

१३—राज्य के बहादुरों के पदों के सम्बन्ध में नियम बनाता है ।

१४—बहादुरानी के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१५—जल और स्वयं सेवा के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१६—नेशनल गार्ड के सम्बन्ध में नियम बनाता है ।

१७—नागरिकता विधियों को नागरिकता प्रदान करने, उपनिवेश प्रवास, प्रवेश अनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में कानून बनाता है । अनस्वास्थ्य परिषद प्रेसीडेन्ट के मातहत काम करती है । इसका कोई सिक्रेटरी नहीं होगा, दक्षिणा सम्बन्धी अधिकारी को विद्युत्-अधिकार प्राप्त है । अनस्वास्थ्य परिषद द्वारा बनाने वाले नियम कौमेस द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं ।

१८—सम्प्रेष के आम साधनों डाक, तार, डाकपत्रों तारपत्रों और संघीय मुद्रा श्रृंखलों के सम्बन्ध में कानून बनाता है ।

१९—मुद्रा, मुद्रा और विनिमय के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

२०—बिना हुनो हुनो भूमि पर अधिकार तथा उद्योगों के सम्बन्ध में कानून बनाती है ।

२१—वैभागिक और वैधानिक कर्मचारियों पर अधिकार तथा नियन्त्रण ।

२२—सभ के विरुद्ध अपराध और उनके लिए दण्ड ।

२३—संघीय विषयों में सत्ता प्रदान ।

२४—खान्तरिक शासन तथा दण्ड के नियम सम्मिलित में अनिर्धार्य उपस्थिति । उपस्थित सदस्यों को मूलापूक के सिधे दण्ड ।

२५—कोष पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में कानून प्रस्तावित करना ।

२६—स्वाभावीयों को नियुक्त करने के लिए मठ देना ।

२७—स्वाभावीयों के त्याग पत्र स्वीकार करना ।

२८—अंगलाय, कृषि सम्बन्धी स्कूल स्थापित करना और अग्रबन्ध-पर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ स्थापित करना । इनके द्वारा प्रदान की हुई उपाधियों नियमित मानी जायगी ।

२९—अस्तरकाहीन या स्थानापन्न प्रेसीडेन्ट चुनना ।

३०—प्रेसीडेन्ट का त्यागपत्र स्वीकार करना ।

३१—विचार की शक्ति पकठाल करना ।

३२—उपरोक्त अधिकारों के उचित उपयोग के लिये कानून बनाना ।

§ २५ §

जापान

चिनो—यह एक विधान के अतिरिक्त बड़े राजनीतियों की परिपक्व है—इसमें वे व्यक्ति हैं जिन्होंने १८९८ ई० की नई व्यवस्था कायम की थी । यह परिपक्व सम्राट और मिमीकाठमिस्त के नीचे है—इसने देश की बहुत सेवा की है—परन्तु इनके विचार शासन विधान से मेल नहीं खाते । सम्राट पर इनका बहुत प्रभाव है । इसके कुछ दो या तीन सदस्य अधिक^{१८} हैं और इतका शीम ही अन्त हो जायगा ।

१८—इतका अन्तिम सदस्य कई वर्ष हुए स्वर्गवासी हो गया है इस प्रकार इस संस्था का अन्त हो गया था ।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव—निचला मकन । १९२० ई० का चुनाव कानून—पुरुष मतदाता २८,७०,००० अर्थात् प्रत्येक १००० निवातियों के पीछे १०९ मतदाता हैं जब कि पहले प्रति हजार के पीछे केवल २८ थे ।

४६४ सदस्य—१५ वर्ष की आयु—हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव के लिए लड़ सकते हैं । बजट प्रथम मताधिकार के विषय में विचार हो रहा है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत १९० लाख मतदाता होंगे ।

प्रेसीडेंट और वाइसप्रेसीडेंटों की नियुक्ति सम्राट उन तीन सम्मेलन बारों में से करता है जिन्हे प्रत्येक मकन प्रतिपक्ष के लिए प्रस्तावित करते हैं । मत्ता ५००० येन । वाइस प्रेसीडेंट को १ ०० येन मिलते हैं । उच्च स्वी को ९००० येन और मार्ग मत्ता किन्तु ओ सदस्य सरकारों मौजूदगी में होते हैं उन्हें यह मत्ता नहीं मिलता ।

सम्राट हाउस द्वारा पाठ किये गए कानूनों को वापस नहीं कर सकता, बसकि हाउस विधान उसे यह अधिकार देता है । बिलों को सरकार वा दोनो मकनों में से कोई प्रस्तावित कर सकते हैं । दोनो मकनों को बजट के अतिरिक्त अन्य विषयों में समान अधिकार प्राप्त हैं । बजट पहले हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव के सामने पेश किया जाता है ।

बजट का अधिवेशन प्रतिकर्य होता है । अधिवेशन तीन महीने चलता है राजशा से अधिवेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है । सम्राट विशेष अधिवेशन बुला सकता है । बैठकों की कार्यवाही सुले आम होती है पर सरकार की मांग पर अवकाश मकन के प्रस्ताव पर सुले बैठकें हो सकती हैं । मकन का कार्य ही सदस्य मकन में किये गये मापदण्य अवकाश मत्त के लिए बाहर उत्तरदाता नहीं उठण्या जा सकता ।

किन्तु जनता के सामने प्रकट किये गए विचारों के लिए यह कानून उत्तरदायी है । समस्त साधारण्य अपराधों में सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । किन्तु बड़े अपराधों में अवकाश आन्तरिक सम्पत्तिका वा विदेश में गड़बड़ के मामलों में बूट नहीं है । मकन की अनुमति से अधिपति लगाया जा सकता है ।

: २६ :

सोवियत रूस

प्रान्तीय कॉम्रेस या गृपरमिया में मगर सोवियतों के २००० के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं और देहाती जिला कॉम्रेस में १०,००० निवातियों के पीछे १ प्रतिनिधि होता है। अधिकतम संख्या १०० है किन्तु प्रान्तीय कॉम्रेस के दुरन्त पहले ही यदि काठन्डी कॉम्रेस हो चुको हो तो प्रान्तोव कॉम्रेस के लिये चुनाव देहाती सोवियतों के स्थान पर काठन्डी कॉम्रेस करती है।

काठन्डी या मुज़र कॉम्रेस में ग्राम सोवियतों के प्रति १००० निवासियों के पीछे १ के अनुपात से प्रतिनिधि होते हैं। अधिकतम संख्या १०० होती है।

देहाती या बोत्सव कॉम्रेस में ग्राम सोवियतों के १० सोवियतों सदस्यों के पीछे एक के अनुपात से प्रतिनिधि होता है।

टिप्पणी (I) काठन्डी कॉम्रेस में उन मगर सोवियतों के प्रति निधि होते हैं जिनकी जनसंख्या १०० से कम है।

(II) जबकि ग्राम सोवियतें, जिनकी जनसंख्या १००० से कम होती है, ग्राम में मिलती हैं और काठन्डी कॉम्रेस के लिए डेलोगेट चुनती हैं। वे ग्राम सोवियतें, जिनकी सदस्य संख्या १० से कम है देहाती या बोत्सव कॉम्रेस को प्रतिनिधि भेजते हैं।

सोवियत कॉम्रेसें या तो स्वयं एकजुटपुटिब कनेडी चुनाती हैं अथवा ऐसी स्थानीय सोवियतों की माँग पर चुनाई जाती हैं जो जनता के कम से कम एक-तिहाई माग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आप्त रजिष्टन कॉम्रेस के नवें अधिविधेय के निरूपणद्वारा समस्त कॉम्रेस वर्ष में एक बार चुनाई जाती है—आवरयकता के अनुसार विधेय अधिविधेयन चुनाये जा सकते हैं।

मेसीडियम—विधेय अधिविधेयनों और नये चुनावों के लिए आवा दे सकती है।

प्रत्येक कॉंग्रेस स्वयं अपनी एकत्रीकृतिक कमेटी चुनती है। प्रादेशिक और प्रांतीय कॉंग्रेस की एकत्रीकृतिक कमेटियों की अधिकतम संख्या २५ हो सकती है; देशी कॉंग्रेस में यह संख्या १० होती है और काठमंडी या मुख्य कॉंग्रेस में सदस्यों की यह अधिकतम संख्या भीत तक हो सकती है।

एकत्रीकृतिक कमेटी उस कॉंग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है जो उसे चुनती है। अपनी सीमा में अपने शासन क्षेत्र के अन्दर कॉंग्रेस सर्वोच्च सत्ता होती है। बैठकों के अवकाश-काल में यह सत्ता एकत्रीकृतिक कमेटी के पास रहती है। ग्राम क्षेत्रियों की भी अपनी एकत्रीकृतिक कमेटियाँ होती हैं। इनकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक पाँच होती है।

: ४ :

ऊँचा मवन

१

आयरलैण्ड

ऊँचा मवन सीनरु आयरनेन

बह उदरस्यो की नामावलिओं से निर्मित किया जाता है (उदरस्यो की न्यूनतम आयु १५ वर्ष) इन नामावलिओं में निर्बाधित उदरस्यो की संख्या के सिगुने नाम रहते हैं। इनमें बी-तिहारु डेल आयरनेन द्वारा और एक-तिहारु सीनरु आयरनेन द्वारा सामरुद किए जाते हैं। इन नामावलिओं से १५ वर्ष की आयु और उतसे अधिक आयु वाले मतदाता आयुनातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव कर लेते हैं।

अवधि १२ वर्ष।

वे मिला जो सीनरु आयरनेन द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं डेल आयरनेन द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं या (घ) परिवर्तित किये जा सकते हैं जब कि वे डेल आयरनेन द्वारा प्रस्तावित समझे जाते हैं; (ब) अररोकृत किये जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे उठी अधिवेशन में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किन्तु डेल आयरनेन अननी इच्छा से उन पर पुनर्विचार कर सकती है।

जुलाई १९३२ से डेल आयरनेन द्वारा प्रस्तावित किये जाने के लिये आयरलैण्ड विमान काल को १८ महीने से मरुकर तीन महीने कर दिया गया है।

प्रत्येक कॉंग्रेस स्वयं अपनी एकजीन्स्यूटिंग कमेटी चुनती है। प्रादेशिक और प्रांतीय कॉंग्रेस की एकजीन्स्यूटिंग कमेटियों की अधिकतम संख्या २५ हो सकती है; वेहाती कॉंग्रेस में यह संख्या १ होती है और काउन्टी या म्यूनिस्पाल कॉंग्रेस में सदस्यों की यह अधिकतम संख्या भीत तक हो सकती है।

एकजीन्स्यूटिंग कमेटी उक्त कॉंग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है जो उसे चुनती है। अपनी सीमा में अपने शासन क्षेत्र के अन्दर कॉंग्रेस सर्वोच्च सत्ता होती है। बैठकों के अवकाश-काल में यह सत्ता एकजीन्स्यूटिंग कमेटी के पास रहती है। ग्राम सोशियलों की भी अपनी एकजीन्स्यूटिंग कमेटियाँ होती हैं। इनकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक पाँच होती है।

: ४ :

ऊँचा मवन

१ :

आयरलैण्ड

ऊँचा मवन सीनर आयरन

यह सड़कों की नामावतियों से निर्मित किया जाता है (सड़कों की न्यूनतम आयु १५ वर्ष) इन नामावतियों में निर्वाचित सड़कों की संख्या के किगुने माम रहते हैं। इनमें दो ठिहार्ड डेल आयरन द्वारा और एक ठिहार्ड सीनर आयरन द्वारा नामकृत किए जाते हैं। इन नामावतियों से २५ वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु वाले मठदाता आयुपाठिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनाव कर लेते हैं।

अवधि १९ वर्ष।

वे मिला दो सीनर आयरन द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं डेल आयरन द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं या (अ) परिवर्तित किये जा सकते हैं जब कि वे डेल आयरन द्वारा प्रस्तावित समके आते हैं; (ब) अस्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में वे उची अभिवेशन में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किगु डेल आयरन अपनी इच्छा से उन पर पुनर्विचार कर सकती है।

सुतार्ड १९३३ से डेल आयरन द्वारा प्रस्तावित किये जाने के लिये आयरलैंड विभाग काल को १८ महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।

राजस्व—आर्थिक विज्ञान बेल आबरेन से अस्वीकृत होकर चीनर के पाठ विद्यार्थियों के लिए आते हैं। उन्हें बेल आबरेन अस्वीकृत कर सकती है।

कुछ अन्य धार्मिक—कोई भी स्वीकृत विज्ञान बेल आबरेन के १ बहुमत आबरेन चीनर के साधारण बहुमत की शिथिल मांग पर ६० दिन के लिये मंजूर किया जा सकता है। ६ दिन बीतने के पूर्व यदि चीनर आबरेन का १ बहुमत करे या मठराठाओं का १/४ भाग मांग करे तो उसे अनमत संग्रह के लिये मंजूर जा सकता है। आर्थिक विज्ञान पर यह बात लागू नहीं होती।

दोनों मकान मिठाकर माठरत व्यवस्थापिका समारें (बारा ४४) स्थापित कर सकते हैं और पैरोबर काउन्सिलों को कानूनी अधिकार प्रदान कर (४५ बारा) के स्थापित कर सकते हैं।

२ :

कैनेडा

सीनेट

नामकृत होती है। अठार्वार्षिक रिक्त स्थानों की पूर्ति गवर्नर-जनरल करता है।

संख्या ७२ सदस्य तीन विभागों में बँटी रहती है (१) ओन्टोरियो—२४ सदस्य; (२) क्यूबेक—२४ सदस्य (१) उर के समीप वाले प्रांत—२४। इसके अतिरिक्त १२ सदस्य नार्वे मूलविक के तथा अन्य १२ नोवा स्कॉटिया के होते हैं।

कुल सदस्य संख्या—६६।

इसके अतिरिक्त ६ या तीन सदस्य समान रूप से नामकृत किये जा सकते हैं।

सम्राट की आज्ञा के लिये नामकृत कर सकता है। सम्राट के दो अधिवेशनों में अनुपस्थित सीट को रिक्त कर देती है। विवाधियान,

बन-बस की अदायगी का न होना, तथा रेशद्रोह—यह भी तीट को रिक्त घोषित किये जाने के लिये काफ़ी है।

बम्बेधारों की योग्यताएँ

(क) आयु १० वर्ष।

(ल) भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति (बचक के अलावा भी) वास्तव में अथवा व्यक्तिगत रूप में ५० • पौण्ड हो।

(ग) जिस प्रांत से चुना जाय उसका निवासी हो। क्यूबेक में उसका निर्वाचन-क्षेत्र में निवास्त आवश्यक है।

फोरम १३—

रहीर गवर्नर जनरल नियुक्त करता है।

समान मत होने पर प्रस्ताव अथवा बिल गिर जाता है।

३ :

दक्षिण अफ्रीका

सीनेट

(क) ८ सदस्यों को गवर्नर-जनरल १० वर्ष की अवधि के लिये नामाङ्क करता है।

(ल) ८ सदस्यों को प्रत्येक प्रांतीय व्यवस्थापिका समा और असेम्बली में प्रांत के सदस्य मिलकर चुनते हैं।

(ल) में चुनाव आनुशासिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है।

योग्यताएँ

आयु तीस वर्ष। असेम्बली की सदस्यता के लिये प्रांतों द्वारा निर्धारित योग्यता होना अनिवार्य है। उम्र में ३ वर्ष स रहता हो।

योरपीय प्रजा होना चाहिए। यदि सीनेट के लिये चुना जाय तो कम से कम पूनियात में उसकी ५ • पौण्ड की कीमत को अथवा सम्पत्ति होनी चाहिए।

अवधि - ६ बर्ष (; प्रति तीन बर्ष बार रिशायर हो जाते हैं) ।
सदस्य संख्या ३४ ।

यथा - २००० अरब या ३०० डालर मत्ता दिया जाता है ।

अधिकार (१) राष्ट्र के अतिरिक्त अन्य विषयों में कानूनों का प्रस्तावित करने तथा उन पर स्वीकृति देने में इसके अधिकार समान हैं । (२) यह पैम्बर आफ डिपुटीज का विरोध करने के लिये कानूनों को कमेटियों के सुझाव कर देता है और वे वहीं पड़े रहते हैं । केवल पैम्बर आफ डिपुटीज के जोर देने पर उन पर फिर विचार होता है । (३) सीनेट का यह अधिकार है कि बजट के मदों में कमी कर दे वा किसी मद को रद्द कर दे किन्तु यदि पैम्बर आफ डिपुटीज सहमति न दे तो यह ठीकी की बात मान लेता है । (४) किना दोनों मदनों की अनुमति के बुद्ध की शोषणा नहीं की जा सकती । (५) सीनेट कानूनी ढंग पर केवल अकेले सभी बैठक कर सकती है जब इस म्याम्बलम की तरह कार्य करना हो । (६) प्रेसीडेन्ट द्वारा पैम्बर आफ डिपुटीज को भंग करने में सीनेट की अनुमति आवश्यक है ।

एक सीनेट का सदस्य राष्ट्र का काङ्ग्रेसियर नहीं हो सकता और न वह प्रीफेक्ट आफ पुलिस के अतिरिक्त अन्य कोई प्रीफेक्ट ही हो सकता है ।

सब मिलाकर सीनेट एक शक्तिशाली संस्था है । पैम्बर आफ डिपुटीज से सदस्य सीनेट भवन में जाते हैं और फिर प्रेसीडेन्ट पर पर । (४ इस प्रकार के उदाहरण हैं) ।

सीनेट एक म्याम्बलम भी है । यह प्रेसीडेन्ट अथवा मंत्रियों के विरुद्ध अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर विचार तथा निर्णय करता है ।

भंग - बचपि प्रेसीडेन्ट सीनेट की अनुमति से पैम्बर आफ डिपुटीज को भंग कर सकता है किन्तु भंग करने की आज्ञा पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक होंगे । इस कारण ३ बर्ष की अवधि में केवल एक बार पैम्बर आफ डिपुटीज ४ बर्ष के पूर्व भंग किया गया है ।

न्यूज़ीलैण्ड

काबिस्त्र

सरकार द्वारा नामज़र । अब सदस्य चुने जाते हैं ।
 संख्या (३४+१२—कोई सीमा नहीं) अब ४० सदस्य हैं ।

४ वार्षिक प्रतिनिधि,
 ३ वार्षिक प्रतिनिधि नामज़र होते हैं ।

अवधि ७ वर्ष ।

(१९१०—बीकन से)

वेतन २०० पौण्ड वार्षिक ।

परिवर्तन राजस्व के अतिरिक्त अन्य दिनों काबिस्त्री कृत कर
 सञ्चाली है ।

राजस्व राजस्व कबची कोई शक्ति नहीं ।

गति अवरोध

दोनों की सम्मिश्रित बैठक होती है और बोट लिए जाते हैं । यदि
 विष स्वीकृत न हो तो दोनों मन्त्रों को मंग कर पुनः चर्चा होती है ।

७

जर्मनी

रीकस्ट्राट ऊँचा मध्यम

प्रत्येक राज्य प्रति दस लाख की जन संख्या के पीछे १ प्रतिनिधि
 अनुपात से सदस्य भेजते हैं । प्रत्येक राज्य का कम से कम एक
 व शक्ति है । यदि अतिरिक्त जन संख्या सबसे कम जनसंख्या वाले
 से अधिक हो तो उसे १० साल मानकर एक प्रतिनिधि उठ
 के भिजे दिया जाता है । कोई राज्य अधिक से अधिक पूरी
 संख्याके २/५ सदस्य भेज सकता है ।

अधधि - ६ बर (१ प्रति तीन बर बाद रिहाय हो जाते हैं) ।
सदस्य संख्या १४ ।

मत्ता - २७०० अरुड वा १०० बासर मत्ता दिया जाता है ।

अधिकार (१) राजस्व के अतिरिक्त अन्य सियों में कानूनों को प्रस्तावित करने तथा उन पर स्वीकृति देने में इसके अधिकार समान हैं । (२) यह चेम्बर आफ डिपुटीज का विरोध करने के सिने कानूनों को कमेटीको के सुपुर् करेता है और वे वही पके रहते हैं । केवल चेम्बर आफ डिपुटीज के ओर देने पर उन पर फिर विचार होता है । (३) सीनेट को यह अधिकार है कि बजट के महों में कमी कर दे वा किसी मद को रद्द कर दे किंतु यदि चेम्बर आफ डिपुटीज वहमति न दे तो यह ठीकी बात मान लेता है । (४) बिना होनों मबनों की अनुमति के कुछ की घोषणा नहीं की जा सकती । (५) सीनेट कानूनी रंग पर केवल अकेले तमी बैठक कर सकती है जब इस म्वाबलब की तरह कार्य करना हो । (६) प्रेसीडेन्ट द्वारा चेम्बर आफ डिपुटीज को भंग करने में सीनेट की अनुमति आवश्यक है ।

एक सीनेट का सदस्य राज्य का काठस्थितर नहीं हो सकता और न वह प्रीफेक्ट आफ पुब्लिस के अतिरिक्त अन्य कीई प्रीफेक्ट ही हो सकता है ।

सब मिलाकर सीनेट एक शक्तिशाली संस्था है । चेम्बर आफ डिपुटीज में सदस्य सीनेट भवन में जाते हैं और फिर प्रेसीडेन्ट पर पर । (४ इस प्रकार क उदाहरण हैं) ।

सीनेट एक म्वाबालय मी है । यह प्रेसीडेन्ट आबवा मंत्रियों के विरुद्ध अपराधों तथा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर विचार तथा निर्णय करता है ।

मग --- यद्यपि प्रेसीडेन्ट सीनेट की अनुमति से चेम्बर आफ डिपुटीज को भंग कर सकता है किंतु मग करने की आका पर एक मंत्री के भी हस्ताक्षर आवश्यक होंगे । इस कारण १० वर्ष की अधधि में केवल एक बार चेम्बर आफ डिपुटीज ४ बर के पूर्व भंग किया गया है ।

: ६

न्यूज़ीलैण्ड

काउन्सिल

सरकार द्वारा नामाङ्कित । अब सदस्य चुने जाते हैं ।

संख्या (१४+१२—कोई सीमा नहीं) अब ४० सदस्य हैं ।

४ धार्मिक प्रतिनिधि,

३ मारिटा प्रतिनिधि नामाङ्कित होते हैं ।

अवधि ७ वर्ष ।

(१९९०—जीवन छ)

वेतन २०० पौण्ड पार्लियामेंट ।

परिवर्तन राज्य के अतिरिक्त अन्य दिनों कोचमसी कृत कर सकती है ।

राज्य राज्य सर्वोच्च कोर्ट नहीं ।

गति अपरोध

बोनों की सम्मिलित बैठक होती है और बोट लिए जाते हैं । यदि विश्व स्वीकृत न हो तो दोनों भवनों को मंग कर पुनः बने हैं ।

७

जर्मनी

रीखस्ट्राट काँघा भवन

प्रत्येक राज्य प्रति दस साल की कम संख्या के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुपात से सदस्य भेजते हैं । प्रत्येक राज्य का कम से कम एक सदस्य होता है । यदि अतिरिक्त कम संख्या सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य से अधिक हो तो उसे १० साल मानकर एक प्रतिनिधि उस संख्या के विषे लिया जाता है । और राज्य अधिक से अधिक पूरी कक्षा संख्या के २/५ सदस्य भेज सकता है ।

रीजस्ट्रार की बैठक उसके सदस्यों के रिक्त विचारों सदस्यों की मांग पर बुलाई जाती है। इसकी कमेटियों का उपायविधि कोई सरकारी सदस्य करता है।

मन्त्रियों का यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि वे रीजस्ट्रार में मापक हैं।

राज्यविवाद के समय कभी भी रीज के सदस्यों को उनके विचार सुनने का अधिकार है।

प्रतिभा की अनसंख्या यद्यपि जर्मन अनसंख्या का है किन्तु रीजस्ट्रार में उसे केवल है प्रतिनिधित्व प्राप्त है (सदस्य तथा १९) इस प्रकार इसके अधिकार काफी कम कर दिये गये हैं। कमेटियों में कितने उन्नी के सदस्य रहते हैं, किसी राज्य को एक से अधिक मत नहीं दिया जाता।

गति अवरोध

रीजस्ट्रार किसी भी कानून का विरोध कर सकती है। ऐसी हालत में सरकार उन्हें रीजस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करती है। यदि वह भी अग्रहमत हो तो प्रेसीडेन्ट अन्तः से निर्णय को अपील कर सकता है। यदि प्रेसीडेन्ट ऐसा न करे तो कानून लागू नहीं होता। यदि रीजस्ट्रार का निर्णय रीजस्ट्रार के विरुद्ध हो-विचार के बहुमत से हो तो प्रेसीडेन्ट या तो कानून को लागू कर देता है अथवा अन्तः से निर्णय करने की अपील कर सकता है किन्तु रीजस्ट्रार का निर्णय तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि बहुमत ने मत देने में मांग न किया हो।

मग करना

जर्मन प्रेसीडेन्ट शांतिपर के परामर्श पर रीजस्ट्रार को मग कर सकता है किन्तु वह ऐसा केवल एक बार ही कर सकता है। वह रीजस्ट्रार को स्थागित नहीं कर सकता और न उसके अधिकारों को रद्द कर सकता है, केवल मग कर सकता है। इंग्लैंड में कौन्सिल के परामर्श पर सहायक पार्लियामेन्ट को स्थागित कर सकता है। सहायक उन्नी मग अथवा विरुद्ध भी कर सकता है।

स्विटज़र लैण्ड

ऊँचा मजदूर काठस्थित आप स्टेट प्रत्येक कैबिनेट से दो सदस्य और प्रार्थ कैबिनेट से एक सदस्य चुना जाता है। सदस्यों में ८ प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त होते हैं। चुनाव का उम्र, सदस्यों का वेतन तथा कार्यकाल का निर्धारण कैबिनेटों पर निर्भर है। कार्य काल एक वर्ष से चार वर्ष तक है। चार कैबिनेट सदस्यों को व्यवस्थापिका समाजों द्वारा चुने हैं और शेष जनता के सीधे मतदान द्वारा। इसकी सत्ता कम है किन्तु यह कानूनों पर अधिक उदारता से विचार करती है।

इसके अधिकार नेशनल काठस्थित या निपलै मजदूर के समान हैं। केवल काठस्थित व्यवस्थापिका समा के विशेष अधिकारण मुक्त सकती है किन्तु किसी मजदूर को न तो मजदूर कर लगती है और न अधिकारण ही बन्द कर लगती है।

विधला मजदूर चंपरमैन और बाइस चंपरमैन चुने हुए होते हैं। लगातार कोई चंपरमैन नहीं हो सकता। यदि मत बराबर हो तो ठरका कारिडम मत हावा है।

सोवियत रूस

ऐकसीक्यूटिव कमेटी उन सोवियतों के प्रति जा उन्हें चुनती है ठरका दावी होती है। ऐकसीक्यूटिव कमेटी या वो सोवियतों के बैठक स्वयं चुनती है या आधे सदस्यों की मांग पर चुला सकता है। यह बैठकें नगरों में क्लाद में एक बार और देहाती में क्लाद में हा बार होती हैं।

योग्यताएँ (क) प्रत्येक नागरिक को किन्हीं आयु १८ वर्ष हो चुकी, है चुनाव के अधिकार प्राप्त है।

(ख) निम्न स्थान के सम्बन्ध में योग्यता आवश्यक नहीं किन्तु अधिकतर उही स्थान के निवासी होते हैं।

(ग) उत्पादक कार्य से जीवन उपार्जन करता हो।

(घ) परेशु कार्य में लगा हो, किसानों का सेठी, उद्योग, व्यापार में व्यापकता करता हो (कृषिज्ञान और मजदूर क़ानून) (ङ) रक्त वा रक्त सेना का सिपाही हो।

(च) नागरिक हो पर कर्त्तव्य करने में अक्षमर्ष हो।

(छ) इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति किन्हे डी अध्याय भाग २ पैराग्राफ २० में निर्दिष्ट किया गया है। इसका सम्बन्ध विदेशी अतिक्रमों से है।

टिप्पणी —स्थानीय लोकियतों केन्द्रीय उच्च की स्वीकृति से प्रायु कम स्थिर कर सकते हैं।

अयोग्यताएँ (धारा ६५) (क) जो लाम के लिए वृत्तों से सेवा करते हैं।

(ख) जो पूर्वी वा उद्योगों से स्वाज की आम्दनी पर जीवन निर्वाह करते हैं।

(ग) व्यक्तिगत व्यापारी ऐजेंट और मजदूर।

(घ) पादरी वा तन्त।

(ङ) विद्युत्ी गुप्त पुलिस वा विशेष पुलिस के इस्ते का ऐजेंट वा स्वामी।

(च) शासक शासि का सदस्य।

(छ) वे किन्हे किसी दुरे अपराध में दण्ड मिल चुका है।

प्रादेशिक वा अध्यास्य अधिनियम इसमें नगर लोकियतों के ५०० मत दाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और मूक के २५० निवास्ियों के पीछे एक डिप्टी होता है। अधिकतम संख्या ५०० हो सकती है।

इन कर्मियों की उठनी बैठके नहीं हुई किन्ती का विधान में निर्देश है क्योंकि प्रकल्पक उच्च स्वर्न हाव में रहना चाहते थे।

अध्यास्य गृहनिर्माण मूक बोर्ड अधिनियम।

बजट राशस्व नीति लोकियत के जन अपहरण के आधारमृत

सिद्धांतों की सहायक है—समस्त साधन द्वारा रशियन कांग्रेस द्वारा रशियन सैन्य ऐक्योत्प्रेषण कमेटी को सौंप दिये गए हैं। द्वारा रशियन सैन्य ऐक्योत्प्रेषण कमेटी को निर्धारित करती है। आमदनी के जरियों के नियम में निर्णय करती है और राज्यों तथा स्थानीय सोवियतों में आय का वितरण करती है। सोवियतों केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लगा सकती है। आम आवश्यकताओं की पूर्ति केन्द्रीय कोष से की जाती है।

१०

स्लावों, कोटों तथा सर्वों का राज्य

काठमिडल आफ स्टेट

काठमिडल आफ स्टेट एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। इसके आय स्वाधीन राजा द्वारा नियुक्त असेम्बली द्वारा नामकृत सदस्यों में से चुने जाते हैं और शेष आय नियुक्त असेम्बली द्वारा राजा के नामकृत सदस्यों में से चुने जाते हैं।

११

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

ऊँचा मजल सीनेट

प्रत्येक राज्य से हाठस आठ रिप्रेजेंटेटिव की माति दो सीनेटर चुने जाते हैं। कार्य द्वारा ६ वर्ष। एक-तिहाई सदस्य प्रति चार वर्ष बदलत रहते हैं। अन्तरराष्ट्रीय रिक्त स्थानों की पूर्ति अस्वार्थ रूप से राज्य की व्यवस्थापिका तथा द्वारा की जाती है।

उम्मीदवारों की योग्यताएँ

आयु तीस वर्ष—दम से दम मो वर्ष की मायसिद्धता—घोर निराश सम्बन्धी वाग्मता।

बाइल प्रेसीडेंट सीनेट का समापत्रिब करता है और दोनों पक्षों के समान मत होने पर अपना निर्वाचक मत देता है। जब बाइल प्रेसीडेंट प्रेसीडेंट का पद संभालता है तो सीनेट स्वयं अपना प्रेसीडेंट चुन लेती है। वह अपने अन्य अफसरों का भी चुनाव करती है।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव राज्य की व्यवस्थापिका मन्त्रियों द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के दोनों पक्षों का अधिवेशन पहली दिसम्बर को प्रारम्भ होता है। प्रत्येक सदन अगुवातन सम्बन्धी नियम बनाता है और हो-तिहाई बहुमत की सहमति से किसी सदस्य को निकाल सकता है। प्रत्येक सदन में कोरम के लिये सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन कम संख्या होने पर बैठक आगले दिन के लिये स्थगित कर दी जाती है।

कोई भी सदन कांग्रेस के अधिवेशन काल में बैठकों को तीन दिन से अधिक स्थगित नहीं कर सकती। कभी कभी बैठकें गुप्त होती हैं।

मुविषार्ण और मते — कोई भी सीनेट का सदस्य इती नये गैर लेनिक व्यक्ति पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और न किसी ऐसे ही पद ही पर नियुक्त किया जा सकता है जिसका वेतन बढ़ाया गया है। कोई अफसर सीनेट का सदस्य नहीं हो सकता। सीनेट घाय सम्बन्धी विषयों में सहोचन प्रस्तावित कर सकती है जबकि उनसे सहमति प्रकट कर सकती है।

सदस्यों को वेतन मिलता है।

इस पद को प्राप्त करने के लिए लोगों की बहुत इच्छा रहती है क्योंकि अधिक में स्थानित है और इसे नियुक्ति तथा संप सम्बन्धी शासन-सत्ता प्राप्त है।

ग्याब सम्बन्धी अधिकार — सीनेट को हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव कमिषनों पर विचार करने का अधिकार है। विचार करते समय सदस्यों को छुप छुप करनी पड़ती है। जब प्रेसीडेंट पर कमिषन लगाया जाता है उस समय भी वह अनरिब समापत्रिब करता है। इन्हें उपस्थित सदस्यों के हो-तिहाई के बहुमत की राय से दिया जाता है।

जैकोस्तोवाकिया

ऊँचा मवन सीनेट ।

मताधिकार आम प्रत्यक्ष समान मताधिकार । आनुपातिक प्रतिनिधित्व ।

न्यूनतम मताधिकार=२१ वर्ष की आयु ।

उपस्थान की आयु=१५ वर्ष ।

उपस्थान-संख्या=१५ ।

अवधि = ८ वर्ष ।

कानूनों को दोनों ही मवनों में प्रस्तावित किया जा सकता है । कानूनों पर दोनों ही मवनों की स्वीकृति आवश्यक है ।

यदि चेम्बर आफ डिपुटीज प्रस्तावित करे तो सीनेट को १—एक सप्ताह में पुष्टि कर देना चाहिए ।

२—आर्थिक बिलों की एक माह में पुष्टि कर देनी चाहिए । यदि सीनेट द्वारा प्रस्तावित हों

तो चेम्बर आफ डिपुटीज को उनकी पुष्टि ३ माह में कर देनी चाहिए । टिप्पणी — किन्तु यदि इसी बीच में किसी की अवधि समाप्त हो

जाय तो वह शेष समय नहीं बैठक में गिना जाता है ।

(i) यदि चेम्बर आफ डिपुटीज द्वारा प्रस्तावित हो, और सीनेट उसे अस्वीकृत कर दे तो चेम्बर आफ डिपुटीज के द्वारा पूर्ण बहुमत से

द्वारा पुष्टि किये जाने पर बिल पास हो जाता है । (ii) किन्तु यदि सीनेट तीन-चौपचाई के बहुमत से अस्वीकृत कर दे, तो चेम्बर आफ डिपुटीज के १/५ बहुमत की विल को पास करने के लिये आवश्यकता होती है । (iii) यदि सीनेट प्रस्तावित करे और चेम्बर आफ डिपुटीज

अस्वीकृत कर दे तो सीनेट द्वारा पुष्टि कर उसे फिर विचारार्थ में प्रस्तुत कर दे तो सीनेट द्वारा पुष्टि कर उसे फिर विचारार्थ में प्रस्तुत कर दे, तो विल को

एकदम त्याग दिया जाता है । इस प्रकार अस्वीकृत बिल द्वारा १ वर्ष

के मीटर प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। किसी मन्त्र द्वारा संशोधन का कार्य एक प्रकार से अस्वीकृति होता है।

कॉन्सिलन कमीनिमा को विद्या, तथा स्वामीय सरकार के संभव में स्वतंत्रता प्राप्त है और उसे राष्ट्र-सभ को अपनी कर्तव्य करने का अधिकार है।

: १३ :

पोलिश प्रजातंत्र

ऊँचा मन्त्र सीनेट।

कुनी हुई समा।

अधिकार —

सीनेट में संशोधन १० दिन के अंदर प्रस्तावित किये जा सकते हैं। वे बिल्ट द्वारा पास किये जा सकते हैं या ११/२२ के बहुमत से अस्वीकृत किये जा सकते हैं। ऐसी हालत में वे अस्वीकृत समझे जाते हैं।

४ प्रांत प्रत्येक प्रांत से एक-बोयार्ड सदस्य किये जाते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व।

सीनेट के सदस्यों की संख्या=बिल्ट की संख्या की एक-बोयार्ड।

मतदाता=प्रायु १० वर्ष।

सदस्य=प्रायु ४ वर्ष।

बिल्ट स्वयं अपने को दो-तिहाई के बहुमत से अपना प्रेसीडेन्ट उसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के १/५ के बहुमत की सहमति से मंग कर सकता है। ऐसी बैठकों का कोरम सदस्य संख्या का आधा होता है। सीनेट भी साथ में मंग कर दी जाती है।

१४

स्वीडन

ऊँचा मजदूरी सीनेट ।

संख्या १५ सदस्य । अध्याय रूप से चुने जाते हैं ।

सदस्य के पाठ चुने जाने के तीन वर्ष पूर्व से इतनी वार्षिक सम्पत्ति होनी चाहिए जिसका कर लगाने का मूल्य ५०, ० क्रोन (२, ००० पौण्ड) हो या वार्षिक आय १ ० क्रोन (१११ पौण्ड) हो ।

अध्याय ८ वर्ष । प्रति वर्ष २ सदस्य अध्याय प्राप्त कर लेते हैं । ये सदस्य काउन्सिली काउंसिलों और १ नगरों के महापौरों द्वारा चुने जाते हैं जो ८ समूहों में विभाजित हैं । प्रति वर्ष इनमें से एक समूह में चुनाव होते हैं ।

सन् १९११ ई० के बाद से स्वयं आयना स्वीकर चुनती है ।

दोनों मजदूरी को समान अधिकार प्राप्त हैं ।

जब दोनों चेम्बर अलग अलग मत देते हैं तो दोनों चेम्बर में अलग अलग मत-मंजूर कर निर्णय जामा जाता है । दोनों का बहुमत किसी विषय का निर्णय करता है ।

: १५ :

नार्वे

ऊँचा मजदूरी सेगटिंग

सेगटिंग का निर्माण स्टोरिंग के एक-बीचार्ड सदस्य चुने जाकर होता है । एक तीन-बीचार्ड प्रथम मजदूर, जो 'अडमिनिस्ट्रेशन' करता है, के सदस्य होते हैं ।

सैमटिंग तथा सुप्रीम कोर्ट, अथवा दोनों के तीस सदस्य मित्राकर दोनों के प्रेसीडेन्टों सहित रीलस्ट्रुक्ट का निर्माण करते हैं। रीलस्ट्रुक्ट काठमिण्ड काफ़ स्ट्रेट के विरुद्ध लगाये गये अभियोगों पर विचार करती है। अथवा स्पोर्टिंग का सुप्रीम कोर्ट अवेरटिंग के अभियोग पर विचार करता है। सैमटिंग का प्रेसीडेन्ट उभापक्तिव करता है। अभियुक्त एक तिहाई तक को चुनौती दे सकता है किन्तु न्यायालय की सदस्य संख्या मूलतः पंद्रह होती है।

यदि दो बार उपस्थित होने जाने पर सैमटिंग दोनों बार अस्वीकृत कर दे तो स्पोर्टिंग द्वारा दो-तिहाई के बहुमत से उस विषय का निपटारा हो जाता है। इनमें से प्रत्येक विचार विनिमय में कम से कम १ दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए। पाठ होने पर राजा को स्वीकृति प्रदान करेगा अथवा उसे वापिस भिज देगा। इस इच्छा में उसे राजा के सम्मुख हुजारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

यदि विश्व विना परिवर्तन लगातार तीन स्पोर्टिंग (चुनाव) से पाठ हो जाता है, तो एक वृत्त से दो सप्ताह होने वाले अभियेक्तों से दूर होते हैं और फिर राजा के सम्मुख राज्य के सिने साम्राज्यक बताना बाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वह स्वीकार कर लिया जाता है।

१६

आस्ट्रिया

ऊँचा प्रथम फ़ैडरल काउन्सिल

विधान तथा लोअर आस्ट्रिया को १२ सीटें दी गई हैं और अन्य प्रांत अपने-अपने क्षेत्रों की संख्या के अनुपात में सदस्य भेजते हैं। मूलतः संख्या तीन है। प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्वाम्पन्न भी नियुक्त किया जाता है। कम से कम एक सीट उस पार्टी को ही जाती है जिसके वृत्त नम्बर एक से ऊँचे मत पड़े हैं। प्रांतीय कानून द्वारा कानूनसभिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। चुनाव ऐसे व्यक्तिों में से होगा है जो प्रांतीय कानून के सदस्य नहीं हैं।

समापत्यव्यवहारी बारी से प्रांती के बाव लुह भाद के लिये बर्खमाला के अनुसार मम पर रहता है। यह पर प्रांत के उच्च व्यक्ति को मिलता मिलते अधिकतम मत मिले हैं।

दौरम के नियम मेरानल काठमिल के समान हैं।

यह मेरानल काठमिल के पाठ कानूनों में संशोधन आठ सप्ताह में फेरल वावसर हस्त भेज सकती है। किंतु मेरानल काठमिल द्वारा बुबरा पुष्टि (मसिआठ सप्ताह की अवधि में फेरल काठमिल फिर संशोधन न करे) कानूनों को प्रामाणिक कर देता है और कानून जारी कर देने करते हैं।

फेरल काँविल मेरानल काठमिल के कार्यवाही के नियमों को संशोधित नहीं कर सकती। न यह मेरानल काठमिल को मंग कर सकती है और न संघ के अनुमानों को स्वीकार कर सकती है। यह संघ के श्रुतों और संघ की सम्पत्ति का रक्षण भी नहीं कर सकती। उनमें यह परिवर्तन भी नहीं कर सकती।

फेरल काठमिल संघ के अनुमानों अथवा श्रुतों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

१७

इंग्लैण्ड

ऊँचा मजब हाउस आफ लार्ड

(1) इतने मिटिठ पीयर (peers) होते हैं। (ii) १९ स्टाटिठ पीयर होते हैं। (iii) बीबन मर के लिय बुने हुए २० प्राइमिठ पीयर होते हैं। (iv) चोर्क तथा कैस्ट्रबरी के चार्क विरय, तथा २४ लोट अथ विरयों के लिये होती हैं जिनमें लन्दन किम्बेस्ट्र, बरय के पाहरी अवरय रहते हैं। (v) और ६ कबूली लार्ड।

द्वी-पीयरों को लार्ड-भवन में बैठने का नियम नहीं।

पीयर—पर को स्थाया नहीं जा सकता, लेकिन जब प्रथम बार पर प्रधान बिबा जा रहा हो, उही समय उसे अस्वीकृत बिबा जा सकता है। पार्लियामेण्ट के कानून द्वारा अथवा विरय कानूनों से जन्म हो सकता है।

एक पीयर वह मॉग कर सकता है कि बेचद्वोइ अपवा मोर अपराध के अभियोग में पीयर ही ठसका विचार करें ।

लार्ड—मकन पर लार्ड चांठसर समाप्तिक्रम करता है किन्तु उस अनुशासन के कोई अधिकार प्राप्त नहीं । यदि वो व्यक्ति बोलना चाहे तो उसे यह भी निरपेक्ष करने का अधिकार नहीं कि कौन बोलेंगा ।

मकन स्वयं निर्णय करता है । वह मकन को स्वगिठ मी मरी कर सकता ।

कोरम १ । बुधवार तथा गुरुवार को बैठकें होती हैं । कमी कमी सोमवार तथा शुक्रवार को भी होती हैं ।

कानून पार करने के लिए २० सदस्य उपस्थित होने चाहिये ।

तीन अधिकार—(i) कोई भी सदस्य जागराव की मॉगकर वाइ विवाह प्रारम्भ कर सकता है । (ii) विशेष श्राय अधिकार । (iii) सदस्यों के लिए म्वाबालन । अपील कोर्ट है और हाऊस आफ कमन्स द्वारा जागाने वाले अभियोगों पर विचार तथा निर्णय करता है ।

हाऊस आफ लार्ड एक म्वायालय है जिसके सदस्य १ कानूनी लार्ड, लार्ड चांठसर तथा वे अन्य व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कमी कोई ठँबा कानूनी पर मार सम्हाला हो ।

पीयर के अभियोग पर सम्पूर्ण मकन विचार करता है । यदि ठसका अभियोग हो रहा हो कानून तथा कर्मों दोनों बारे में मरी तो मकन केवल कर्मों पर विचार करता है और लार्ड चांठसर कानून के सम्बन्ध में निर्णय करता है ।

शक्ति अधरोच—समस्त शासकत्व जिस को हाऊस आफ कमन्स में २ सगठार अभियोगों में, जिनके बीच का अंतर प्रथम तथा अंतिम विचार में २ वर्ष हो, पार किये गये हैं स्वतः ही पार होगये लयके जाते हैं ।

सग —यह २ लार्डों के एक कमीशन हमा किया जाता है जिनमें लार्ड चांठसर भी एक होता है ।

वे राजा का भाषण, मंग करत हुए, पढ़त हैं ।

१८

डैन्मार्क

ऊँचा मजबूत लैसड स्टिंग—

लैसड स्टिंग—७६ सदस्य होते हैं—इनमें से ५६ बड़े निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचक मण्डलों द्वारा चुने जाते हैं—और १९ सदस्य लैसड स्टिंग से व्यवस्थाग्रह करने वाले सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं। ५६ सदस्यों में से आधे का हर चौथे साल मया निर्वाचन होता है। १९ सीटों का भी हर चौथे साल चुनाव होता है।

प्रत्येक प्रांत में बर्ष हटा दिये जाते हैं।

सम्मेलनों की योग्यताएँ —

फास्टिंग के प्रत्येक मतदाता की आयु १३ वर्ष होनी चाहिये। उसे निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिये लेकिन लैसड स्टिंग द्वारा चुने गये १९ सदस्यों के सम्बन्ध में निवास सम्बन्धी योग्यता आवश्यक नहीं।

केवल वही है जो फास्टिंग के सदस्यों को मिलता है। प्रत्येक मजबूत अपने क्षेत्र में का स्वयं चुनाव करता है।

कोई भी मजबूत कानूनों को प्रस्तावित कर सकता है।

जब फास्टिंग क्लब को पास कर देता है तो वह लैसड स्टिंग के पास अधिवेशन के समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर मजबूत दिया जाता है।

वहाँ यदि वह पास न हो सकता हो तो मजबूत किसी सम्मेलन पर न पहुँचे तो एक जोइन्ट पार्लियामेन्टरी कमिटी नियुक्त की जाती है जो इस सम्बन्ध में अगली रिपोर्ट देती है और अपने सुझाव उपस्थित करती है।

एक पक्षवात् प्रत्येक मजबूत अपना निर्णय करता है।

और जब फास्टिंगो आम चुनाव द्वारा नये धिरे से बन जाता है तो वह अपने तात्कालिक अधिवेशन में क्लब को फिर एक बार स्वीकार का

लैबलरिडिंग के पास मेज देता है। बरि फिर भी कोई समझौता न हो सके तो राज्य लैबलरिडिंग को मंग कर देता है। इस अवस्था के अतिरिक्त लैबलरिडिंग केवल उभी और मंग होती है जब शासन विधान में संशोधन किया जा रहा हो।

राजा फ्रांसेरिडिंग को मंग कर सकता है।

द्विपक्षी —

सन् १९२८ ई. में एक बिल डेम्माई की अवस्थापिका समा में प्रस्तावित किया गया था जो बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हो गया था। इसमें शासन विधान में दो बड़े परिवर्तन प्रस्तावित किये गये थे। प्रथम यह कि रक्षा मन्त्र छटा दिया जाय, दूसरा यह कि मतदाताओं की आयु बढ़ा कर २१ वर्ष कर ही जाय; नये शासन विधान में अन्यत गबना (Referendum) के अधिक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। सन् १९३५ ई. के शासन विधान के अनुसार यह नये प्रस्ताव अन्तर्गत की राय जानने के लिये ली गये किन्तु प्रस्तावों के पक्ष में कुछ रजिस्टर्ड मतदाताओं के ४५ प्रतिशत के बहुमत से मत नहीं आये जो कि आवश्यक था। अतएव यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

. १६

वेल्लियम

ऊँचा मन्त्र सीनेट।

प्रत्येक प्रांत से उसकी जनसंख्या के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं। (१) आष हाइस आफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य (२) प्रांतीय काउन्सिलरों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा २००,००० निवाशियों के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुसार चुने जाते हैं। प्रत्येक १,२५० निवाशियों के नाम के पीछे एक अतिरिक्त सदस्य होता है। (३) सीनेट आधी रजका को मिला सकती (co-opt) है। (४) आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। (५) राजपुत्र, अस्त्रियम के राजकुमार, बरि

१८ वर्ष की आयु के हो, किंतु विचार-विनिमय में वे उच समक तक मारा नहीं लेते जब तक उनकी आयु २५ वर्ष की न हो ।

बोम्बेवाले (1) ने बेस्त्रिक्वम के नागरिक किन्हीं नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं । (ii) मंत्रियों, यूनीवर्सिटी के प्रेसु एटो, प्रांतीय गवर्नरों, पुराने सैम्ब अफसरों, प्रोफेसरों, व्यापारिक कम्पनियों के मैनेजर और वे मजदूर काठस्थलों के प्रतिनिधि जो २ वर्ष तक पदाधिकारी रह चुके हैं, सदस्यता के लिये लड़े हो सकते हैं । हाउस आफ रिप्रिजेंटेटिव तथा सीनेट के पुराने सदस्य भी लड़े हो सकते हैं ।

व्यापारिक व्यापारियों के स्थायी सदस्य और राबल एकेडेमी के पुराने सदस्य और प्रांतों के पुराने गवर्नर भी सदस्य हो सकते हैं । मंत्री तथा बेलीगेरानों के पुराने सदस्य भी चुने जा सकते हैं । एरोग्ग-इरमेंट के पुराने कमिश्नर भी लड़े हो सकते हैं । प्रांतीय काठस्थलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य जो कम से कम दो बार काठस्थल रह चुके हो किन्वो मास्टर (Bingo masters) पुराने एरडर मैन, (aldermen) और प्रधान नगरों के एरडरमैन भी चुने जा सकते हैं । बेस्त्रिक्वम काठों के पुराने गवर्नर-जनरल तथा बाइस-गवर्नर जनरल, उपनिवेशिक काठस्थलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य भी सीनेट के सदस्य हो सकते हैं । डायरेक्टर-जनरल और पुराने इन्स्पेक्टर जनरल ऐसी वास्तविक क्रायदाद, जितका व्यापार गया मूख्य १२, ०० फ्रोंक है और जिस पर १ फ्रोंक की कीमत का कर लगता है, के मंत्री, स्वामी अथवा उपयोग करनेवाले भी सदस्यता के लिये लड़े हो सकते हैं । ऐसी बैंक के जनरल मैनेजर किन्की पूंजी १० लाख फ्रोंक है । औद्योगिक संस्थाओं के प्रमुख किन्में १० व्यक्ति काम करते हैं और ऐसे कृषि-शामों के प्रमुख किन् में २० व्यक्ति काम करते हैं । ऐसे कृषि तथा उद्योग संबंधी समुदायों के चेयरमैन तथा सेक्रेटरी किन्की सदस्य सँख्या ५० या अधिक है । ऐसे चेयरमैन का कामर्त के प्रेसिडेंट किन्की सदस्य सँख्या १०० है । ऐसे मंत्रियों के निमागों की परामर्श परिषदों के सदस्य जो चुने हुए हैं और नये परिषदों के सदस्य

लैबरेटियम के पाठ मेक देता है। यदि फिर भी कोई समझौता न हो तबे तो राजा लैबरेटियम को मंग कर देता है। इत अवस्था के प्रतिष्ठित लैबरेटियम केवल सभी और मंग होती है अब शासन विधान में सशोबन किया जा रहा हो।

राजा फाबेटिंग को मंग कर सकता है।

द्विप्ययी —

सन् १९१८ ई. में एक बिल बेन्मार्क की व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तावित किया गया था जो बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत हो गया था। इसमें शासन विधान में जो बड़े परिवर्तन प्रस्तावित किये गये थे। प्रथम यह कि खेती नवन उठा दिया जाय; दूसरा यह कि मठवाताओं को अनुपद्रव कर २३ वर्ष कर ही जाय; नये शासन विधान में जनमत गणना (Referendum) के अधिक प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। सन् १९१५ ई. के शासन विधान के अनुसार यह नये प्रस्ताव जनता की राय बनने के लिये सौंपे गये किन्तु प्रस्तावों के पक्ष में कुछ एक्टिविस्ट मठवाताओं के पक्ष प्रतिष्ठित के बहुमत से मत नहीं धाये जो कि आवश्यक था। अतएव यह प्रस्ताव प्रायः नहीं हुए।

१६

वेल्लियम

ऊँचा मकन सीनेट।

प्रत्येक प्रांत से उसकी जनसंख्या के अनुसार सदस्य चुने जाते हैं।

(१) आये हाइस आफ रिप्रेजेंटेटिव क सदस्य (२) प्रांतीय काउन्सिलरों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा २००,००० निवातियों के पीछे १ प्रतिनिधि के अनुसार चुने जाते हैं। प्रत्येक १,२५ निवातियों के भाग के पीछे एक प्रतिष्ठित सदस्य होगा है। (३) सीनेट आधी संख्या को मिला सकता है (co-opt) है। (४) आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। (५) राजपुत्र, रेस्त्रिक्चम के राजकुमार, यदि

१८ वर्ष की आयु के हो, किंतु विचार-विनिमय में वे उठ समय तक माम नहीं होते जब तक उनकी आयु २५ वर्ष की न हो।

योज्यतायें (i) वे बेसिक्पम के नागरिक जिन्हें नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। (ii) मंत्रियों, मूनीबर्सिटी के प्रेसु एरों, प्रांतीय गवर्नरों, पुराने सैन्य अधिकारों, प्रोफेसरों, व्यापारिक कम्पनियों के मैनेजर और वे मजदूर काउन्सिलों के प्रतिनिधि जो २ वर्ष तक पदाधिकारी रह चुके हैं, सदस्यता के लिये लड़े हो सकते हैं। हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव तथा सीनेट के पुराने सदस्य भी लड़े हो सकते हैं।

व्यापारिक स्वायालयों के स्वामी सदस्य और रायल एकेडेमी के पुराने सदस्य और प्रांतों के पुराने गवर्नर भी सदस्य हो सकते हैं। मंत्री तथा डेप्युटी गवर्नरों के पुराने सदस्य भी चुने जा सकते हैं। एरोम्बट-इचमैंट के पुराने कमिश्नर भी लड़े हो सकते हैं। प्रांतीय काउन्सिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य जो कम से कम दो बार काउन्सिलर रह चुके हो, विन्गो मास्टर (Bingo masters) पुराने एस्टर मेन, (aldormen) और प्रधान नगरों के एस्टरमेन भी चुने जा सकते हैं। बेसिक्पम काउंट्री के पुराने गवर्नर-जनरल तथा बाइस-गवर्नर जनरल, उपनिवेशिक काउन्सिलों के पुराने तथा वर्तमान सदस्य भी सीनेट के सदस्य हो सकते हैं। डायरेक्टर-जनरल और पुराने इम्प्लेयर जनरल ऐसी वास्तविक ज्ञानदाह, कितना खाना गया मूल्य १२, • प्रॉक है और जिस पर १०० प्रॉक की कीमत का कर लगता है, के मंत्री, स्वामी अथवा उपयोग करनेवाले भी सदस्यता के लिये लड़े हो सकते हैं। ऐसी बैंक के जनरल मैनेजर जिन्की पूंजी १० लाख प्रॉक है। औद्योगिक संस्थाओं के प्रमुख जिनमें १ • व्यक्ति काम करते हैं और ऐसे कृषि-कामों के प्रमुख जिन में ५ • व्यक्ति काम करते हैं। ऐसे कृषि तथा उपयोग संबंधी समुदायों के चैबरमेन तथा सेक्रेटरी जिन्की सदस्य संख्या ५ • या अधिक है। ऐसे चैम्बर आफ कामर्स के प्रेसिडेंट जिन्की सदस्य संख्या १०० है। ऐसे मंत्रियों के विभागों की परामर्श परिषदों के सदस्य जो चुने हुए हैं और नये परिषदों के सदस्य

किन्तु व्यवस्थापिका कमा के दो-तिहाई के बहुमत से स्थापित किया गया है।

सीनेट के सदस्य उसी समय की असेम्बली तथा प्राये दो वर्ष तक असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते। कोई बैठन नहीं होता, किन्तु ४०० फ्रांक वृत्ति-पूर्ति के दिने जाते हैं, और साथ में मार्ग-भ्रष्टा भी मिलता है।

प्रत्येक चुनाव। उम्मेदवारों के क्रिये सम्पत्ति संबंधी बोधता नहीं है।

अवधि ४ वर्ष। पूर्ण रूप से बदली जाती है।

यदि सीनेट को मैन किया गया है, व राजा प्रांतीय कान्ट्रिओ को भी मग कर सकता है। बैठ उसी समय हो सकती है जब हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की बैठकें हो रही हों।

• २० •

इटली

कैबिना मन्त्र—

इसे हाउस आफ बार्ड तथा कैनाडा की सीनेट को सम्मिलित समझिये। इसके कुछ सदस्य (राजकुमार) वरागत (hereditary) होते हैं। अन्य सदस्य, जो संख्या में २१ होते हैं, इन बार उम्मेदवारों में से चुने जाते हैं—

१—विद्युत अथवा उच्च वर्ष-व्यवस्थापक।

२—सरकार से सम्बन्धित व्यक्ति—जस और स्पल सेना से संबंधित।

३—किन्हींने विज्ञान अथवा साहित्य में उपाधि प्राप्त की हो।

४—वे व्यक्ति जो निर्धारित न्यूनतम कर देते हैं।

सीनेट इस कारण पर किसी निम्नलिखित को अस्वीकृत कर सकती है कि वह इन उम्मेदवारों के अंतर्गत नहीं आता।

सदस्य संख्या—निर्धारित नहीं। वर्तमान संख्या ४०० है—विद्यार्थियों को सरकार के साथ संबन्ध विच्छेद जाने से स्थान नहीं मिला। मूनिचर्सिटीको तथा एकेडेमियों को सम्बन्ध प्रतिनिधित्व मिला गया है। वैज्ञानिकों तथा विद्वानों को कम स्थान मिले हैं।

अधिकतर वे सदस्य उच्च ज्ञान नामक हैं, चीनेट उन्हें स्थान प्रदान नहीं करने देती। मंत्रिमन्त्र चीनेट के प्रति उच्छरणी नहीं, वेम्बर आफ डिप्लोमेट के प्रति हैं। जब यह कुल करना चाहता है, तभी दिग्गज पैदा हो जाती है।

• २१

जापान

ऊँचा मयन—हाउस आफ पीयर्स।

इसे निचले मयन पर सर्वोच्च उच्च प्राप्त है। इसमें बजट में ठम मंदों को शामिल करने का अधिकार प्राप्त कर शिवा है जिन्हें हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव उठा देता है। सम्राट प्रेसीडेन्ट को नियुक्ति करता है। बाइस प्रेसीडेन्टों की भी वही सदस्यों में से नियुक्ति ७ वर्ष की अवधि के लिये करता है।

प्रेसीडेन्ट—५००० देन पाता है।

बाइस प्रेसीडेन्ट ३००० देन पाता है।

सदस्य—२०० देन पाते हैं। (देन ०५ डाक्टर) मार्ग मत्ता अक्षय मिसठा है।

इसमें १—सम्राट के परिवार के सदस्य होते हैं।

२—कुलीन्या की अवधि प्राप्त सदस्य होते हैं।

३—सम्राट द्वारा नामक सदस्य होते हैं—उच्चकुमार और मार्किसेज़—आयु २२ वर्ष—वयस्क होने पर स्थान ग्रहण करते हैं। काउन्सिल आफ काउन्सिल और बैरन की जमीन के अन्तर्गत उपुराय द्वारा बुने

जाते हैं—(आयु २५ वर्ष—समुदाय के)। प्रत्येक शहर और प्रौद्योगिक्य में कर-दाताओं द्वारा एक सदस्य चुना जाता है। अन्तिम प्रकार के सदस्य संख्या में १५ होतें हैं और उनकी आयु १० वर्ष का अधिक होनी चाहिये। ये निर्धारित अधिकतम राष्ट्रीय प्रत्यक्ष करों को देने वालों द्वारा अपने समुदाय में से ही चुने जाते हैं।

४—समाज द्वारा कियोप सेवा आयका विस्तार के कारण मामल—
आयु १५ वर्ष—इस प्रकार के सदस्य संख्या में दो से अधिक नहीं हो सकते।

सदस्य संख्या—१०४।

यह मकान प्राविधिक कानूनों को रोकता रहा है।

हाउस आफ रिजिस्ट्रेशन—१५ वर्ष की आयु से अधिक वाले सब पुरुष उम्मेदवारी के लिये लगे हो सकते हैं। केवल कुलीन परिवारों के प्रमुख, क्या आयका रबल सेना की सक्रिय सेवा में नियुक्त व्यक्ति, विद्यार्थी मिन्टों मतासम्बन्धी पादरी, मन्त्री, समस्त प्रकार के बनों के पादरी तथा शिक्षक, सरकारी आफसर, सरकारी ठेकेदार और वे पुरुष जो कानूनी रूप से आयोग्य हैं, सदस्यता के लिये लगे नहीं हो सकते।

मताधिकारियों की शोम्बता—आयु २२ वर्ष। उच्च विभाग में मतादाताओं की सूची बनने से कम से कम एक वर्ष पहले से उच्च विभाग में स्थायीरूप से निवास करते हों, और कम से कम १० वैन प्रत्यक्ष राष्ट्रीय करों के रूप में देते हों।

मठ गुप्त बैलेट (गुप्तपत्र) द्वारा दिया जाता है। नाम लिखे जाते हैं।

• २२

मैक्सिको

हाउस आफ रिजिस्ट्रेशन को निम्न किलिठ अधिकार प्राप्त है :—

१—प्रीसीडेंट के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल की तरह बैठता।

२—घोष के नियंत्रक के कर्तव्य पालन की वेतनमात्र करना और उसके लिए अफसर नियुक्त करना ।

३—बजट की स्वीकृति प्रदान करना ।

४—पब्लिक अफसरों के विरुद्ध अभियोगों पर ध्यान देना, उन पर अभियोग लगाना और ग्राह्य शूरी की तरह कार्य करना और उन समस्त अधिकारों का उपयोग करना जो उसे शासन-विधान द्वारा दिये गये हैं ।

उत्तरदायित्व —

१—हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य सीनेट की सदस्यों की मौखिक ही समस्त साधारण अपराधों और पदाधिकारों के रूप में किये गये अपराधों के लिये उत्तरदायी हैं ।

२—राज्यों के गभर्नर और राज्यों की व्यवस्थासिका समारोहों के सदस्य शासन विधान और फेडरल कानूनों को मंग करने के अपराधों में उत्तरदायी होते हैं ।

३—प्रेसीडेंट राजद्रोह और घोर अपराधों के लिए उत्तरदायी होता है ।

ऊँचा मध्यम सीनेट

इसमें प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि होते हैं और प्रत्येक फेडरल डिस्ट्रिक्ट के दो प्रतिनिधि होते हैं जो प्रत्येक चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं । उनके साथ स्थानापन्न भी चुने जाते हैं ।
अवधि ४ वर्ष ।

योग्यता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के समान ही है । आयु ३२ वर्ष । बिना उदस्यता लीये अन्य उरक्षारी पद ग्रहण नहीं कर सकता ।
कोरम = दो—तिहाई ।

स्थानापन्न को रोप अधिवेशन में उपस्थित होने की सूचना दिये बिना यदि कोई एक दिन या अधिक के लिये अनुपस्थित हो अनुपस्थिति के दिनों का वेतन प्राप्त

बजट—अंग्रेज पहली सितम्बर को राय साब बैठ कर बित्त की बांच पड़ताल करती है। बजट पर विचार करती है और अन्य कियों पर निर्णय करती है।

स्थगित करना—कोई भी मसल बिना वृत्तरे मन्त्र की सम्मति के तीन दिन में अधिक के लिये अधिवेशन स्थगित नहीं कर सकता।

सीनेट के पूण्ड अधिकार—

१—उन सन्धियों और समझौतों को स्वीकार करना जिन्हें प्रैसीडेंट ने अन्तिम रूप दिया है।

२—प्रैसीडेंट द्वारा नामकृत राजदूतों तथा काठम्बुओं की नियुक्ति की पुष्टि करना।

३—राष्ट्रीय सेना को बाहर जाने और विदेशी सेना को अन्दर आने की आज्ञा देना।

४—प्रैसीडेंट द्वारा मेरिजसगार्ड को बाहर मेजने के सम्बन्ध में सहमति देना।

५—प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध में अवतरो की पोषणा करना।

६—निर्धारित दिवसों में प्रान्थ बट्टी की तरह बैठ कर कार्य करना।

७—राज्यों के आपत में राजनैतिक मठ मेरों को सुलझाना।

प्रान्त और न्यायालय

१

आयर लैण्ड

कुछ अन्य बातें—

कोई भी पाठ हुआ बिल, डेल आयरन के सदस्यों के $\frac{2}{3}$ के बहुमत अथवा सीनेट के साधारण बहुमत की सिक्तिव माँग पर २० दिन के लिये संसूत्र किया जा सकता है। किन्तु हर २० दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही सीनेट आयरन के $\frac{2}{3}$ के बहुमत की माँग पर वा मतदाताओं के $\frac{1}{2}$ की माँग पर (अधिकांश विलों के अतिरिक्त) उक्त बिल पर अनुमत-माद्यमा (Referendum) की आज्ञा दी जा सकती है।

घोनों सबन मिलकर ओपरेण्ड (Oireachtas) करलाते हैं। यह अपने माध्यम व्यवस्थापिका सभाओं और पेशेवर काउन्सिलों को कानूनी अधिकार देकर स्थापित कर सकता है।

न्यायालय सुप्रीम कोर्ट।

सर्वोच्च अपील का न्यायालय—इसके निर्णय अन्तिम होते हैं किन्तु प्रिन्सीपल काउन्सिल के लिये अपील की छूट दी जा सकती है। न्यायाधीशों को ऐक्सीक्यूटिव काउन्सिल नियुक्त करती है पर दिलावे को वे सर्वनर-अन्तरा द्वारा नियुक्त करे जाते हैं।

हाई कोर्ट की कानून की वैधानिकता के सम्बन्ध में जीव कर सकती है।

: २ :

कैनेडा

सभ की हकार्याँ आस्ट्रेलिया में 'राज्य' और कैनेडा तथा ब्रिटीश अफ्रीका में 'प्रान्त' कहलाती हैं।

सरकार के प्रमुख की उपाधि—सेफ्टीनेट गवर्नर—ब्रिटीश अफ्रीका में उसे भीड़ कमिश्नर करते हैं। आस्ट्रेलिया में यर्नर करते हैं। उनका कार्य कानून गवर्नर-जनरल की हस्ता पर निर्भर है। वे उन केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करती हैं।

कैनेडेंट—अंग्लो-अमेरिकी तथा क्यूबेक की ऐन्ग्लो-अमेरिकी कैनेडेंटों केता गवर्नर-जनरल उचित समझे बना सकता है।

लैन्डोव्ही तथा रजिस्ट्रार—प्रान्तों का कानून—सरकारी भूमि का कमिश्नर—कृषिक तथा प्राइवेट निर्माण का कमिश्नर यदि उक्त समय निर्दिष्ट किया गया हो जब वह पद पर या छे पद मात्र सम्पादित रह सकता है क्यूबेक में ऐन्ग्लो-अमेरिकी काठस्थल के स्वीकार तथा लोकीसिटर-जनरल के सम्बन्ध में भी यही नियम है। केन्स लोका स्वामित्वा और न्यू इन्वन्सिड में पुरानी तरह काम चल रहा है।

क्यूबेक—वे एक सेफ्टीनेट गवर्नर तथा व्यवस्थापिका सभा के दो भवन हैं।

काठस्थल में सेफ्टीनेट गवर्नर द्वारा नियुक्त १४ सदस्य होते हैं। गोम्बता हीनेट के सदस्यों के समान ही है। फोरम १० है। लीफ्ट मत होता है, किन्तु दोनों पक्षों में बरम्बर मत होने पर प्रस्ताव फिर समझा जाता है।

ऐन्ग्लो-अमेरिकी असेम्बली में १५ सदस्य होते हैं। प्रत्येक एड-स्वामी ब्रिटीश आयु ११ वर्ष हो चुकी है, अंग्लो-अमेरिकी की ऐन्ग्लो-अमेरिकी असेम्बली में मत दे सकता है। अवधि ४ वर्ष है।

वेबल क्यूबेक में ऊँचा भवन है। क्यूबेक में स्थियों की मठाधिकार और व्यवस्थापिका की सदस्यता नहीं दी जाती।

राज्यमण्डि की राय लेनी होती है। प्रान्तों में सीमित क्षेत्र में प्राजुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग होता है। लैफ्टीनेन्ट गवर्नर तथा गवर्नर सम्राट के प्रतिनिधि होने हैं और सम्राट के विरोधाधिकारों का उपबोग करते हैं। प्रान्तों के एजेन्ट-जनरलों का सम्बन्ध के सामीनीयन प्रायः से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

सुप्रीम कोर्ट—कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। प्रेसीडेन्ट को एक रूपता बनाये रखने के लिये सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखने तथा नागरिक अधिकारों का स्थापन के लिये कृषि प्रवेश इत्यादि के सम्बन्ध में केवल उही समय और सीमा तक कानून बनाने का अधिकार है जहाँ तक वे प्रांतीय कानूनों के विरोधी न हों। क्रीमेटेरियो नोबा स्कान्डिया और म्यू इन्सुरिन्स में इनको लागू करने के पूर्व प्रांतीय व्यवस्थापिका समाधि द्वारा कानून की स्वीकृति लेनी जानी चाहिए। स्थायाधीशों को हाउस आफ कामन्स की प्रार्थना पर गवर्नर कन्सल पराम्युट कर सकता है।

राज्यों के स्थायाधीशों से प्रिन्सिपल को अपील की जा सकती है अथवा पहिले सुप्रीम कोर्ट में जाने के परन्तु उचकी कूट पर अपील प्रिन्सिपल को जा सकती है। प्रिन्सिपल एक भ्रमसातक क्रेनेश ने सुझाव दिया था कि प्रिन्सिपल एक भ्रमसातक मरवा हो, और क्रेनेश ने क्रेनेश के स्थायाधीशों को मिठा लिया करे।

• ३

ऑस्ट्रेलिया

गवर्नरों का सम्राट नियुक्त करता है। गवर्नर बहुमत पार्टी के नेता को प्रधान मंत्री नियुक्त कर देता है। और व्यवस्थापिका मन्त्र ४ अन्तर नियुक्त करता है जो व्यवस्थापिका द्वारा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यों का सम्राट की तरफ से सीधा सम्पर्क है। उत्तर पराम्युट पर गवर्नर नियुक्त किया जाता है। वे कानूनवैद्य सरकार अथवा गवर्नर

बानो बाहिए। जे समस्त आर्डिनिंग जो पाठ किये जायें गवर्नर जनरल के पास भेजे जाने बाहिए।

शासनकर्ता तथा जे काउन्सिलर जो सदस्य नहीं हैं काउन्सिलरों में भाग्य देने तथा ठठकी काफवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

शासनकर्ता को एग्जीक्यूटिव कमेटी में 'कार्टिंग बोट' मिली हुई है।

सुप्रीम कोर्ट

इसमें चीफ जस्टिस साधारण अपील के न्यायाधीश तथा प्रांतों के न्यायालयों के विभिन्न बिभागों में अनेक न्यायाधीश होते हैं। अरोबवाजे बिभाग से प्रिन्सो काउन्सिल को अनील जाती है।

चीफ जस्टिस - अनुचित व्यवहार अथवा अशोभ्यता के लिए पार्लियामेंट के एक ही अधिवेशन में दोनों मकनों के प्रार्थना-पत्र पर दयावा जा सकता है।

अपील के न्यायालय—चीफ जस्टिस तथा दो साधारण न्यायाधीश तथा २ अपील क न्यायाधीश।

६

फ्रान्स

सैमूअल (कमेटी)

सेमर आउट डिपुटीज के ११ ब्यूरो और सीनेट के ६ होते हैं। सभी पंचे डालकर (allot) चुने जाते हैं। सेमर आउट डिपुटीज के ११ कमीशन हैं जिनमें से प्रत्येक के १४४ सदस्य हैं। सीनेट की ११ कमिटियां हैं जो गुनकर से कार्य करती हैं। निज का रक्षिता उपरिपठ हो सकता है।

कुछ पार्ले—डाक्टर आउट कामन्स—इंगलैण्ड—की राक्षस पर पूर्ण अधिकार कानून में तथा वास्तव में प्राप्त हैं। सेमर आउट डिपुटीज

एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और एक-एक सदस्य स्वामी तथा अधिक का होता है ।

कार्य-काल ३ वर्ष के लिए होता है । १० वर्ष के समय में बिना हस्ताक्षर किये याचना मजदूरों से अधिक काम लिये मजदूरी बढ़ी है ।

५

दक्षिणी अफ्रीका

शासनकर्ता का कार्य-काल ५ वर्ष है और उनका वेतन प्रेसीडेन्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है । नियुक्ति में प्रांतीय विधायियों के साथ नियोजन विधायक की जाती है ।

एकबीक्यूटिव कमेटी में शासनकर्ता तथा ४ अन्य सदस्य होते हैं—वे काउन्सिल के सदस्य हो सकते हैं पर बाहर से भी लिये जाते हैं—काउन्सिल द्वारा चुने जाते हैं—उस समय तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उक्तविधायी में चुन लिये जायें—कार्य-काल निश्चित नहीं—इच्छाकामना रिक्त स्थान की पूर्ति या उसे काउन्सिल चुनाव से करती है या शेष सदस्य स्वयं मिताकर (co-opt) कर लेते हैं । चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है ।

कौंसिल जतने ही सदस्य होते हैं जितने कि उक्त प्रांत के हाउस ऑफ असेम्बली में सदस्य होते हैं किन्तु न्यूनतम संख्या १५ है ।

मंग नहीं की जा सकती ।

काउन्सिल स्वयं चेरमैन चुनती है—स्वयं अपने नियम बनाती है किन्तु गवर्नर जनरल तमैं अस्वीकृत कर सकता है ।

मंचा के नियम में गवर्नर जनरल की परिषद नियम करती है ।

शासन-सम्बन्धी अधिकार—समस्त विषयों में जो प्रांतीय सरकारों के लिये निश्चित नहीं । शासनकर्ता गवर्नर-जनरल का एकमात्र एजेन्ट होता है और काउन्सिल से अलग कार्य करता है ।

धार्मिक विदों की पहले से ही शासनकर्ता द्वारा नियंत्रित की

बानो बाबिए । वे समस्त आर्बन्धित जो पाठ किये सार्दे गवर्नर बनल के पास मेजे बाने बाबिए ।

शासनकर्ता तथा वे काउन्सिलर जो सदस्य नहीं हैं काउन्सिलो में मायस्य देने तथा ठसकी कार्यवाही में माग लेने का अधिकार रखते हैं ।

शासनकर्ता को एकमीस्प्रूटिव कमेटी में 'कार्डिय मोट' मिळी हुई है ।

सुप्रीम कोर्ट

इसमें चीफ जस्टिस, साधारण अपील के स्वायाधीय तथा प्रांतों के स्वायालयों के विभिन्न विभागों में अनेक स्वायाधीय होते हैं । अपीलवाले विभाग से प्रिको काउन्सिल को अनील जाती है ।

चीफ जस्टिस—अनुचित व्यवहार अथवा अपोम्पता के लिए पार्लियामेंट के एक ही अधिवेशन में दोनों सभनों के प्रार्थना-पत्र पर हत्या या सज़ा है ।

अपील के स्वायालय—चीफ जस्टिस तथा दो साधारण स्वायाधीय तथा २ अपील के स्वायाधीय ।

६

फ्रान्स

सैन्ट्रल (कमेटी)

सेन्टर आफ डिपुटीज के ११ स्यूटे और सीनेट के ८ होते हैं । सभी पसे डालकर (allot) चुने जाते हैं । सेन्टर आफ डिपुटीज के १९ कमीशन हैं जिनमें से प्रत्येक के १४ सदस्य हैं । सीनेट की १९ कमेटियां हैं जो गुमरूप से कार्य करती हैं । विल का रचविता उपरिपठ हो सकता है ।

कुछ पार्ले—हाउस आफ कामन्स—ईंगलैण्ड—की राज्य वर पूर्व अधिकार कानून में तथा वास्तव में प्राप्त हैं । सेन्टर आफ डिपुटीज

को केवल वास्तव में प्राप्त है। अमेरिका की हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव को न कानून के अनुसार और न वास्तव में।

सुप्रीम कोर्ट—कोई न्यायालय नार न्यायाधीशों का निर्णय बदल नहीं सकता लेकिन वा तो उसकी पुष्टि कर सकता है या उस मामले को ठीकी पर के अग्य निश्चये न्यायालय को भेज सकता है जिससे मामला आता है। समस्त न्यायाधीशों को संविमंडल नियुक्त करता है।

शासकवर्गीय न्यायालय—काठमितल आफ स्टेट का कानून को इस प्रकार लागू करने से संबंध है जिससे जनता शासकवर्गी की निरंकुशता से बचाई जा सके। इसके १५ सदस्य हैं, इनमें जाये सरकारी कर्मचारी होते हैं। समस्त जार्जिनस इसके पास होकर जाते हैं। कमी कमी वह उन्हें फिर से बना (redraft) देता है। सर्वोच्च शासक वर्गीय न्यायालय है। २१ अतिरिक्त विशेष काठमितल होते हैं। वह सरकार के एक कानूनी विशेषज्ञ परिपर के समान कार्य करती है।

७

स्विटजर लैण्ड

राज्य

(१) दो कैन्टनों में और ४ बर्न कैन्टनों में—कोई व्यवस्थापिक समार्वे नहीं है किंतु सभी प्रस्तावा उदस्त होते हैं। (२) हर को छोड़ कर अन्य कैन्टनों में व्यवस्थापिक समार्वे केवल एक भवन है (ये प्रारब काठमितल या कैन्टन के काठमितल करताते हैं।) वे काठमितलें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती हैं। हर कैन्टनों में अनुसूचित प्रतिनिधित्व लागू है। (हर में १ या ४ वर्ष के लिए) प्रत्येक काठमितल एक एकत्रीकृतिय कमीशन नियुक्त करती है वा फडरल काठमितल से मिलते जुलते हैं। (३) कैन्टनों को अपने शासन विधान बनाये की स्वतंत्रता है, किंतु वेब की स्वीकृति आवश्यक होती है।

सैन्य व्यवस्था कैबिनेटों के शासन में है। कैबिनेट शासन में कानून तथा न्याय संबंधी समझौते कर सकते हैं। संघ को पुनः तथा शान्ति का एक मात्र अधिकार है और व्यापारिक सम्बन्धों के लक्षण में भी।

दो कैबिनेटों तथा ४ अर्ध कैबिनेटों में समस्त जनता एक रविवार को प्रसह हरे मैदान में समा करती है (उदाहरणार्थ ग्रीस)। नारियाँ तथा बच्चे कुछ ठंडी हुई भूमि पर पीछे लड़े रहते हैं। उनमें अगले वर्ष के लिये पदाधिकारियों का चुनाव होता है। उसके अधिकार बहुत विस्तृत हैं। वह कर लगा सकती है, न्याय कर सकती है कानून बनाती है तथा व्यवस्थापिका समा के अन्य अधिकारों का उपयोग करती है।

फेडरल न्यायालय—संघ तथा और कैबिनेटों की सत्ता में किसी मतभेद के होने पर यह निर्णय करता है।

कानून-व्यवस्था संबंधी केंद्रीकरण के साथ ही शासन संबंधी विकेंद्रीकरण (decentralisation) है। संघ के कानूनों को कैबिनेट लागू करते हैं।

दो रत्न न्यायालय—२४ न्यायाधीश रहते हैं। वे देयट्रोह और कैबिनेट और संघ के विपक्ष अन्य अधिकारों पर विचार करते हैं। तथ्यों के निर्णय के लिये १२ सदस्यों की एक ग्री की सहायता ली जाती है—न्यायालय कैबिनेटों के कानूनों को सर्वैष घोषित कर सकते हैं संघ के कानूनों को नहीं। किन्तु वे समस्त संघ के कानूनों पर विचार करते हैं—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दृग स प्रलना कौत्रिये।

फेडरल न्यायालय कैबिनेट तथा नागरिकों के झगड़ों पर भी विचार कर सकते हैं, यदि दोनों ही ऐसा चाहें।

रिपब्लिकनसम में भी शासक बर्गसिय कानून Administrative Law है। मामले फेडरल वाठरिचन के समुदा उपस्थित होत हैं और अपील दोनों मन्त्रों द्वारा सुनी जाती है। सन् १९१४ ई० के बाद एक 'एडमिनिस्ट्रिटिव चार्ट' भी है।

कानून द्वारा बर्गीतों की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा नियत है।

८

जर्मनी

राज्य

रीज़ की स्वीकृति से राज्य विदेशी राज्यों से कानूनों के संबंध में समझौते कर सकते हैं।

अन्य राज्य स्वयंसेवक निर्वाचन में सम्मिलित हो सकते हैं। राज्यों में उत्तरदायी सरकारें हैं। नये राज्य तथा विभाज्य रीज़ द्वारा उन क्षेत्रों प्रदेशों की स्वीकृति से बनाये जा सकते हैं किन्तु पर इसका प्रमाण पत्रता है यह स्वीकृति रीज़ के एक तिहाई की मांग पर अलग होने वाले प्रदेशों के जन-मत-संग्रह (plebiscite) द्वारा ली जाती है और निर्वाचन मत देने के ३ बहुमत से अथवा समस्त मतदाताओं के बहुमत से होता है।

रीज़ कानून से सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर लेगी।

जुनाब संबंधी भूमकों का नियंत्रण रीज़द्वारा तथा सर्वोच्च शासक कर्मीय न्यायालय के न्य बांधीशों का एक कमीशन करता है।

सम्पत्ति संबंधी भ्रमके को अलग होने वाले राज्यों में उठ कहे हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियंत्रित जाते हैं।

राज्यान्व विषयों के नियंत्रण के लिये हाईकोर्ट तथा राज्यों के न्यायालय हैं।

६

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

राज्य सरकार का प्रमुख।

गवर्नर—बहुत महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है—जुना जाता है—जनता के मत द्वारा—उन पाठियों द्वारा नामज़द सरकारों में से किन्हें वे प्रत्यक्ष

प्रारम्भिक समाजों *Direct primary* में चुनते हैं—मिसौली के अतिरिक्त सभी राज्यों में वही विधान है। कुछ राज्यों में कम्बेउन हुआ कर उम्मेदवार नामजद करने की प्रथा अब भी है—कई वर्षों का नागरिक होना चाहिए—आयु ३ वर्ष—एक अक्षरि से राज्य का निवासी हो। शिक्षा-सम्बन्धी तथा धर्म संबंधी कोई योग्यता नहीं। प्रायः के लगभग राज्यों में कार्यकाल २ वर्ष है। रोय में (१ के अतिरिक्त) ४ वर्ष है। कई राज्यों में चुनाव लड़ा नहीं हो सकता। गवर्नर का राज्य में वही पद है जो कि प्रेसीडेंट का तब में है। डिप्टी वह प्रधान शासक नहीं है। उसके मातहत कार्य करने वाले उसके प्यान नहीं रखते। वे दूसरे राजनीतिक विचारों के हो सकते हैं और जनता के द्वारा चुने जाकर उसे परेशानी में डाल सकते हैं। उदाहरणार्थ—स्टेट कैबिनेटरी, आर्डीयर, कोषाध्यक्ष एकाउंटेंट-जनरल—जिन्हें गवर्नर हटा नहीं सकता। उसकी शक्ति उन अफसरों पर भी, जिन्हें वह नियुक्त करता है, बहुत कम होती है। वह किसी को पदच्युत नहीं कर सकता। सरकार के समान पद वाले अफसरों में ऊपर वह केवल एक होता है। व्यवस्थापिका समा-सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। नार्थ जेरोलीना के अतिरिक्त बोयो का अधिकार है। कुछ राज्यों में कांग्रेस के समान फिर से पाठ करने का अधिकार दिया हुआ है। उम्मेद श्रेय सकता है—बजट होता है—कार्यों सहित गवर्नर मेजता है—व्यवस्थापिका समा लगभग उसे पाठ करने के लिए बाध्य है। उसे आस्ताधारण अविशेषण हुआमे का अधिकार प्राप्त है—जिससे उसके बचाये गये विषयों पर विचार हो सके।

१—समा प्रदान का अधिकार। २—सैन्य शक्ति। (1) यह वह एक बोर्ड के सहयोग से उपयोग में लाता है। (11) आन्तरिक सेना का कमाण्डर इन-चीफ है—जो गवर्नर द्वारा बाहर मुलाई जा सकता है। यह स्थाई सेना नहीं—यहाँ एडम्टेंट जनरल के मार्फत कार्य होता है। व्यवस्थापिका समा में राजनेतिक योग्यता का अभाव। गवर्नर बहुत शक्तिशाली है। १५ राज्यों में लफ्टीनेन्ट गवर्नर भी हैं—जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। वे सोनेट का अल्पसंख्यक पद ग्रहण करते हैं और प्रेसीडेंट का स्थान रिक्त होने पर उस पद को ग्रहण करते हैं।

केबीनेट नहीं होती—केवल प्रमुखों की नियुक्ति गवर्नर करता है।

राज्यों के निचले मवन—

सदस्य संख्या १०० से १२५ तक। (न्यूनतम १२ तथा अधिकतम ४१२ हैं—पर वे प्रति के उदाहरण हैं।) ११ राज्यों में अवधि २ वर्ष है। अधिवेशन कम से कम ४० दिन तथा अधिक से अधिक ५ माह तक चलते हैं। २ या ३ राज्यों में मवन ४ वर्ष में एक बार अधिवेशन करते हैं—शेष सभी के वार्षिक अधिवेशन होते हैं। प्रैसीडेंट निर्वाचित होते हैं (स्वीडर नियम संबंधी कमेटी में तथा सय-कमिटीयों बनाने में बहुत अधिक प्रभाव रखता है। आम मतान्तर—गवर्नर तथा अन्य पदाधिकारियों का व्यवस्थापिका सभा में कोई स्थान नहीं होता। रजिस्टर ऑफिसों को स्थान नहीं। फ्रिड उक्त का नून को सुपीम कोर्ट में अवधि घोषित कर दिया है। कानून कमेटीयों की सहायता से बना है—कानून बजाय कुछ करने के आरा भाग रह जाते हैं। केवल मैटेपूसेट्स में कुछ अधिवेशन होते हैं। प्राइवेट बिलों का उद्देश्य व्यक्तिगत सम्पत्ति हानना होता है। पार्लियमैंट सद्योग द्वारा व्यक्तिगत नाम (Log rolling) धमकी देकर काम साधना (Block mail), हड़ताल, और सार्वजनिक मउप्रदान की प्रथम प्रवर्धित है।

ऊँचे मवन

ओरव संख्या १५। जेफ्रीनेट गवर्नर, यदि हो तो अप्स पर प्रभाव करता है, नहीं तो एक प्रेसीडेंट चुन लिया जाता है।

राज्यों के पास वे समस्त अधिकार होते हैं जो संघ को न देने गये हों। कॉंग्रेस के पास वही सत्ता है जो ही गई है। प्रांतीय मतराताओं का चुनाव कॉंग्रेस के सदस्यों का चुनाव तथा नामाङ्कन इसके माररपूब कार्य है। कॉंग्रेस के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करती है। कोई भी ११ राज्य शासन-विधान में संशोधन रोक सकते हैं। पार-सभा के सदस्य, न्यायाधीश, गवर्नर, वैसागिक प्रमुख काठग्टी तथा नगर पदाधिकारी बनता द्वारा चुने जाते हैं। इनके मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं से वास्ता है—व्यक्तिगत रूप में और समाज के सदस्य के लिये। विवाह तथा तलाक का नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय रेलों प्रांतीय बैंक, बीमा कम्पनियों, पेटे अलमें टाई अथवा परिवारिक का कार्य भी है,

माई, लकड़ी ठीक करने वाले, हॉटों के डाक्टर, अमिक, तार्बनिक स्वाल्प—अनायालय पागल खाने, दान पर शिक्षा, लकड़ें, मसुली स्पबलाय, जंगली जानवरों का शिकार, मृगना, कृषि मकन बीज गोदाम, शौच, धीबने के साधन सभी शामिल हैं।

: १० .

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट

प्राथमिक सत्ता

- १—राजदूत, तार्बनिक मंत्री तथा डाक्टरों के विषय में,
- २—वहाँ एक पक्ष राज्य हो।

अपील का सत्ता

कानूनी तथा तयों दोनों विषयों में है।

ये अपवाद हैं—

तन्वियों—बीती या मविष्पत्—के अन्तर्गत संघ के कानून।

ये समस्त मामले जो राष्ट्र-विधान के अन्तर्गत कानून अथवा अधिनियम के हो।

ये समस्त मामले जिनमें राजदूत, डाक्टरल शामिल हैं। जत्रसेना तथा समुद्र तट सम्बन्धी मामले।

ये विवाद जिनमें संघ ही एक पक्ष के रूप में हो।

ये विवाद जो राज्यों के बीच में हो।

एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिक के बीच में हो। एक दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच में हो, उसी राज्य अथवा भिन्न राज्यों के नागरिकों में हो।

एक राज्य के नागरिकों के बीच में हो जो दूसरे राज्यों में प्रदान की गई भूमि के सम्बन्ध में दावा पैदा करते हैं।

एक राज्य तथा उसके नागरिक के बीच में या विदेशी राज्यों के नागरिकों अथवा प्रजा-जनों से।

स्यावाधीश प्रेसीडेन्ट पर नियुक्त किये जाते हैं और सीनेट नियुक्तियों की पुष्टि करती है। अल्पसे स्वबहार तक पराधीन रहते हैं। वास्तव में स्वतन्त्र हैं। संख्या में ६ होते हैं। कानूनी तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों की आलोचना करते हैं और उनकी वैधानिकता का निर्णय करते हैं और अमान्य ठहराते हैं। इस प्रकार राजनैतिक बाह-विचार में स्वायत्तत्व भी सिद्ध करते हैं।

कानून तथा शासन-विधान में मर्यादा होने पर उनसे निर्णय के कारण उन पर वह आरोप लगाया जाता है कि स्यावाधीश कल्पना की राय को ठुकरा देते हैं। ठप्पर यह है कि कानून-दृष्टा शासन-विधान में भी निहित है। इस प्रकार विधान अधिक सीमा तक मान्य है।

साधारण स्यावालय

स्यावालय सर्वत्र नक तथा व्यक्तिगत हितों के चलनेवाले मध्यमों में निर्णयप्रमक माग लेते हैं—यही अमेरिका की सरकार का मूल सिद्धांत है।

उप के स्वायत्तत्व समस्त देश में विद्यते हैं। उनकी प्राथमिक (Original) तथा है, अपील की नहीं।

सर्कीट कोर्ट—अपील के हैं। संख्या ६।

कोर्ट आफ़ ड्रेमर—१ अल्प-युवक प्रहस्य करनेवाला स्यावाधीश, ४ उदायक स्यावाधीश। अग्रिम स्थापित करती है।

कोर्ट आफ़ कस्टमर अपील—निर्माण उपर के समान, ६ सर्कीटों (circuits) में बैठता है। और चुड़ी के मामलों की सुनवाई करता है।

ज़ैकोस्लोवाकिया

वैधानिक स्यावालय में ७ उदायक होते हैं—इनमें से २ शासन के हाईकोर्ट द्वारा चुने जाते हैं २ कोर्ट आफ़ कस्टमर द्वारा नियुक्त होते हैं

और ९ अन्य म्यायापीठ होते हैं। ये सदस्य तथा चेयरमैन प्रजातन्त्र के प्रेसीडेण्ट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

यह नियम करता है कि कानून शासन-विधान की प्रथम धारा के अमुकूच है अथवा नहीं।

: १२

स्लावों, कोर्टों तथा सर्वों का राज्य

काठमिण्ड आफ स्टेट एक सर्वोच्च म्यायालय है। इसके आगे म्यायाधीशों की निर्वाह राजा वन सदस्यों में से करता है जो नेशनल असेम्बली द्वारा नामकृत किये जाते हैं और रोय आगे नेशनल असेम्बली द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाते हैं किन्हीं राजा नामकृत करता है।

१३

पोलिश प्रजातन्त्र

सुपीम कोर्ट—

यह नियंत्रण का सर्वोच्च म्यायालय है। इसका काम दिहाव की अर्थ-व्यवस्था करना है।

इस सुपीम कोर्ट के प्रेसीडेण्ट का पद संशियों के बराबर है—किन्तु इन्हें शासक में कोई स्थान प्राप्त नहीं। वे शासक की $\frac{1}{2}$ के मत से पद श्युत किये जा सकते हैं।

पुनाव सम्बन्धी मसलों (जहाँ विरोध हुआ है) का निराकरण सुपीम कोर्ट करता है।

स्वीडन

सुप्रीम कोर्ट

इसमें १२ न्यायाधीश हैं जो "कार्टरिक्लरठ आण्ड ज्येज़" कहलाते हैं।

राज्य सरकारों की एक 'शासन परिषद' होती है जिसका काम राजा की सहायता के लिये ज़रूरी संघर्षी व्यवस्था उन निर्णयों के विरुद्ध जो कानूनी तरह से लागू हो चुके हैं प्रार्थना-पत्रों को लेना और उन पर निर्णय देना होता है।

एक 'शासन परिषद' के निर्णयों को स्वीकार शेष सभी की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है—बढ़ कम्पन की व्याख्या करता है और ऐसी व्यवस्थाओं के नियमों के विरुद्ध अपील करता है। विरुद्ध कार्य के समय ही ऐनिक अधिकाारी उपस्थित करते हैं और अपने विचार पेश कर सकते हैं।

'कानूनी परिषद'—

इसमें १ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और एक शासन परिषद का सदस्य होता है। इस परिषद का काम ऐसे कानूनों को, जो राजा के विचारार्थ मेरे जाते हैं बनाना, उन्हें स्पष्ट करना और राय देना होता है।

सार्वजनिक समिन्धों का न्यायालय—

इसमें 'स्वी कोर्ट ऑफ़ अपील' के प्रेसीडेंट और राज्य सरकार के समस्त शासन-बोर्डों के प्रेसीडेंट-मध्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध 'शासन परिषद' के हीनियर सदस्यों द्वारा बनाये मामलों या इन सदस्यों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाये गये मामलों में, सबसे ऊँचे ऐनिक और नाविक पराधिकारी, 'स्वी कोर्ट ऑफ़ अपील' के ही उच्च सदस्य और राज्य की शासन-बोर्डों में से प्रत्येक के ही हीनियर सदस्य भी बैठते हैं।

कोई भी श्वायापीश बिना विशेष कारण काम करने से इन्कार नहीं कर सकता। प्रैसीडेंट के कार्यों पर भी आपत्ति उठाई जा सकती है।

संसदी को इस कमेटी की सिफारिश पर कानून तोड़ने अथवा राजा के सामने रिपोर्ट पेश करने के अनुरोध में शासकनेक रूप से अग्रगण्य उद्देश्य जा सकता है। यदि वह कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो रिफरेंस राजा से उसे पदच्युत करने की सिफारिश कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट और 'शासन परिषद' के सदस्यों की योग्यता की जाँच प्रायः चार वर्ष पश्चात् रिफरेंस द्वारा नियुक्त की गई एक कमेटी करती है।

सदस्यों को वेतन का आधा पैगयन के रूप में देकर इनाम आ सकता है।

• १५

आस्ट्रिया

प्रांतीय सरकार—

प्रांतीय शासक द्वारा चुनी जाती है—वे शासक के सदस्य नहीं होने चाहिये किन्तु उनमें शासक की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए।

व्यवस्थापिका सभा :

प्रांतीय शासक—मताधिकार भेद्यनत्र कामिल के समान ही है।

प्रांतीय कानून गवर्नर लागू करते हैं। यदि ऐसा करने में तम की सहायता की आवश्यकता पड़े या सहायता मांगी जाती है, तो यह आवश्यक है कि प्रैसीडेंट असेम्बली उन्हें मजूर करे। किन्तु सरकार की मंजूरी के पक्षों ही प्रायः कानून को प्रांतीय मन्त्रिमण्डल के पालन भेजा जाता चाहिये। यदि शासक उच्छाह में कोई अक्षर उठे तो प्रांतीय शासक (उपस्थिति !) उसे दुबारा पाल कर सकती है। उठके बाद गवर्नर उसे स्वीकार कर लेता है।

बिधाना और लोअर आस्ट्रिया—

बिधाना के लिये शहर असेम्बली और लोअर आस्ट्रिया के लिये प्रांतीय असेम्बली है—ये ही उनके लिये प्रांतीय बजट के काम देती हैं। दोनों मिलकर सामान्य बिधियों पर निर्णय कर लेती हैं। मरी तो बाकी बातों में वे अपने आप अलग अलग काम करती हैं।

बिधाना का 'बर्गो मास्टर' ही वहाँ का गवर्नर होता है। शहर की सीनेट म्यूनिसिपल काउन्सिल द्वारा चुनी जाती है। वह बजट का प्रेसीडेंट होता है। मजिस्ट्रेट प्रांतीय शासकों के किलों का डायरेक्टर होता है।

सामान्य बिधियों के शासन के लिये 'डिप्टिमीनिस्ट्रेशन ऑफीस' हैं—बारी बारी से गवर्नर समाप्तिल करते हैं।

मामूली तौर पर डॉली की उबा नहीं ही जा सकती। म्याय संबन्धी कानूनएक सीनेट की नियुक्ति का निर्देश कर सकते हैं। वे संघीय सरकार के सरकार स्वावाधीयों के नामों को स्वयं भी मामूली कर सकती हैं—वह मामूलीगियों लाही स्थानों से संख्या में चुनी जा तिगुनी होनी चाहिए। म्यावाधीयों की नियुक्ति प्रेसीडेंट वा संघी करता है।

म्यावालय कानूनों को वैधानिकता के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकते। यदि उन्हें हो तो मामूली वैधानिक अदालत को भेजा जा सकता है।

वैधानिक स्वावालय को सभी शर्तों पर विचार करने का अधिकार है। (१) जो संघीय प्रांतों अथवा कानूनों पर किये बॉब किये मामूली म्याय के तरीके से नहीं निबटाया जा सकता। (२) अदालतों तथा शासक बर्ग के बीच के झगड़ों का फैसला करने का अधिकार है। (३) शासन और शासन संबंधी म्यावालयों के बीच के मामले भी इसके अधिकार में हैं। (४) शासन और वैधानिक म्यावालयों के बीच के मामले। (५) मेजलस काउन्सिल, फेडरल काउन्सिल, और प्रांतीय बजटों या अन्य सार्वजनिक प्रतिनिधि समाजों संबंधी कानूने तलप पुनावों का फैसला। (६) सार्वजनिक अमियोय लगाये जाने के प्रस्तावों पर यदि (अ) फेडरल असेम्बली फेडरल प्रेसीडेंट पर लगाने

का निर्णय करे, (इ) संघीय सरकार के सदस्य के विरुद्ध यदि नेशनल काउन्सिल ऐसा निर्णय करे, (उ) प्रांतीय सरकार के सदस्य के विरुद्ध यदि प्रांतीय काउंसिल ऐसा निर्णय करे, (घ) प्रांतीय सरकार के विरुद्ध यदि वह राजनीतिक अधिकारों को छीन ले (ङी) अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की अचूकता पर ।

इस न्यायालय में एक प्रेसीडेन्ट, और एक वाइस-प्रेसीडेन्ट होता है जिन्हें नेशनल काउन्सिल (सब सदस्य और प्रतिनिधि-बर्ग) मिल कर चुनते हैं । बाकी के आधे सदस्य फेडरल काउन्सिल चुनती है ।

१६

नावें

सुपीम कोर्ट

यह अपील का न्यायालय है । इसके ठाठ सदस्य हैं । साथ में एक प्रेसीडेन्ट होता है । इसके बाद कोई अपील नहीं ।

न्यायाधीश—आयु कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिये ।

: १७

इंग्लैण्ड

न्याय विभाग

सन् १८७३ ई० के न्याय संघीय कानून में वर्तमान न्यायालयों का ठोका स्थिर किया—

I न्याय का सुपीम कोर्ट—दो सालाघों में विभाजित है ।

(जैसे नीचे दिलाया गया है)

(क) न्याय का हाईकोर्ट


(ख) कोर्ट ऑफ अपील

II हाउस ऑफ मार्टिन या लार्ड जमा ।

III सिविल काउन्सिल की न्याय संघीय कमटी ।

I न्याय का सुप्रीम कोर्ट

(अब इसमें तीस से अधिक न्यायाधीश हैं)



(अ) चार्ली विभाग । (इ) डिस्ट्रिक्ट बैंच जिन्ही- (ए) प्रोबेट* डबार्ड
इसमें पाँच साधारण जून । इसके १५ न्याया और एडमिरेल्सी जिन्ही-
न्यायाधीश और लार्ड चीफ होते हैं । इनमें जून । इसमें दो न्याया-
चातलर प्रेसीडेन्ट एक लार्ड चीफ जस्टिस चीफ होते हैं । इसमें
होता है । जो प्रेसी एक प्रेसीडेन्ट होता है ।
डेप्ट होता है ।

न्याय के हाई कोर्ट के तीनों विभागों की अधिकार सीमा उनके नामों से ही पता चल जाती है । इनमें से प्रत्येक न्यायाधीश अलग-अलग मामलों को देखता है और इस प्रकार सब मिलाकर यह २५ न्यायालय होते हैं—

(क) अपील कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीश होते हैं—

१—(अ) ८ फलूनी लार्ड ।

(ब) 'मास्टर ऑफ रोस्ट' जिसकी अदावत स्वामी होती है ।

२—तीनों उच्चकोर्ट विभागों के प्रेसीडेन्ट जो कमी कमी तरह से होकर काम करते हैं ।

(३) लार्ड चातलर की अगुआई में चार के फलूनी तरह से तथा प्रेसीडेन्ट होता है ।

इनमें से किसी से भी अपील कोर्ट को अपील का लफटी है । अपील कोर्ट में तीन तीस न्यायाधीश का एक न्यायालय होता है और साधारणतया "३ स्पाको तरह से" को दो दो इस प्रकार को बैन्चे होती हैं क्योंकि कमी कमी काम करने वाले न्यायाधीश और लार्ड चातलर तो शायद ही कमी अतिवृत्त होते हैं ।

* प्रोबेट (Probate) का अर्थ वसोयतनामों की प्रामाणिकता नियमक बातों से है ।

इनके बाद काठमांडी (त्रिस्ता) न्यायालयों का मंगर घाटा है। इनके साथ ही उन न्यूनने वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी स्थान है जो जिलों में "एटाइबेज़" की तरह काम करते हैं। अंत में श्री १५वारी मामलों पर विचार करने के लिये (घ) कठिम अफ़्ट पीस (अथैवभिक), (ब) बौरो (स्थानीय) न्यायाधीश (थैवभिक) और हाईकोर्ट का न्यूनने वाली बैंच के न्ययाधीश होते हैं। श्री प्रथा दिन पर दिन कम होती जा रही है।

लार्ड समा

(ii) यह अपील का अंतिम न्यायालय है। इसकी बैठक उच्च समय होती है जब लार्ड समा का अधिवेशन न हो रहा हो। लार्ड अठसर समापकिल करता है। इसमें ३ अपील के साधारण लार्ड न्यायाधीश भी (अपील कोर्ट से) शामिल होते हैं। कभी कभी एक तीसरा (1) भी होता है। साथ में मूनपूर्व अठसर और हाईकोर्टों के एक या दो ऐसे मूनपूर्व न्यायाधीश भी होते हैं जो जब लार्ड समा में बैठने के अधिकारी हो पड़े हैं। लार्ड-समा के अफ़्ट उदर्य कमी माग नही लेते।

प्रिबी काउन्सिल की न्याय संवंधी कमीटी

(iii) इसमें लार्ड अठसर, अपील के साधारण लार्ड न्यायाधीश, और बाररी डोमानिकमों अथवा अधीन देरों का एक न्यायाधीश रहता है। भारत के लिये अंतिम न्यायालय यही है। क (ए) न्यायभक्त से भी प्रोबेट और एड मिरेक्ट्री विमाय की यह अपील मुनठी है।

: १८

वैलिजयम

सभी न्यायाधीश की आयोवन नियुक्ति होती है और बिना अधियाय बलाये किसी को पराप्तुत नहीं किया जा सकता; न उन्हें पद से मन्तुल ही किया जा सकता है और न तकादला ही। ऐसा केवल उनकी लक्ष्मि से और पूर्व नियुक्ति देकर किया जा सकता है।

(१) सबसे ऊपर एक 'कोर्ट ऑफ क्लेयम' प्रोटेस्ट में है। इसके स्वावाधीनों को राजा हो सचिवों में से, जिनमें से एक स्वावालय स्वयं तैयार करता है और दूसरी को सीनेट बनाती है, में से चुनता है।

(२) इसके बाद तीन प्रांतीय के स्वावालयों का मन्वर आता है जिसके सदस्यों को भी राजा हो सचिवों से चुनता है। इनमें एक स्वावालयों द्वारा स्वयं ही जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषदों द्वारा।

(३) इसके बाद 'प्रथम बार के स्वाव लनों' का मन्वर आता है—स्वावाधीनों को राज्य निष्पुष्ट करता है। किन्तु प्रेसिडेन्ट तथा बार-प्रेसिडेन्टों को राजा हो सचिवों में से निष्पुष्ट करता है। इसमें से एक स्वावालयों द्वारा हो जाती है और दूसरी प्रांतीय परिषद के द्वारा।

इसके भी बाद,

(४) 'एलाइज' के स्वावालय कोअररी के सिने है।

(५) सेन्स स्वावालय।

(६) व्यापार संबंधी स्वावालय।

(७) और 'अस्ट्रिठ ऑफ पीठ' के स्वावालय।

इस संबंध में कोई भी शासन संबंधी स्वावालय नहीं है।

स्वावालयों की बैठकें खुली होती हैं। पर नैतिकता या सार्वजनिक हित की दृष्टि से कुछ बैठकें हो सकती हैं।

राजनैतिक और प्रेत संबंधी मामलों में बूटी का प्रयोग आवश्यक है। स्वावाधीनों को हो सचिवों में से निष्पुष्ट किया जाता है। प्रेसिडेन्ट और बार-प्रेसिडेन्टों का स्वावालय स्वयं आपस में से चुनाव कर लेते हैं।

१६

जापान

स्वाय विभाग

१—स्वावालय सम्राट के नाम पर स्वाय करते हैं। सम्राट को फाइन और स्वाय का स्रोत कहा जाता है। स्वावाधीनों के पर

सुपरिष्ठ हैं। उन्हें बिना अभियोग बलाये पदच्युत नहीं किया जा सकता।

सुद्धरने और उनके फेरले सुत्री बैठकों में दिये जाते हैं, किन्तु सुत्री बैठक के नियम को कानून द्वारा या म्याबालय स्वयं यदि म्याबा-लय की कार्यवही का प्रकाशन शक्ति या शार्जबनिक नैतिकता की दृष्टि से हानिकर प्रतीत हो तो उसे मनसुप्त कर सकता है।

२—शासन सत्ता द्वारा अधिकारों पर हस्तक्षेप करने पर सुद्धरने बलाया जाने पर, अप्रथ नागरिकों के अधिकारों पर हस्तक्षेप होने पर मामला 'शासन सम्बन्धी सुद्धरनों' के अन्तर्गत सुना जाता है—बाधारण म्याबालयों के सामने नहीं—और ग्री की सहायता से सुनवाई होती है।

३—म्याबालयों को शासन-विधान की म्यास्या करने का अधिकार नहीं है।

सत्ता सम्राट के पास है—प्रस्तावित संशोधन सम्राट के द्वारा राष्ट्र के सम्मुख उपरिष्ठ किया जाता है—कोरम २।३ संख्या—प्रत्येक मकम में—संशोधनों पर विचार करने और उन्हें पास करने के लिए कम से कम उपरिष्ठ सदस्यों के २।३ के बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए।

डोकिबो में एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके नौ विभाग हैं। प्रत्येक में पाँच म्याबाधीश होते हैं। इसके अतिरिक्त सात अरील के म्याबालय हैं। उनमें भी नीचे ज़िबा के म्याबालय हैं। छोटे-मोटे मामलों के लिए मामूली म्याबालय भी हैं।

एक शासन-सम्बन्धी म्याबालय भी है जिसके म्याबाधीश प्रथा मंत्री की विचारण पर आजीवन के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

२१

डेन्मार्क

केन्द्रीय न्याय विभाग

न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं पर उन्हें वेतन मिलना रहता है।

सार्वजनिक अभियोग का न्यायालय—रीगस्ट्राट

सुप्रीम कोर्ट के सब साधारण सदस्य, और उनकी ही संख्या में ऊपरी मजब के सदस्य होते हैं। न्यायालय अपने प्रेसीडेन्ट का स्वयं चुनाव करता है। ऊपरी मजब के सदस्य अपनी सदस्यता से अलग हो जाने पर भी न्यायाधीश बने रहते हैं और कार्यवाही में भाग लेते हैं। मंत्री या अन्य सरकारी कर्मचारियों पर राजा या क्राउनटीन न्यायालय के सम्मुख अभियोग लगा सकती है। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

२२

इटली

न्याय विभाग

सब सरकारी कर्मचारी निजी अधिकारों—स्वार्थों में नहीं—वे हत्याघात करने पर साधारण न्यायालयों के सम्मुख पेश किये जा सकते हैं—झाँस से छुटना कीजिए वहाँ अधिकारों और स्वार्थों दोनों ही मामलों में एक-जा बर्तना होता है।

'कोर्ट ऑफ सेनेशन' (Cesation) एक विशेष न्यायालय है। यह समस्त न्यायालयों के ऊपर अन्तिम न्यायालय है। यह न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि कोई विशेष मुकदमा कितनी न्यायालय में जाना चाहिए।

न्यायाधीशों को सम्राट मंत्रियों की ठिकानिका पर नियुक्त करता है। साधारणतया सरकारी वे ही बनती हैं। कानूनी योग्यता अवरुध होनी चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए त्वांरहते होते करते हैं और

बद से झलगा नी किवा जा सकता है—ये सभी निरूपण 'बोर्ड आफ क्लेयरिंग' के सामने रखे जाते हैं।

बूरी प्रथा है—किन्तु उत्तोपजनक नहीं।

शासन संघर्षी ट्रिम्पून्तल —प्रत्येक प्रांत में है। म्यामाघोटी की नियुक्ति मंत्रियों की विचारों पर समझ करता है

मंत्र में हठी प्रकार की संस्था 'कार्टम्बल आफ स्टेट' है।

२३

मैक्सिको

संघीय राज्य

१—मैक्सिको के राज्य में लोक संघात्मक क्रिम की सरकारें हैं और उनमें लोकप्रिय प्रतिनिधि संस्थाएँ हैं। प्रतिनिधियों की संस्था जनसंख्या के अनुगत से है, किन्तु न्यूनतम संख्या १५ है।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य और एक स्थानापन्न चुना जाता है।

सीमाएँ राज्य के ऐजेन्ड के द्वारा कॅमिश्न की स्वीकृति पर निर्धारित की जाती हैं।

इन्हें मुद्रा और विनियम व्यवस्था अंतर्राज्यीय युगी संरक्षी अधिकार प्राप्त हैं।

२—शासन विधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि संघ तथा राज्य की व्यवस्थापिका समार्ये सरकार कम्प्री के लिये कामून बना सकेगी।

३—बिना कॅमेस की अनुमति के कोई भी राज्य तटकर वा पब्लिकर (Tonnage dues) नहीं लगा सकता और न स्थायी सेना या युद्ध-बोट ही रख सकता है।

४—राज्यों को, निर्देष्टी हमले से बचाव के लिये, लोकसभ की सहायता पाने का पूरा अधिकार है।

५—कोई भी व्यक्ति एक साथ दो पद, संघ के वा राज्य के प्रमुख नहीं कर सकता।

: ६ :

आधारभूत अधिकार व स्थानीय सरकार

१

आयरलैंड

आधारभूत अधिकार व स्थानीय सरकार

विधान विधियों को विचारार्थ रिफ़ॉर्म करने की उम्मीद को स्वीकार करता है और व्यवहारिक उपाय को मजबूत करने के अधिकार का विक्रम मंजूर करता क्योंकि सन् १९१९ ई० तक यह प्रथा प्रचलित नहीं रही थी।

आधारभूत अधिकार और भावनाएँ —

नागरिकता — कोई भी व्यक्ति जो स्वयं, या बिना उल्टे माता-पिता या लगे आयरलैंड में पैदा हुए हों या ७ वर्ष से रह रहे हों।

भाषा — आयरिश है पर इंग्लिश भी मानी जाती है।

किराया 'कॉन्ट्रिब्यूटिबल आउट स्टैंड' के परामर्श से कोई पदवी नहीं दी जा सकती।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता — किराया लेम्ब आयरलैंडियों के समान कुछ व्यवस्था विज्ञान के कारण — लम्ब को प्राप्त है।

धर्म और सम्पत्ति सम्बन्धी स्वतन्त्रता (आय ८)।

स्वतन्त्रता पूर्वक सोचने और उपाय करने का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का लम्ब के लिये प्रयत्न है।

उत्तम भूमि, वन, कानून और लम्ब परदाय राय को सम्पत्ति है और कानून के मुताबिक उम्मीद प्रकल्प होता है — कोई पट्टा (Lease) ९९ वर्ष की अवधि से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता।

ऑस्ट्रेलिया

साम्राज्य की सरकार के अधिकार :

कोई भी ऐसा बिल जो किसी काठस्थल को जाने वाली झपीलों को सीमित करता है या जो संघीय राज्य या किसी मदन के शासन विधान को परिवर्तित करता है या जो गवर्नर के बैठन में कमी-बेची करता है सम्राट की अनुमति के लिये रक्त लिये जाते हैं। अस्तित्व विषय में परिमर्नर से पहले ही यह अधिकार मिल गया हो तो यह आवश्यक नहीं।

निर्देश पत्र (Instrument of Instructions)—बिनों को सुपक्षित करने के विषय में—सन् १९९६ की साम्राज्य की कांग्रेस में इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक डोमिनियन को अपने बरेख मामलों में सम्राट को परामर्श देने का अधिकार है अर्थात् किसी बिल को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे विषयों में पहले से ही विचार-विनिमय कर सेना उचित समझ जाता है।

ध्यान—नौसे विधानों सहित यूनिवर्सल बेड वहाँ की सेना के लिये प्रयोग किया जाता है।

कनेडा

साधारण भूत अधिकार—इनमें सिखा भी सम्मिलित है।

दक्षिणी अफ्रीका

साम्राज्य की सरकार के अधिकार

कोई भी ऐसा बिल जो प्रीवि काठस्थल को जाने वाली झपीलों को

सीमित करता है या राष्ट्रीय राज्य का किसी मन्त्र के शासन विधान को परबर्धित करता है या गवर्नर के बैठन में कमी-बेशी करता है, सम्राट की अनुमति के बिना रण लिये जाते हैं। अन्तिम विषय में यदि गवर्नर से पहले ही वह अधिकार मिल गया हो तो वह आवश्यक नहीं।

निर्देशपत्र (Instrument of Instructions)—बिजों को सुरक्षित रखने के विषय में—उन् १९१६ की साम्राज्य की कन्वेंशन से इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक ओमिनिपन को अपने परेख मामलों में सम्राट को परामर्श देने का अधिकार है अर्थात् किसी मो विल को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे विषयों में पहले ही से विचार विनिमय कर लेना उचित समझा जाता है।

हिसाब-निरीक्षक (Auditors)—प्रत्येक प्रान्त में स्थायीन हिसाब निरीक्षक हैं जिन्हो विधान प्रेसीडेन्ट और गवर्नर बनरल की विवृति के नीचे निकाला जा सकता। उनको गवर्नर बनरल और प्रेसीडेन्ट निर्धारित करते हैं। कोष से धन लेने के आवापत्रों पर 'शाठक' के हस्ताक्षर होते हैं। उक्त पर हिसाब-निरीक्षक के भी हस्ताक्षर होने चाहिये।

सरकारी नौकरियाँ—प्रेसीडेन्टों को पद देने के लिये एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हुई, और उपरुक्तात् गवर्नर बनरल द्वारा प्रान्तों के लिये एक स्थानीय पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया गया।

भाषा—अंग्रेजी और उच्च राज्य-भाषायें हैं।

नागरिकता—उमस्त व्यक्ति जो राज्य में पैदा हुए हैं और विदेशी नहीं है—वे त्रिविध प्रकार के मूलनिबन में रहते हैं अर्थात् त्रिभूत मूलनिबन की नागरिकता दे दी गई है या वे जो मूलनिबन में तीन वर्ष से रहते हैं और मूलनिबन के मपिकों के अन्तर्गमे।

अन्य राज्य की नागरिकता अपनाते पर मूलनिबन की नागरिकता नहीं रहती।

धर्म—राष्ट्रीय धर्म और मूलनिबन धर्म—अर्थात् पुरानी रिपब्लिकन धर्म।

न्यूजीलैंड

युद्ध के पूर्व एक विदित चर्चित कमीशन बन गया है।
 स्थानीय सरकारों में—प्रतियों की योग्यताएँ स्थितियों के लिये
 पर्याप्त समझी जाती हैं। बोरो (Borough) काउन्सिलों के चेयरमैन
 पुने हुए होते हैं। कुछ बोरो नाट्यशालाएँ चलाती हैं। शिक्षा
 सम्बन्ध में बोरोमियन सरकार से सहानुभूति मिलती है किन्तु प्रमुख
 ११ बोर्ड करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है।
 नौकरियों में प्रतियोगिता द्वारा मर्ती होती है—आयु १४ वर्ष।
 डाक, तार और रेल विभागों के अनिच्छित यह काम एक गैर
 राजनीतिक चर्चित कमीशन के सुपुर्द है।
 तबही पद के अनुसार दी जाती है— किन्तु विभिन्न भेदियों में
 तबही देते समय परीक्षाएँ होती हैं।
 आभासमूर्त अधिकार—प्रतिपादात्त आस्ट्रिजा और कनाडा
 की भाँति ही इनसे बर्धित है। प्रत्येक चीन निवासी को जो देश में
 प्रवेश करता है १०० पीड 'कर'के रूप में देने होते हैं।
 ध्यजा—नीले नियाम का ही परिवर्तित रूप है।

फ्रांस

प्रत्येक मंत्री का अपना एक छोटा-सा मंत्रिमंडल रहता है जिसका
 एक प्रधान और एक उपप्रधान होता है। प्रधान और उसके सहकारी मंत्री
 के साथ ही आते जाते हैं—किन्तु बह जाते कमी-कमी ही हैं क्योंकि
 ही बोध में ठगड़े रखायी पद मिल जाते हैं। विभिन्न भेदियों में बहुत
 अक्षर हैं। विभागों का प्रमुख एक डायरेक्टर होता है। यह विभिन्न

उप-विभागों (Divisions) में बँटे रहते हैं और इनका प्रभान एक स्वामी अफसर होता है। सम्मत् ५००,००० वर्गवारी है। प्रतिबोहिता परीक्षाएँ होती हैं। अच्छी पर-बोम्बता और डिप्लोमिया के आचार पर ही जाती है।

न्याय विभाग—

कानून स्वामन-रवान पर अलग अलग है। प्रत्येक स्वाबाजब में स्वाबाधीशों की बँच होती है। ६० स्वाबाधीश हैं जसकि इंग्लैंड में १०० हैं। स्वाय-विभाय शासन-विभाग का एक अंग समझा जाता है।

ज़िला न्यायालय—५ १५

केन्द्रीय न्यायालय—१ १९ १०१६।

अपील का न्यायालय परित में है। इसके तीन विभाग हैं—सार्वजनिक अधियोग लगान वालों को एक स्वाबी बँच है। केन्द्रीय 'कोर्ट ऑफ एटाइज' में जूरी का प्रयोग होता है—केन्द्रीय कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट—४९ स्वाबाधीश हैं।

१ विशेष त्रिभुज है—

स्वाधारिक स्वायत्तप—मजदूर स्वाबाजब—छतिपूर्ति स्वायत्तप।

समस्त स्वायाधीश मजदूर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं—

उरकिर्बो—ठीस-बोयार्ड स्वामों पर से पर और बोम्बता के अनुसार की जाती है, शेष की अन्य तरीकों से। केन्द्रीय कोर्ट न्यायाधीशों के विरुद्ध दुर्भबहार सम्बन्धी मामलों की सुनवाई कर सकता है और उन्हें हटा सकता है।

शौक्यारी कार्यवाही का डग—प्रामाणिक बँच-पड़ताल कोठरी (केन्द्र) में होती है—उसके बाद स्वायाधीश अधिबुक्त से सम्बन्धी उरद अज्ञोत्तर करते हैं। शाधी के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। पाँच स्वायाधीश अधियोग लगाते हैं। इसके बाद मामला जूरी के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसमें १६ व्यक्ति होते हैं।

बीबानी पब किनको कि हानि हुई है, गवाहों को बुलाती है। पहले स्वायाधीश उनसे प्रश्न करते हैं और जूरी के उदरव भी। इसके बाद बकीस लोग अपनी पुकिर्बो देव करते हैं। अधियोग तहार्

तक़ाई को मुक्तिवो का लम्बन, फिर तक़ाई । म्यायापीय ज़ूरी के हावों में पूरा अधिकार नहीं आँवतो, केवल प्रश्न पूछते हैं । ज़ूरी प्रश्नों का उत्तर मतपत्री द्वारा देते हैं । म्यायापीय ज़ूरीवो के कमरे में जाता है ज़ूरी अमेरिका की तरह कभी भी म्यायापीय के पास परामर्श के लिये नहीं आती । ज़ूरी नर्ब प्रथम दृष्ट के बारे में अपनी तर्कनी करना चाहती है—म्यायापीय अधिसूक्त को केवल सर्व सम्मति से छोड़ सकते हैं लेकिन ज़ूरी की छु' बोट पक्ष और छु' विपक्ष में जाने पर या छत पक्ष और पाँच विपक्ष में जाने पर वे अधिसूक्त को दृष्ट नहीं दे सकते । राजनीतिक विषयों में और इच्छाल सम्बन्धी मामलों में ज़ूरी इसका दृष्ट देती है । अपराधों और आदेश में किये गये अपराधों के अस्तित्व कानून हैं ।

बन्दी अपने विद्व स्वर्ब साक्षी देता है ।

७

स्विटजरलैंड

जनरल धार्ते-केन्द्रीय और राजकीय ।

केन्दन राजन कानून और म्याय के लिये एक दूतरे से सम्झौते पर सकते हैं । संघ को मुद्र और शक्ति, म्यापार और सम्पत्तियों के एक मान अधिकार प्राप्त हैं ।

स्वाधी सेना मही रखी जाती । प्रायेक केन्दन में १०० सैनिक होते हैं । परेष्ट प्रौद्य का जर्ब केन्दन देते हैं, किन्तु धाम प्रौद्य के लिये नहीं ।

प्रायेक स्थित नर को सेव्य-सेवा करना अनिवार्य है ।

जन निर्माण द्वार्व एक केन्द्रीय विषय है । इसी प्रकार पुस्तित, जगलो और बॉबो पर केन्द्रीय नियंत्रण है । बज्र-शक्ति, टिर से क्यल जगामे, समुद्री आवागमन संरधी कानून, विज्ञानी, मज्जूषी पद्धतना शिफार करमा, बंगाली ज्ञानवरो की रक्षा, रेनो संरधी कानून, पेरी संरधी शिष्य संरधाये और विरुधविद्यालय—केन्दन के कर्त्तव्य हैं ।

आधारभूत अधिकार—१—पर कम्म और परिवार लक्ष्यो

कोई विशेष सुविधाओं नहीं। २—संघ के स्वास्थ्य विदेशियों से कोई मंड, पब्लिक इत्यादि स्वीकार नहीं कर सकते, ३—व्यापार की स्वतंत्रता सुरक्षित है—नमक, वास्तु और शराब को छोड़कर। ४—कैप्टन का प्रत्येक, नागरिक संघ का भी नागरिक होता। ५—राजनीतिक अधिकारों का उपयोग केवल एक कैप्टन में किया जा सकता है। ६—नागरिकता के अधिकारों का उपयोग करने के लिये तीन महीनों का निवास आवश्यक है। ७—नागरिकता प्रदान करना एक संघीय विषय है। प्रत्येक नागरिक को ज़मीं भी रहने का अधिकार है वरतों उसे अबोध्य पोषित न किया गया हो (अ) किसी अपराध में दण्डित होकर नागरिक अधिकार खिन जाने से, (इ) गम्भीर अपराधों में वापार बन्द पाने से, (ए) उर्ध्व जन्मिक धान पर ल्यावी बोझ होने से, (घो) और अन्य स्वयं के कम्पून वा कैप्टन द्वारा उसका लर्षा ठठाने से इन्कार करने से। ८—आश्रमिक स्वतंत्रता है—पर इस की आड़ में नागरिकता के कर्तव्यों को ठठाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। ९—बैतुपठ और इनकी कार्यवाही पर रोक लगी है। १०—नये धर्म के स्थापन और पाबन्धी लगे धर्मों को फिर से खठाने की मनाही है। ११—विवाह की रक्षा की जाती है। १२—स्त्री को पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। १३—विवाह से पूर्व दरमज ठठानें विवाह होजाने के उपरान्त नियमित मानी जाती है। १४—कैप्टन प्रेत की स्वतंत्रता की पारन्धी करते हैं। १५—श्रद्ध के लिये कोई कन्धी नहीं बनाया जा सकता। १६—किसी भी राजनीतिक अपराध में मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता। १७—मृत्युदण्ड नहीं दिया जाता।

८

जर्मनी

आपाटमूत और आम अधिकार

१—पञ्जा—काया माल और मुनदला। धन (१९३३ ई०) हवारी गई है पुरानी राजघाटी पञ्जा। २—आगे से जर्मन वा विदेशी पर

नहीं दिये जा सकते । १—ग्यामलयों और शिष्य संस्थाओं में सभी विदेशी भाषाओं का प्रयोग करने की इजाजत है । ४—राजनीतिक विचारों और समुदायों को बनाने की स्वतंत्रता है । ५—संघीय राज्यो के सदस्य आपस में स्वतंत्रतापूर्वक संबंध स्थापित कर सकते हैं और उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । ८—अधिक संतानों वाले परिवार विशेष सहायता पाने के अधिकारी हैं । ९—नाजायज़ बच्चों को पाला जाता है और उनकी रक्षा की जाती है । १०—कुले ग्राम होने वाली सभायें करने के लिये सूचना देनी होती है और उन पर रोक भी लगाई जा सकती है । ११—अफसरों के अधिकार—(क) अफसरों के विरुद्ध कोई रिमार्क बिना उन्हें सजाई का अधिकार दिये नहीं पदाया जा सकता । (ख) सम्पूर्ण विवरण देखने को मिलते हैं । (ग) अफसरों को राजनीतिक समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है । १२—धर्म—सिवाय ग्याम धर्मवा अर्थात् संघीय सूचना एकत्रित करने के कोई भी अपना धर्म बताने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । १३—धार्मिक संस्थाओं के संघों को कर सगाने का अधिकार प्राप्त है । १४—शिक्षा—कला, और विज्ञानों की—निःशुल्क है और इनके सम्पादन के लिये नियम बने हुए हैं । १५—निजी शिष्य संस्थायें भी राज्य के कानूनों के मातहत काम करती हैं । १६—शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, नागरिकता, राष्ट्रीय भावना, और भाई-भारे की भावना पैदा करना है । भाषा ही पेशे संघीय और व्यक्तिगत कुशलता बढ़ाना भी उसका उद्देश्य है । प्रत्येक छात्र पढ़ाई छोड़ने पर शास्त्र-विभाग की एक पुस्तिका पाता है । धार्मिक जीवन भी संयोजित किया जाता है जिससे मानव जीवन रहने योग्य बनाया जा सके—सम्पत्ति पर नियंत्रण है—भूमि पर नियंत्रण इसलिये किया गया है कि स्वस्थ पर और मित्रमयिता से पहरणी का काम चल सके ।

६

सोवियत रूस

स्थानीय सरकार

१—पुनश्च का टंग केवल गाँवों और मगरों में प्रत्यक्ष है । २ •

व्यक्ति से कम जनसंख्या वाले गाँवों का सम्बन्ध गाँवों के साथ एक समूह बना दिया जाता है। नगरों में केवल कारखाने और बड़े गोशाला खुलने करते हैं। यह प्रतिनिधित्व ५०० व्यक्तियों के पीछे एक के अनुपात में होता है। वार्षिक चुनाव। सरलता को मापन सुझाया जा सकता है।

२—बोसस्त सोवियत—१ गाँव के पीछे एक—इसका काम काम शान्त कार्य करना है। ठाक में एक बार अधिवेशन होता है लेकिन बेवरीनों की कल्पनाओं अक्षर होती रहती है।

३—बोसस्त कांफ्रेंस—माम सोवियतों की युद्ध या बेहती कॉमेस के सिने १०० के पीछे एक के अनुपात से डिपुटी मेकती है। अधिकतम संख्या १०० है। एक दर्जन विभाग हैं जिनमें युद्ध भव, शासन, राजस्व, शिक्षा, कृषि, अन्न और स्वास्थ्य भी है।

४—प्रांतीय कॉमेस या एक्सीक्यूटिव—इसमें बोलसत सोवियतों और नगरों से प्रतिनिधि आते हैं। बोलसत से १० के पीछे एक डिपुटी और नगर से २०० मतदाताओं के पीछे एक डिपुटी आता है। अधिकतम संख्या १ है, १५ विभाग हैं, इनमें नये विभाग हैं ग्वाय, डाक और तार और विशेष ग्वाय-विभाग भी है जिसे एक्सीक्यूटिव आरखीनरी कमीशन करते हैं।

५—प्रारक्षिक कॉमेस या ओपेरास्ट—कॉमेस या तो स्वयं एक्सीक्यूटिव अठसित्त द्वारा चुनाव का सकती है या स्थानीय सोवियतों की मॉग पर। यदि मॉग करने वाले स्थानीय निवातियों के कम से कम एक तिहाई हो और यदि नगर की तरफ से मॉग हो तो संख्या में आये हो। नगरों में वताह में कम से कम एक बार और बेहती में दो बार मिश्रण सम्भव है। १५ दिन में एक बार रिपोर्ट देनी चाहिए, यदि दो रिपोर्टें न ही अब तो इत्यादि जा सकता है।

६—आल रशिया कॉमेस—इसमें नगर सोवियतों से १५,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि और प्रांतीय कामत से १९,५०,००० निवातियों के पीछे एक प्रतिनिधि आता है।

राष्ट्रों के स्वतन्त्र संघ का एक संघीय प्रजासत्तव है। तमस्त शोषण का अन्त कर दिया गया है। भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त कर दिया गया है। यह जनता को बिना 'घृतिपूर्ति' के दे दी गई है। अमस्त

जमल, सूमि के अन्दर के ललित पदार्थ, मल शक्ति जानवर—आदर्श फार्म और बेनी बाड़ी को 'सर्वजनिक सम्पत्ति' घोषित कर दिया गया है। तृतीय कमिश्न ने शूयों की अस्वीकृत कर दिया और उनके बाद इस निरूपण की पुष्टि हो चुकी है। समस्त बँके सरकारको हस्तान्तरित कर दी गई है। काम करना प्रत्येक के लिये अनिवार्य है। मजदूरों को हकियत दिये जाते हैं। समाजवादियों की सहायता से शीघ्र को ऐक्य का बीड़ा बँटा लिया है। गुप्त सम्पत्तियों को मानने से इन्कार कर दिया गया है।

तृतीय कमिश्न ने अपना क्षेत्र कल तक सीमित रखा है और अन्य प्रदेशों को इस बात की स्वतन्त्रता देदी है कि यदि वे चाहें तो सोवियत बनाकर उसके साथ सम्मिलित हो सकें।

प्रतिनिधियों को वापस बुलाने (Recall) का अधिकार है।

सोवियत अधिकारियों की आम सम्पत्ति का कार्य—

१—बड़े निवेशों को कार्य रूप में परिचित करना।

२—राष्ट्रवैयक्तिक और आर्थिक बीकन के लिये व्यवस्था करना।

३—स्थानीय महत्व के प्रश्नों का निबटारा करना।

४—स्थानीय कार्यों की एक सूचि में बाँधना।

१०

जैकोस्लोवाकिया

ध्वजा—रबेत, लाल और नीली। राज्य ली जाती है, प्रजातन्त्र के प्रति बलवहारी—उत्तरे जातों का पालन करना कर्तव्यों को सदा शक्ति और योग्यता के अनुसार पूरा करना।

११

अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र

राज्यों के न्यायाधीश—छात राज्यों में गवर्नरों द्वारा आजीवन के लिये चुने जाते हैं किन्तु सीनेट या सेन्सिटिविटी काठम्भिल की सम्पत्ति

आत्मरक्षा है। सार्वजनिक अभियोग द्वारा हत्या का उद्देश्य है। वीच राख्यों में एक निश्चित अवधि के लिये और बाद में जीवन भर के लिये होते हैं। बार अन्य राज्यों में स्थायीतापिका समा द्वारा एक छोटी या बड़ी अवधि के लिये चुन जाते हैं। छोटी में जनता द्वारा चुने जाते हैं और एक में कम्य भर के लिये। वेतन १२०० पीड से लेकर कम-क्यामा है। विशेषतायें हैं—

(i) कम वेतन।

(ii) छोटा कार्य काळ।

(iii) पार्टी बीछों द्वारा चुनल—इनके कारण इन पदों के लिये लोग उत्सुक नहीं रहते, राज्यों के म्यावाबीरा पद में बकीलों से नीचे समझे जाते हैं।

सिबिल सर्विस—

बुगी और डाक—बैडानिक और कृष्णीकिक अफसर—राजदूत, अडमिटरल—प्रेसीडेन्ट के साथ ही उन पदों को छोड़ देते हैं—यह पार्टी की छूट समझे जाते हैं और इन पदों पर राजनीतिक नियुक्तियाँ होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति राष्ट्र के प्रति बल्लभदार न होकर अपनी पार्टी के प्रति बल्लभदार होते हैं। इन्हें पार्टी के फोच में पन्ना देना होता है और पार्टी के काम का पहला प्यान रखना होता है, नहीं तो निकाले जाने का डर रहता है। न तो पद के बारे में कोई निश्चितता होती है और न तरकी के बारे में। सन् १८८१ ई० से कुछ सुधार हो गये हैं। सिबिल सर्विस कमिशनर नियुक्त हो गया है—१९१, मीकरिबों इसके अंतर्गत आ गई हैं। फिर भी राष्ट्रीय सरकार १९०,००० पर अब भी पार्टी के हाथ में रहते हैं। बैडानिकों को छोड़ कर अन्य सरकारी अफसर बोम्ब नहीं। एक सिबिल सर्विस कमिशनर है जो ५००,००० रुप की नियुक्तियों में कम-क्या २८ ००० नियुक्तियों से संबंध रखता है किंतु प्रेसीडेन्ट किती भी अधिकतम को इस मंथी से निकालकर अलग कर सकता है।

स्पूनिस्वैडियाँ—दो प्रकार की हैं। (I) मेबर को यागरिकों द्वारा चुना जाता है; अवधि ४ वर्ष। म्यावाबीरा और मबिस्वैड मी ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। मेबर तथा काठमित्तियों को वेतन मिलता।

है। काउन्सिलों के कहीं कहीं एक और कहीं दो मकान होते हैं। (II) कमेटी व्यवस्था—हो से छः सदस्यों तक की एक काउन्सिल होती है—सब बैठन दिया जाता है।

(I) नगरों का शासन स्वयं नागरिक करते हैं—बहु व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो 'शासन-परिषद' बनाते हैं जिनसे बॉय-सकुल के अधिकार रहते हैं। अगले वर्ष के अफसर चुने जाते हैं। (II) काउन्सी—सब ग्याम के विभाग (सेक्टर) हैं। इनका शासन योको अगति के लिये चुने हुये अफसरों द्वारा होता है। काउन्सी काउन्सिल मरी होती।

काउन्सिलों (परिषदों) का काम निरीक्षण का नहीं है। अफसर काम चलाते हैं—कानूनों से कर्तव्य निर्धारित है। उत्तर-मध्य के परिषदी राज्यों में प्रथम जनता के हाथों में है। काउन्सी अफसर पार्टी के आचार पर रक्से जाते हैं।

राष्ट्रों का शासन अतकल्प है। अमीरों को दिलावली नहीं। मिथित जनता ठेकी से बढ़ रही है और कोई कर नहीं है। नागरिक पार्टी-बाजी के चिकार हो जाते हैं। जनता के मिथित होने का कारण उनमें इतनी अधिक एकता की भावना नहीं रहती—आयरिश अर्मन, पोल्स स्विड, इटैलियन, डेच, स्वीडिश स्ताप मैथियार, रशियन ग्रीक अंग्रेज, सीरियन, और पोलिश बहूदी। महाविचार बिना योग्यता का ध्यान रक्से दिया जाता है।

बदमाश लोग नगर के शासन और राज्य तथा तंप पर धीरे धीरे आधिपत्य जमा रहे हैं। वे अपने एक गिनोह बना लेते हैं या स्वयं 'बादशाह' बन बैठते हैं। शक्ति रक्से बोडों और विधविद्यालयों के हाथों में रहती है।

१२

पोलिश प्रजातंत्र

आधारभूत अधिकार—भूमि को दुकड़े दुकड़ करके नहीं बाँटा जा सकता।

स्वीडन

जीवन, यश, मजदूरी, व्यक्तिगत और वास्तविक सम्पत्ति, पर की शक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता—सभी सुरक्षित हैं।

अभियुक्त को क्षमा-प्रार्थना वा दण्ड दोनों में से चुनने की शूट है। विदेशियों को प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकता है (बर्न शास्त्र का नहीं), सेना में नियुक्त किया जा सकता है किंतु कितों की आवश्यकता नहीं लौपी जा सकता और डाकटरी पर दिया जा सकता है।

किशोरों को पाठशालाओं के पर नहीं दिये जा सकते।

माइलीकृत मायारिक को समान अधिकार होते हैं, किंतु उसे काठस्थित जफ स्टेट में स्वान नहीं मिल सकता।

बैरन (Baron) और काउन्ट (Count) की उपाधियाँ ही जाती हैं जो व्यक्तिगत और वैशुक होती हैं। आम अनिवार्य सेवक सेवा का नियम है राजी से की गई मर्चा से बनाई गई एक स्वाधी सेना मी रहती है।

प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि पहले से प्रकाशन पर निर्वन्ध (Censor) नहीं होता लेकिन बाद में दण्ड दिया जा सकता है।

नार्वे

अपराधी बह कदमे का अधिकार रखते हैं कि वे दण्ड भोगने वा राजा से क्षमा-प्रार्थना करेंगे।

राजकुमार जब पर दण्ड नहीं कर सकते।

व्यक्तिगत अपना निमित्त वैशुक उपाधियों वा सुविधायाँ की अनुमति नहीं है।

स्टोर्बिंग विदेशियों को प्राकृतीकृत करने के लिये नियम बनाती है। राष्ट्रीयता—सरकारी पद केवल राष्ट्रीय नागरिकों को ही दिये जाते हैं—को राष्ट्र-भाषा बोलते हों, राष्ट्रीय भाता-पिता की श्रुतान हों—अपुत्र अन्त के समय राज्य की प्रजा हों अथवा उस समय विदेश में हों किन्तु अन्त राज्य के नागरिक न हों और इस वैधानिक शासन के परभाव कम से कम राज्य में १० वर्ष तक रहे हों या स्टोर्बिंग द्वारा उनका प्राकृतीकरण हो गया हो।

अपवाद—अध्यापक (विश्वविद्यालय और कालेजों के), डाक्टरी अफसर और कन्सुल (Consuls)। ग्राम आचारमूठ अधिकारों को माना जाता है। कोई अर्ल अथवा बैरन नहीं है। और न मरिष्व में कोई बावीर ही था सङ्गी है।

एक वस् अनिवार्य रद्दा के लिये हुलाका दिया जा सकता है।

ईवेन्यासिक सुपर बर्म प्रचलित है—जैसुइस (Jesuits) को छदन नहीं किया जाता।

स्टोर्बिंग पौत्र दिशा-निरीघर नियुक्त करती है।

१५

आस्ट्रिया

सभ के आय-व्यय का लेखा एक 'कोर्ट आफ एकान्टस' नीच मेरानल काउन्सिल के मातहत होता है। उसका प्रेसीडेन्ट मेरानल काउन्सिल की 'मुफ्य कमेटी' के प्रस्ताव पर चुना जाता है—वह किसी प्रतिनिधि सरपा का सदस्य नहीं होना चाहिये और न मत पौत्र बर्षों में होना चाहा कोई मंत्री ही होना चाहिये। मेरानल काउन्सिल के प्रस्ताव पर हुलाका जा सकता है। सभ का प्रेसीडेन्ट अफसरों को नियुक्तियों करता है।

शासकवर्गीय न्यायालय—इसमें प्रेसीडेन्ट होता है। आय न्यायाधीशों को सभ सरकार नामङ्क करती है और पीपुल्स कमिश्नर स्वीकृति देता है। रोष आभ न्यायाधीशों को 'मुफ्य कमेटी' देखरक

काठनिष्ठ की सहमति से निम्नलिखित करती है। इस व्यवस्था का कार्य शासन और वैधानिक गारन्टीयों के संबंध में अंतिम अपील मुक्त है किंतु इस ढंग में लागू होने वाले समय को कम करने के लिये कानून बनाया जा सकता है किंतु यह कार्यवाही साधारण न्यायालयों या वैधानिक न्यायालयों अथवा सम्मिश्रित बोर्ड से सम्बन्धित विषयों में नहीं की जा सकती।

स्थानीय सरकार

कम्यून स्वामीन आर्थिक इकाई है। २,००० या कम जनसंख्या होने पर स्थानीय और २,००० से अधिक होने पर जिला या शहरी कहलाता है। स्वतंत्र राजस्व, कर और आर्थिक कार्य होते हैं। यह सम्पत्ति को ले सकता है और रख सकता है। स्थानीय—“एक बाजार के काम के लिये पुस्तक—इसका स्थानीय सुरक्षा के लिये होता है।

१६

स्लाशों, कोर्टों तथा सर्वों का राज्य

आधारमूठ अधिकार

समुदाय बनाने का अधिकार—बोलने—प्रेषकी—टैलीग्राम और डाक संबंधी अधिकार हैं।

युद्ध के समय वैयक्तिकता के अधिकारों को मंजूर किया जा सकता है। राजनीतिक अपराधियों के लिए मृत्यु दण्ड उठा दिया गया है किंतु राजद्रोह और कूट के अपराधों में अब भी यह बिना जाता है।

१७

ऐस्थोनिया

आधारमूठ अधिकार

कोई कानून बर्ग विभाग नहीं है। कोई भी उपाधियों देती या विदेही नहीं मानी जाती। प्रतिक्रारी के कानून बौने समय के लिये उभर

कर लागू नहीं किये जा सकते। प्राणमिक शिक्षा त्रिगुणक और अनिवाद्य है। भाषण की स्वतंत्रता है पर नैतिकता और देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुये कुछ रोकें लगी हुई हैं। बाक तार टेलेग्राफ़ के उन बोग में कोई हस्तक्षेप नहीं विधान स्वायत्तियों की आका के। बाहर संवत्सक बातों को अपने सरहति की उभति के सिमे अथवा संस्थाप्य बनाने की अनुमति है। अंतरसंस्थाओं की भाषाओं का प्रयोग बर्जित नहीं किंतु राष्ट्र भाषा सर्वोपरि है।

जर्मन-रुसियन-स्लोविय बालने की या लिखने की व्यवस्थापिका समा और स्वायत्तियों में लूट है।

• १८

इंग्लैण्ड

आधारभूत अधिकार

“ब्रिटिश प्रजा” शब्द के अंतर्गत व सभी व्यक्ति का आठ ई ओ राजा को मानने है। यह शब्द केवल ब्रिटिश हीनत्वमूहों के निवातियों तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक संस्थाओं में चलने वाले अधिकारों की कोई निबाध मोम्पता नहीं होती—न कोई अयोम्पता ही होती है।

: १९

बेल्जियम

आधारभूत अधिकार

नागरिकता के कानून हैं—प्रकृतीकरण, कबल कब पूर्ण होता है तो, विदेशियों को समान राजनीतिक अधिकार दे देता है।

सभी बेल्जियम-निवासी समान हैं—व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित है—पर में मही पुना आ लकठा—तत्प्रायी नहीं ली आ लकठो और न कानून के विरुद्ध सम्पत्ति ही लीनी आ लकठो है। सम्पत्ति और नागरिक

अधिकारों को एकदम पूरा नहीं होना जा सकता। वार्षिक स्वतंत्रता और पूजा की स्वतंत्रता सुरक्षित है। सामाजिक विवाहों के पूर्व तदा वार्षिक कृत्य किये जाने चाहिये—निजी शिष्टियों के प्रति कोई रोक नहीं है।

प्रेस स्वतंत्र है—किसी समय कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता—यदि दोषाहक के बारे में पता हो तो सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक वा क्लिप्टा पर अभिवोग नहीं लगाया जाता।

कुछे आम समा करने की स्वतंत्रता है, पर पुलिस के नियमों को मानना होता है—अधिकारों के लिये निवेदन-पत्र देने की छूट है—संयुक्त निवेदन-पत्र केवल कानूनी दम से संगठित संस्थानों ही दे सकती है।

बेस्विजन को भाषा के उपयोग में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। समस्त अधिकार राष्ट्र से प्राप्त होते हैं।

ध्वजा:—लाल पीली और काली।

राज्याभिवादन—बेस्विजन शेर—एकता में ही शक्ति है।

२०

स्पेन

कैस्टेक्षियन भाषा है।

बोलचा कर ही है कि स्पेन बुद्ध को राष्ट्रीय नीति का धारण नहीं मानता।

सर्वराष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय कानूनों का एक भाग माना जाता है।

मातृ मित्रकर राजनीतिक और शासन प्रवेश बना सकन है बशर्ते कि उसका अधिकार-पत्र उसकी सरकारी संस्थानों के बहुमत द्वारा पेश किया जाय वा मत-विभाजन में दो-तिहाई के बहुमत से स्वीकृत कर लिया जाय और दो-तिहाई मत-वाताओं द्वारा मान लिया जाय और फोर्टीज़ द्वारा उसके लिये सहमति दे ही जाय।

कोई मंद-भाष्य नहीं है और कोई राज-धर्म भी नहीं है।

आप्त आचार मूठ अधिकार दिये गये हैं।

परिवार, वार्षिक अवस्था, कितान, कलायें, और संस्कृति सभी की सुरक्षा का प्रयत्न है।

२१

डेनमार्क

पन्द्रह सदस्यों की एक कमेटी हाग जिसे व्यवस्थापिका-सभा के दोनों भवन चुन्ते हैं) चार दिवस निरीक्षण चुने जाते हैं। ये कागज़ों को देखमास के लिये मोंग सकते हैं और इस बात की परीक्षा कर सकते हैं कि ये कागज़ लम्बे हैं।

पुस्त्य कियो को समान अधिकार प्राप्त हैं।

राजधर्म—ईबेंगलिक्कन लुथरेन—राज्य इस पर्थ को बलाता है।

कानून के विरुद्ध न तो कोई कर लगाया जा सकता है—न सेना को इधर उधर भेजा जा सकता है—न कोई समझौते किये जा सकते हैं—न भूमि हीरी जा सकती है।

धार्मिक कारखों से न तो किसी के अधिकार कम होते हैं और न वह कर्त्तव्यों से ही लुप्तकारा जा सकता है।

नागरिकों को कुछ शर्तों पर राज्य से सहायता दी जाती है

निर्धन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है।

प्रत्येक व्यक्ति प्रकाशन कर कर सकता है किन्तु दरद भी पा सकता है।

कोई निर्बन्ध नहीं और न कोई रोक लगाने वाले कानून ही हैं।

सरकार किसी भी समुदाय को स्थायी रूप से भंग नहीं कर सकती।

२२

इटली

प्रान्त के समान ही हैं—केन्द्रीय क्रय—मंत्रियों द्वारा निरीक्षण होता है—२२ वर्षों में—व्यवस्था में अंतर है। प्रत्येक में प्रीटैक्ट होता है जो मंत्रियों की विचारित पर राज्य द्वारा निमुक्त किया जाता है—मौजे के अधिकारों को सरकारी देकर प्रीटैक्ट पर दे दिया जाता है। राष्ट्रीय सरकार का स्थानीय एजेण्ट होता है। राजनीति में तन्त्रिय मान्य

होता है—जुनाब के परिषदों के अनुसार उसकी उन्नति अथवा अवनति हो जाती है—प्रबन्ध विभाग के सरल्य (एक तरह का प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल) उसके काम में सहायता करते हैं ।

प्रत्येक प्रान्त में एक शासन परिषद है जिसकी बैठकें महीनों होती हैं—सबकाय के समक्ष वह एक कमीशन नियुक्त कर देती है । किन्तु प्रीफैक्ट राष्ट्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं । इस प्रकार प्रीफैक्ट और प्रान्तीय परिषद मिलजुल कर काम करती है ।

जिले और कम्पून है—शहर, नगर और गाँव स्थिति में कोई कानूनी भेद नहीं है—सभी कम्पून कहलाते हैं । मेयर तीन वर्ष के लिये चुना जाता है—उसे हटाया नहीं जा सकता—लेकिन प्रीफैक्ट उसे विदातर्त देता है और इस प्रकार वह जो स्वामियों का सेवक होता है । स्थानीय व्यवस्था में पार्षदकन्ती बहुत बहती है ।

. २३ :

जापान

आधारभूत अधिकार

१२ बाराघों में विनाए गये हैं—राष्ट्र विधान में नागरिक अधिकारों और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में पूर्ण पारम्बी नहीं है—लेकिन कानूनों ने इस कमी को पूरा कर दिया है ।

मताधिकार का विस्तार प्रेस और मातृश्री की स्वतन्त्रता । लार्ड कनिङ्ग लक्ष्य और राजनीतिक उद्बोधन बनाने के अधिकार—सौबहाती कानून में सुधार—वह सार्वजनिक अधिकारों के विकास के परिचायक हैं ।

पार्टी व्यवस्था —इन्दीरी (Indiri) के पारों और केन्द्रित है जो कि केन्द्रेतल व्यवस्था का अन्वय है किन्तु सब व्यक्तियों का स्थान नीतियों होती जा रही है । -

मैक्सिको

आधारभूत अधिकार और नागरिकता

(१) सभी व्यक्ति निम्न सुरक्षाओं का उपयोग करते हैं। (२) दास-प्रथा की मनाई है। बाहर से आने वाले दास राज्य में आकर स्वा-
 बीन हो जाते हैं। (३) शिक्षा निशुल्क है किन्तु धार्मिक नहीं। (४) कोई धार्मिक उरुधा अथवा धर्माधिकारी प्राथमिक स्कूलों को स्थापित
 नहीं कर सकता; और निम्न प्राथमिक स्कूल केवल अधिकारियों की
 अनुमति पर खोले जा सकते हैं। (५) सभी व्यक्ति किसी भी कानूनी पेशे
 को अपनाने में स्वतन्त्र हैं। (६) कोई भी व्यक्ति सिवाय कानून से
 और किसी भी तरह अपने परिभ्रम के फलों से बंधित नहीं रहता या
 सकता। (७) पेशों के लिये लाररैम्प कानून के अनुसार दिये जाते
 हैं। (८) समस्त धर्म स्वेष्यता निर्भर हैं। (९) किन्तु निम्न सेवार्ह
 अनिवार्य हैं (अ) सैन्य सेवा (ब) नदी कार्य (३) स्थानीय
 चुनावों में अफसर पद (६) चुनाव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सेवा (८)
 राज्य पेशे किसी राजीनामे या समझौते की अनुमति नहीं देता जो (i)
 मजदूरी (ii) शिक्षा (iii) नियोजित धार्मिक पदों या (iv) स्वेष्यता
 से किये गये उपचार के आधार पर स्वतन्त्रता को कम करते हैं। (१०)
 कोई भी धर्म-समझौता एक पक्ष के विरुद्ध या उसके हितों के खिलाफ
 एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं हो सकता न उसके द्वारा किसी भी
 नागरिक अधिकार को छोड़ा, कम या हस्त दिया जा सकता है। (११)
 समझौते के मंग करने पर कोई राजा नहीं दी जाती केवल सतिपूर्ति की
 जाती है। (१२) शोषण स्वतन्त्रता को मंग नहीं किया जा सकता।
 (१३) किसी अरुण के कारण मंग को हस्त नहीं किया जा सकता।
 (१४) आबेदन मेशने का अधिकार—शान्तिपूर्ण और आदरयुक्त हो
 तो उच्चतम अफसर के द्वारा दिना मना जाय। (१५) किसी
 भी स्वतन्त्र समुदाय को विचार विनिमय का अधिकार नहीं है। (१६)
 किसी भी वैधानिक और शान्तिपूर्ण स्वभाव के होने में कोई रोक नहीं।

(१०) विधान पुलिस निबन्धों के कानून द्वारा शत्रु रखने में कोई बकाबत नहीं है (१८) कुलीनता को उपाधियाँ नहीं बाँटी जा सकती। (१९) निजी कानूनों या विशेष अदालतों द्वारा अभिव्यक्त नहीं बल्लामे जा सकते। (२०) कोई विशेष सुविधाएँ या वेतन नहीं है कानून द्वारा केवल मुद्रास्फुरा निर्धारित है। (२१) वैयक्त शिक्षा केवल मैक्सिमो के नागरिकों तक ही अकार्ड के साथ सीमित रखी जाती है। (२२) कानून बीठी बातों पर ठठठकर लागू नहीं किये जा सकते। (२३) किसी व्यक्ति का जीवन उतकी सम्पत्ति या स्वतन्त्रता को बिना पहले से बने हुए कानूनों के अनुसार अभिव्यक्त बल्लामे हरकत नहीं किया जा सकता। (२४) ऐसे अपराधियों के सम्बन्ध में जो अपने देश से गुलाम हो अन्य देशों से अपराधी प्रवर्षण (Extradition) के लिये तन्धि नहीं की जा सकती। (२५) कानूनी तरीके के अतिरिक्त किसी भी तरह किसी को व्यक्तिगत हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। (२६) सहायी नहीं होती न कर्ज के लिये किसी को बन्धीपण ही भिजा जा सकता है। (२७) सिवाय ऐसे अपराधों के लिये जो बूधरे व्यक्तियों को थोड़ा पहुँचाने से सम्बन्ध रखते हैं और बरब के बोय है और किसी मामले में पहले से ही बन्धी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के बन्धी-गृहों के स्थान बेशों से अलग होते हैं। (२८) संघ और राज्यों की सरकारें इस आधार पर असावास संबंधी व्यवस्थाएँ और उपनिवेशों को संघटित कर सकते हैं कि परिभ्रम सुधार का माध्यम है। (२९) किसी भी व्यक्ति को अपने ही विच्छ ठाड़ी देने के लिये नहीं कहा जा सकता। (३०) बन्दी-जीवन का समय भी दण्ड के माग की तरह मान कर गिन लिया जाता है। (३१) राजनीतिक अभिव्यक्तों के लिये मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता। (३२) किसी भी औद्योगिक समूहों, एकाधिकारियों को कर से बरी नहीं किया जा सकता; न उद्योग को रक्षा का आधार लेकर विधान मुद्रा, अर्पीराइड, मोटों के अन्ध बल्लामों के असाध पर रोक नहीं लगाई जा सकती। (३३) ऐसी लोक स्वीड की, जिसके परिणाम स्वकम मुख्य बहुत अधिक बव जाव, अनुमति नहीं है।

द्विप्यथी—मजदूर तब और सहकारी समितियों को एकाधिकारी नहीं समझा जाता।

निवास और अगम—(I) मैक्सिकन माता पिता से उत्पन्न बच्चे चाहे वे देश में उत्पन्न हुए हों या विदेश में मैक्सिकन नागरिक समझे जाते हैं । विदेशी माता पिताओं की सम्पत्ति वसूल हो जाने के एक वर्ष के भीतर मैक्सिको की नागरिकता के लिये प्रावेदन करने पर नागरिक घोषित कर दिये जाते हैं । (II) नागरिक-करण—वे व्यक्ति जो लगातार पौष साल तक देश में रहे हों और ईमानदारी से जीविकोपार्जन करते हों और ऐसे व्यक्ति को मिथित रक्त के हों यदि अंगीकृत नागरिक बनना चाहें तो उनका नागरिक-करण कर लिया जाता है ।

: ७ :

राज्य और उद्योग तथा शासन- विधान में परिवर्तन

१ :

आयर्लैंड

राज्य और व्यवसाय तथा उद्योग के अधिकार—
पेरिस, बर्लिन और कैबोविक पोप के साथ सम्झौता ।

शासन विधान में संशोधन

उद्योग की शक्तों के अन्तर्गत ओ संशोधन किये जायें उन पर मस्त-
गखना की जाती है । या तो समस्त मठ शक्तों के बहुमत से उन्हें
मंजूर किया जाना चाहिये या आठे जाने वाले बोर्डों से ३ के बहुमत से
मंजूर किया जाना चाहिये ।

कौंसिल ने ही बैलर के डर से कि कहीं वह उसे शपथ की उड़ा देने
के प्रश्न को लेकर तंग न करे इसे १९१९ में रद्द कर दिया । अन्त में
पहले द्वारा संशोधन पेश किये जा सकते हैं बिना ही तो शासन के अन्तर
पार्लियामेन्ट की मामला पड़ता है । यदि पार्लियामेन्ट ऐसा न करे तो
७५,००० मठ शक्तों के हस्ताक्षर सहित एक आवेदन पत्र बिना
१५ • हस्ताक्षर एक निर्वाचन-क्षेत्र से होने चाहिये, पार्लियामेन्ट को
बाध्य कर देता है कि या तो वह स्वयं संशोधन कर दे या उस
प्रस्ताव को अनमठ-गखना के लिये भेज दे ।

२ •

कैनेडा

समिध अधिकार

कैनेडा के सम्बन्ध जोड़ियों और पेरिस से है ।

शासन विधान में परिवर्तन

त्रिदिव्य पार्लियामेन्ट ही कर सकती है । यदि कैनेडा की पार्लिया
मेन्ट चाहे तो ऐसा शीघ्र कर देती है ।

• ३

आस्ट्रेलिया

शासन विधान में परिवर्तन

राज्य के किसी मन्त्र प्रतिनिधियों की सन्धि से सम्बन्धित या
उसकी सीमाओं से सम्बन्धित मामलों में पहल बोट देने वाले मन्त्रालयों
के बहुमत से स्वीकृति मिल जानी चाहिये ।

१ - वैधानिक संशोधन दोनों मन्त्रों द्वारा स्वीकृत किये जाने
चाहिये या किसी एक मन्त्र द्वारा तीन माह का अन्तर देकर उसे दो
बार पास कर देना चाहिये ।

२—ऊपरवाट वह बृठरे मन्त्र को जाना है और फिर जनमत
गणना के लिये ।

३—राज्यों के बहुमत को उसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

• ४

दक्षिणी अफ्रीका

पूर्वियत में तब अगद निर्वाच व्यापार होता है ।

तन्नि अतिकार—बासिंगटन रोम और हेम के साथ सम्बन्ध है।
हर्दोग का दावा था कि बोमीनिम के पाठ पूर्ण राजसत्ता है और
उत्ते साम्राज्यवादी युद्धों में उदर्य रहने का अधिकार है।

रुसिनी कान्नीका की पार्लियामेण्ट कुछ सीमाओं के अन्दर साधारण
रंग से संशोधन या परिवर्तन कर सकती है। विशेष मामलों में दोनों
घरों की संयुक्त बैठक आवश्यक होती है और तत्परचात् दोनों के दो
तिहाई के बहुमत से उन्हें पास करना होता है।

राजन विधान १९२६ में संशोधित हुआ। उत्तमाशा अन्तरीप के
अतिरिक्त कहीं पर एशिया निवासी उदर्य नहीं हो सकते।

५ .

न्यूज़ीलैण्ड

आस्ट्रेलिया के संघ में इस दर से सम्मिलित नहीं हुआ कि वह
असके विरुद्ध उदर्य नहीं लगा सकेगा। मूमिकर बहरी हुई आज पर
वह जाता है—१ ०० पौंड पर एक पैन्थ प्रति पौंड से प्रारम्भ होकर
१६३००० पौंड पर पहुँच कर वह दर सात पैन्थ हो जाती है। अनुप
स्थित मामलों को २०/१०० अतिरिक्त देना होता है।

पहले रेलों का प्रबन्ध तीन उदर्यों का एक बोर्ड करता था। अब
एक मन्त्री करता है।

ओपरटर क्षेत्र तन्निज पदाओं के मोठ कोबले की खाने (जीवन
और आग का बीमा—अब अतिकर कम्पनियों द्वारा किया जाता है)
कितानों को उदर्य दर पर कर्ष मिलता है। पर बनाने, कृषि और
जंगलध के मामलों में उदर्यायी उदर्यायी को उदर्यता ही जाती है।

. ६ .

फ्रांस

दोनों घरों अल्प प्रस्तावों द्वारा, जो पूर्व बहुमत से पास होना
बाहिनै वैधानिक तुपार की आवश्यकता बतला सकते हैं। तत्परचात् वे

मिलाकर संशोधन करते हैं। यह कानून नेशनल असेम्बली द्वारा पूर्ण-बहुमत से पास होना चाहिये।

प्रजासत्तारमक शासन नहीं बदला जा सकता।

७

स्विट्ज़रलैंड

नागरिकता - स्वित नागरिकता का दावा कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो किसी कैन्टन के कम्पून का निवासी हो। प्रत्येक कम्पून को इस संबंध में नियम बनाने की स्वतंत्रता है।

शासन विधान में परिवर्तन—

सम्पूर्ण परिवर्तन—यदि एक मजबूत आड़े और दूसरा न चाहे—या ५० • • • मतदाता मौंग करें—तो संशोधन का प्रश्न जनमत-निर्णय के सिने मेज दिया जाता है। यदि बहुमत चाहे, तो संशोधन-कार्य के लिए दोनो मजबूतों का नया चुनाव होता है।

अंशतः संशोधन—जनता को पहले से या साधारण ढंग से संघ की व्यवस्थापिका समा कर सकती है। यदि कई संशोधन हो तो उनके लिए अलग अलग मौंग की जानी चाहिए। यह मौंग या तो आम दंग से रक्ती जा सकती है या बाइपास बिल बना कर मेजा जा सकता है।

संशोधन सभी लागू होता है जब नागरिकों और राज्यों का बहुमत उसे स्वीकार करे। आधे कैन्टनों का आधा मत होता है।

• ८

जर्मनी

जर्मन के व्यापारिक अद्यतन एक बहुत बड़े समुदाय बड़े के पैमाने पर है। जर्मनी की राजनीतिक सीमायें और तट इन सीमायें एक हैं।

तट-र और खुली का प्रथम रोज के हाथ में है किन्तु राज्यों के हित का ध्यान रक्ता जाता है।

ग्राम रेलों का राष्ट्रीयकरण करके एक-ही आवागमन-व्यवस्था स्थापित कर दी गई है।

शासन विधान में संशोधन—रीलस्यूय के ३ के बहुमत से होता है। जहाँ स्पूनरुम अपरिचित हो-सिखारं सरस्वों की होनी चाहिए। वहाँ वहाँ इनका निर्वाचन जन-मत-निर्वाच से होता है, वहाँ मत-दाताओं के बहुमत की एक पक्ष में होनी चाहिए।

बकि रीलस्यूय के बिना छहमति के संशोधन करने का निर्वाचन करता है और रीलस्यूय को छताह के मीतर नवे चुनावों की माँग करता है तो प्रेसीडेंट उसे एक तक जागू नहीं करता जब तक चुनाव के बाद फिर निर्वाचन न हो जाय।

• ६

सोवियत रूस

क्राजमिस्तव भाफ लेबर एण्ड डिफेन्स—

एक प्रकार का मंत्रिमंडल है जिसका कार्य आर्थिक और सैन्य विषयों का सम्भालन और उन विभागों के कमीशनों का काम पर नियंत्रण रखना है जो मीजे काम करते हैं; जैसे राख की आर्थिक योजना और राज्य के चुनाव कमीशन। वे कमेटी छोटे-बड़े कमीशनों की रिपोर्टें देलती है। जो निर्वाचन होते हैं वे कमसिबो आर कॉन्सिड को कार्य-समिति द्वारा सोवियत की कॉन्सिड को मीजे जाते हैं और उन्हें रेकल कमीशनों की परिषद और रजिस्टर एक्जीक्यूटिव कमेटी ही बदल सकती है।

शासन विधान में संशोधन—

७ बी, ८ बी, ९ बी कॉन्सिडो वे (१९१९-२१ में) आजाधों से बेचनिक परिषदतन किये।

बिरोप—प्रीसीडिबन को वीपुस्त कमीशनों की परिषद के निर्वाचों को मानने, संकल कर देने, टाल देवे का अधिकार है। सैमरुस एक्जीक्यूटिव कमेटी पुनर्निर्वाच करती है।

रिजिबो—सोवियत के विधान का मार्च १९१९ में सामूल-नूब परिवर्तन हुआ। नया शासन विधान 'श्रमसिब शासन विधान' कहलता है।

१० .

जैकोस्लोवाकिया

युद्ध घोषणा और वैधानिक संशोधन—

इनके लिये प्रत्येक मकान में समस्त सदस्यों के ३ के बहुमत की आवश्यकता होती है।

. ११ .

पोलिश प्रजातंत्र

शासन विधान में परिवर्तन—साधारण बहुमत द्वारा दोनों मकानों की सम्मिलित बैठक द्वारा होत है, किन्तु विधान के प्रथम १० वर्षों में केबल बाइट का ३ बहुमत ही संशोधन कर सकता है।

१२

अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र

साधारणतः अधिकार

बिना दसह पासे बन्दी बनाने को रोकने वाले आठ-वच संसूच नहीं किये जा सकते।

कुलीनता की उपाधियाँ नहीं दी जा सकती।

दासता या अन्य अन्यायपूर्ण काम करने के बंधनों को नहीं माना जाता।

प्रथम ११ संशोधन साधारणतः अधिकारों से संबंध रखते हैं।

कानून में सम्प्रेषण द्वारा नागरिक अधिकारों को हानि देने के विरुद्ध आदेश है और न ऐसे कानून बनाने का रोकने है जो समझौते के अन्तर्गत किये गये हैं।

नागरिकता

नागरिकता के उत्सर्ग मताधिकार नहीं है। मताधिकार के नियम राज्य बनाते हैं। इसके अर्थ यह हुए कि बिना राज्य में मताधिकार पाये भी कोई व्यक्ति प्रेसीडेंट या कॉंग्रेस का सदस्य हो सकता है—क्योंकि विधान के अनुसार कोई भी सम्भवतः नागरिक प्रेसीडेंट हो सकता है और कोई भी नागरिक कॉंग्रेस का सदस्य।

शासक विधान में परिवर्तन :

जब भी राज्यों में १/३ के बहुमत से मींग हो, या २/३ राज्य परिवर्तन के लिये कन्वेंशन की मींग करें और इस प्रकार परिवर्तन के लिये प्रस्ताव हो और १/४ कन्वेंशन उसे स्वीकार कर लें। किन्तु किसी भी राज्य को सीनेट के उसके समान प्रतिनिधित्व से, बिना उसकी सहमति के बंधित नहीं किया जा सकता।

इस कॉंग्रेस के कन्वेंशन के प्रस्ताव द्वारा; २/३ राज्यों की व्यवस्थापिका समारोहों की प्रार्थना पर और १/४ की स्वीकृति देने पर।

ऊपर के समान प्रस्तावित किन्तु राज्यों के १/४ कन्वेंशनों द्वारा स्वीकृत किये जाने पर।

बैधानिक संशोधन अपेक्षाकृत बहुत कठिन है।

कभी तक आम कन्वेंशन नहीं बुलाये गये।

पार्टी-संघर्ष—प्रारम्भिक १ पार्टी-रिपब्लिकन को खोटना।

२—कन्वेंशनों के लिये पार्टी-डेपूटियों का चुनाव। ३—पार्टी के

स्थानीय काम-काज करना।

१३ •

स्त्रियों, सबों, कोटों का राज्य

वैधानिक परिवर्तन

इसके लिये पहले राजा या असेम्बली द्वारा होनी चाहिये—व्यवस्थापिका समा औरत भंग कर ही जाती है और ४ माह के भीतर उठ

का पुनः संगठन हो जाता है—नई व्यवस्थापिका समा शासन विधान पर विचार करने के पश्चात् फिर मग हो जाती है और उठका फिर पुनर्गठन होता है ।

१४

स्वीडन

राज्य के बैंक रिफरेंस को गारंटी में है । राज्य इसके प्रबंध के लिए कमिश्नर मेवता है ।

केवल वही नोट प्रचलित कर सकता है ।

शासन विधान में परिवर्तन—

परिवर्तन के लिये पार्लियामेन्ट को मंग करना होता है और वैधानिक प्रश्न को लेकर चुनाव लड़ा जाता है और नया मन्त्र एक वैधानिक असेम्बली की तरह भी काम करता है ।

इसके अतिरिक्त एक निरिपत क्षेत्र और बियेय बहुमत की भी आवश्यकता होती है ।

१५

नार्वे

शासन विधान में परिवर्तन—

प्रस्तावों को रदियम की पहली या दूसरी बैठक में मेवता होता है । उक्त पर अगले चुनाव के पश्चात् पहली या दूसरी रदियम में विचार हो सकता है यदि संयोजन शासन विधान की भावना के प्रतिकूल न हो । रदियम को ३ की बहुमति होनी चाहिए ।

: १६

आस्ट्रिया

शासन विधान में परिवर्तन—

संशोधन—फोरम ३। उपस्थित सदस्यों के २ के पक्ष में मत मिलने चाहिए, यदि फेडरल कांस्टिटुशन या गैरानल कांस्टिटुशन उसे चाहे।

वर्तमान शासन विधान में वर्तमान कानूनों द्वारा संशोधन किया जा सकता है यदि इसका प्रभाव संघ के विधान पर न पड़े (उपस्थिति-१, २ का बहुमत)—और उनका पुनर्निर्माण १ छत्र में हो जाना चाहिए।

• १७ •

इंग्लैंड

शासन विधान में परिवर्तन—

साधारण कानून बनाते ही उन्हें ही संशोधन भी किए जा सकते हैं।

: १८

बेल्जियम

शासन विधान में परिवर्तन—

एसेम्बली के समय वैधानिक परिवर्तन नहीं हो सकते—पहले व्यवस्था-

मिका समा की घोषणा की आवश्यकता होती है कि संशोधन निश्चित है।

उत्तरदाई होने के बाद मंग कर दिये जाते हैं और दो महीनों में

उनका पुनर्निर्माण हो जाता है और उनकी बैठकें पुनर्स्थापित की जाती हैं।

जारा की अनुमति पर वे उस पर विचार करते हैं और निर्णय करते हैं। फोरम

३ है। संशोधन के प्रश्न में ३ की रायें बानी चाहिए।

१६ •

डेनमार्क

शासन विधान में परिवर्तन—

यदि दोनों मन्त्रों की स घोषण के संक्षेप में सहमति हो और यदि सरकार उसे चाहे तो दोनों मन्त्रों के मन्त्र युनाय साथ साथ कराये जाते हैं और यदि नई रीसरचिंग रिजल पाठ कर देती है तो यह फास्ड्रास्वीन के मन्त्राताओं के निर्णय के लिए ६ माह के अन्दर मेत्र दिया जाता है।

यदि ५५ फ्री सही मन्त्राता और वास्तव में मन्त्रदान देने वालों का बहुमत उठते सहमत है और राजा अपनी चाही स्वीकृति इस पर दे देता है, तो यह कानून हो जाता है।

• २

मैक्सिको

कर्तव्य—

(१) बच्चों और आधितों को जिनको आयु १५ वर्ष से कम है उन्हें अनिश्च स्कुलो में प्राथमिक शिक्षा, मागारिक और उच्च शिक्षा के लिये भेजना होता है।

(२) राज्य और भूमि की रक्षा के हेतु नियन्त्रण रक्षा-दल में भरती होना और सेवा करनी होती है।

(३) और स्थानीय शहरों को कर और रखें देने होते हैं।

(४) भूमि-दरों और सम्पत्ति की सूची में नाम देना होना है और मन्त्र शाखाओं की सूची में भी नाम लिखाना होता है, प्र देशिक रक्षा दलों में भरती होना पड़ता है, धार्मिक युवाओं में योग लेना होता है। राज्य के प्रति संघ के पदों पर कर्तव्यों का पालन करना होता है जिनके लिये वेतन मिलता है और वाउन्सिलों और म्युनिसिपैलिटियों और सूची पर काम करना होता है।

अधिकार—

(१) रिवायतें कमीशन्टों और सरकारी पदों को देते समय वहाँ नागरिकता का होना अनिवार्य नहीं मैक्सिकन, गिवातियों को पछ्य किया जाता है।

(२) किसी भी विदेशी को सेना, पुलिस वा शक्ति काष्ठ के ताम बनिष्ठ सुरक्षा विभाग में नहीं लिया जाता।

(३) नाविक सेना में केवल कम से ही मैक्सिकन ही लिये जाते हैं।

(४) विदेशियों को देश से निकाला जा सकता है।

(५) कोई भी विदेशी देश के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

(६) मैक्सिको की नागरिकता २१ वर्ष की आयु होने पर दे दी जाती है बशर्ते वह ईमानदारी से सीविकोपार्कन करता हो। इसके निम्न विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं—(अ) सार्वजनिक पद, (आ) सार्वजनिक कार्यों के लिये समा करने का अधिकार, (इ) सेना में नौकरी, (ई) आभेदन मैकने का अधिकार।

(७) विदेशी राज्य में नागरिकत्व हो जाने पर मैक्सिको की नागरिकता जाती रहती है। वह या तो कुछे आम विदेशी सरकार की सेवा करने पर होता है अथवा अन्य मतों के अधिकारियों के सामने अपने विचार स्थिर न रखने से।

(८) नागरिकता के अधिकार और विशेषाधिकार निम्न कारणों से संवृत्त किये जा सकते हैं—

(अ) कर्तव्यों का वास्तव में करने से—अन्य देश के अभाव में वह अधिकार भी एक राष्ट्र के लिये संवृत्त किये जा सकते हैं।

(ब) दृष्टिगत होने पर वा स्वाय से बचने के लिये मागने पर।

(६) शिवों को शारीरिक काम से काटती छुड़ी मिल जाती है। प्रसव के पहले तीन महीने की और बाद में एक महीने की—लेकिन बेतन मिलता है—कुछ समय तक बच्चे के लातन-वातन के लिये हो पड़े की विशेष छूट बीजगती है।

(१०) म्यूनिसिपल बेतन इतना होता है कि वह एक मजदूर को अपने घर का प्रदान हो, की शिक्षा, उचित आनन्द और शौचतन आनन्द कलाओं की पूर्ति के लिये काफी हो।

(११) सेठी और उद्योग की श्राव में भाग बढ़ाने की अनुमति है।

(१२) स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलता है।

(१३) प्रत्येक म्युनिसिपैल्टी में विशेष कमीशन होता है जो न्यूनतम वेतन और श्राव के मागों की दर निर्धारित करता है।

(१४) समय से अधिक काम के लिये सौ प्रतिशत वेतन देना होता है और यह काम एक बार में तीन घण्टे और एक सप्ताह में तीन दिन से अधिक नहीं लिया जा सकता।

(१५) किसी स्त्री या सोलह वर्ष की आयु से कम बच्चे से समक से बड़ा काम नहीं लिया जा सकता।

(१६) स्वच्छ बरों का प्रवन्ध है। किराया सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का श्राव की छठी प्रति माह के हिसाब से होता है।

(१७) मालिकों को, यदि वह किसी फैक्टरी में सौ से अधिक श्रावमी काम पर लगाते हैं तो, स्कूल, अस्पतालों और अन्य आवश्यकताओं का प्रवन्ध करना पड़ता है।

(१८) यदि काम करने वालों की छप्पों दो सौ से ऊपर हो तो ५०० वर्ग मीटर भूमि बाजार और मनोरञ्जन के लिये रखनी पड़ती है।

(१९) शराब परो और लुच्चापरो की हबासत नहीं है।

(२०) मालिक लोग दुर्घटना या काम के कारण उत्पन्न रोगों के लिये उत्तरदायी समझे जाते हैं।

(२१) तार्बनिक सेवा के काम में हड़तालों के लिये दस दिन का नोटिस देना पड़ता है; यदि हिता से काम लिया जाय या युद्ध का समय हो तो हड़ताल गैर-कानूनी समझी जाती है।

(२२) यह कानून गोला बारूद बनाने वाली फैक्टरियों पर लागू नहीं होते। कारखानों का बन्द होना कीमतों पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में एक सम्झौते और दबावत का बोर्ड है जिसमें मिल मालिकों और मज़दूरों के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होते हैं और एक प्रतिनिधि सरकार का होता है।

(२४) करों में केवल किसी व्यक्ति का वेतन लिया जा सकता है। घर चुकाने के लिये पत्नी और सम्मान कर्त उच्चदायी नहीं है।

(२२) कुछ बातें ऐसी हैं जिनके होने पर हमझोते ऐरफान्नी हमझे बाते हैं ।

(२३) सबोंच न्यायालयों के प्रेसीडेन्ट, सदस्यों और न्यायधीशों का वेतन हमके कार्यकाल में नहीं बदला जा सकता ।

(२४) बर्न—कोई बर्न बर्नित नहीं किन्तु संप सरकार कानून के अनुसार बर्नित से सकती है ।

(२५) विवाह एक मायरिक-समझौता है । हम कानून से निर्बन्धित है ।

(२६) बर्न—कानून हमें बर्नित नहीं मानता । कोई भी बर्नितकारी देश के विधान की आलोचना नहीं कर सकता ।

आम तौर पर बर्नितकारियों को मत देने का अधिकार नहीं है और न वह पदों के लिये चुने जा सकते हैं ; वे राजनीतिक कार्यों के लिये समा नहीं कर सकते, बर्नितकारियों के लिये ही गई शिक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा माननीय नहीं है । न उध पर कोई इनाम दिया जा सकता है । उक्त नियम के विरुद्ध बर्नित किली को पेशे सम्बन्धी बिली मिलती है तो वह नाज़ाबत है और कानून मंजूर करने वाली सभा को बर्नित दिया जा सकता है ।

(२७) कोई सामयिक वा समाचार-पत्र अपने कार्यक्रम द्वारा, या आम बर्नितवा अपनी आम बर्नितकारियों द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक मामलों में विचार प्रकट नहीं कर सकता ।



: ६ :

कुछ अन्य बातें

१

आयरलैण्ड

कुछ अन्य बातें

डामीनियन पार्लियामेंटों ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित की गई हैं किन्तु वे उक्त पार्लियामेंट के डेप्युटी नहीं हैं।

ब्रिटिश नागरिकों को धरम किया जा सकता है और देश से निकाला जा सकता है। अपनी मुद्रा और मोट हैं—अपनी उपाधियाँ देती हैं और ब्रिटिश उपाधियों को नहीं मानता।

वे मुद्र की पीपला नहीं कर सकते।

२ :

कैनाडा

कुछ अन्य बातें

सार्वजनिक शूल —कैनाडा का शूल निर्दिष्ट है। प्रांतों के पास भी सम्पत्ति है किन्तु कैनाडा को यह अधिकार है कि कितने बम्बी के लिये उसे ले ले।

आंतरिक कर नहीं हैं और कैनाडा की सम्पत्ति और भूमि पर कर भी नहीं है।

कानूनों को अंगरेजी और फ्रेंच में प्रकाशित किया जाता है। ऊपरी और निचले कैनाडा के श्रम, उद्योग, संपत्ति और माल के विभाजन और समझौता कराने का काम अंग्रेजों को स्वीडिश और कैनाडा के तीन वर्गों को धोया गया—बुनिया इन प्रांतों की व्यवस्थापिका समझौतों को करना था।

नये उपनिवेश कैनाडा की पार्लियामेंट से प्रार्थना करने पर कुछ शर्तों और शर्तों पर हासिल किये जा सकते हैं। प्रवेश और सेवा होने के नियम सम्मिलित अधिकार में है किंतु केन्द्रीय कानून अपेक्षाकृत मान्य होते हैं।

जहाँ तक निचली और उदात्त वर्गों के छात्रक नदियों का प्रश्न है यह कहना कठिन है कि कितना नियन्त्रण प्राप्त करते हैं और कितना वेग।

• ३ •

आस्ट्रेलिया

कुछ अन्य बातें

मजदूर कोष—सीनेट के भी बोट होते हैं—यह पार्टी-संगठन के आधार पर बनाया जाता है।

४ बड़े शहरों में जनसंख्या का १/३ भाग रहता है—एक विस्तृत एका प्रवेश है—शेष भूमि के मालिक बोके से व्यक्ति हैं—छोटे रूपक कैनाडा की अपेक्षा बहुत कम महत्वपूर्ण हैं; मध्यम वर्ग नहीं है; न कोई स्थायी वनिक वर्ग ही है—वन ४० वर्ष से अधिक नहीं रहता—कोई पैतृक हित नहीं है—मजदूर और मालिकों के बीच अर्ध-सामन्तवादी संबंध नहीं है—मेक का व्यवसाय करने वाले लानावहोत हैं—रपायी जनसंख्या उन लोगों की है जो जंगलों को काटते हैं और लोहे की खदानों में काम करते हैं और जिन्हें कोई सामाजिक दर्जा प्राप्त नहीं।

जहाँ कामनवेल्थ और अधिकार सम्मिलित हैं कामनवेल्थ के कानून राज्य के कानूनों की तुलना में मान्य होते हैं।

दक्षिणी अफ्रीका

कुछ अन्य बातें

समस्त दक्षिणी अफ्रीका गवर्नर-जनरल के पास है

१—रेल और बन्दरगाह कोष ।

२—एक सम्मिलित कोष जिसमें से सर्व प्रथम बन करणों के मुगलान के लिये लिया जाता है ।

एक राजस्व कमीशनर संघ और प्रान्तों के सम्बन्धों के नियंत्रण करने के लिये नियुक्त किया जाता है ।

सरकारी भूमि और खानों और खनिज पदार्थों पर गवर्नर जनरल का अधिकार सम्पूर्ण होता है ।

एक कानूनो रेल और बन्दरगाह बोर्ड है जिसके तीन सदस्य हैं और यह सदस्य ठसका खेपरमैन होता है ।

सब समस्त श्रुतों की जिम्मेदारी होगा—बन्दरगाह और रेलों की भी ।

विशुद्ध केन्द्रीय और अनुसूचितकारी सरकार—करण ।

१—सब प्रान्तों में कानून गवर्नर जनरल के द्वारा प्रान्तों को दी गई सत्ता के मातहत बनाए जाते हैं ।

२—गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी होती है ।

३—सब सत्तों के लिये पहले से शासक या गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती है ।

फ्रांस

कुछ अन्य बातें

शासन विधान का विकास :

१७८३ से १८८४ ई तक ।

कोई भी धार्मिक और म्युनिस्पल बस्तर साहित्य नहीं पाठ सकता।

सीनेट बहुत आकर्षक है—किन्ती उन्नति कर सीनेट के सदस्य बन जाते हैं और फिर प्रेसीडेण्ट पद के उम्मेदवार।

क्रॉस में बड़ी प्रभावशाली पार्टियाँ नहीं हैं। किन्तु पार्टियों के समूह हैं जिन्हें ब्लाक कहा जाता है, जिनके कई नेता होते हैं। कोई निरिपठ शिक्षा नहीं होत और अनुशासन का एकदम आभाव रहता है।

क्रॉस में प्रजातन्त्रात्मक सरकार है—सत्तार्य राजतन्त्रात्मक है और नाबकायें साम्राज्यवादी।

इङ्ग्लैंड में मन्त्रिमण्डल देश की मान्यता का ध्यात रखता है, क्रॉस में पार्लियमेण्ट की मान्यता का। क्रॉस एक नौकरशाही, है, प्रजातन्त्र नहीं।

फ्रिज

क्रॉस सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपने मित्रों का कुछ फायदा कराने जैसे सम्मान, समुह, प्रीते, फालोव में कोषाध्यक्ष का पद और सम्पत्ति की बिक्री का सादरैम्भ। प्रेच सदस्य अन्धे बहा होते हैं।

६

न्यूजीलैंड

कुछ अस्य बातें

न्यूजीलैंड के सम्पन्न निवासियों में अशिष्टा नहीं है।

कानून

धर्म-समाजवादी शरक है।

जन्म-मृत-वासना केवल एक बार धरावन्दी के लिये की गई।

अपराधों नहीं हैं।

• ७

जैकोस्लोवाकिया

कुछ अन्य बातें

सम्मिलित अधिवेशन प्रेसीडेन्ट द्वारा बुलाया जाता है—कार्यकारी का संघ बेन्वर आफ बिन्डीज़ की तरह होता है। सीनेट का बेयरमैन वाइस-प्रेसिडेन्ट होता है।

• ८

स्विटज़रलैंड

कुछ अन्य बातें

१८४९ ई. में सार्वजनिक पहल को प्रारम्भ किया गया यह छूतने, फीर्बग और बेसी को छोड़कर शेष सभी कानूनों में समा और कानून पर लागू होता है।

संघ विधान २६ मार्च १८७५।

अन-मठ-गणना—१०००० सक्रिय नागरिक या आठ कैम्पन के पाठ होमे के ६० दिन के भीतर अनमठ गणना की मांग कर सकते हैं। अन-मठ-गणना ऐच्छिक होती है या अनिवार्य, संघ में वैधानिक परिवर्तनों के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिये बेचन ऐच्छिक अनमठ गणना का उल्लेख है।

सार्वजनिक पहल—दोनों काउन्सिलों में छे फिट्टी के सदस्य या कैम्पन पत्रम्बहार द्वारा कानून के पहल करने का अधिकार रखते हैं।

स्वीस संघ अथवा हेल्वेटिक प्रजातन्त्र -

संघ न्यायालय, क्योंकि राजधानी बर्ग है, अतएव फ्रान्सीसी भाषना को कुछ करने के लिये लीगोन में रिपब है और मिरान्त पौलीटेक्नीक स्कूल जूरिच में है।

श्रीवर्ग में कमत यचना नहीं होती। कुछ दिन पहले तक सभीबो पर कमत यचना लागू नहीं होती थी किन्तु सन् १९२१ से अन्य कामों की तरह सभीबो पर भी यह हो सकती है। क्रेडिटों में प्रायः अनिवार्य कमत यचना है। यह ग्यारह क्रेडिटों में है जब कि छह में हतका प्रयोग ऐच्छिक है।

६

जर्मनी

कुछ अन्य बातें

किसी ट्रस्ट के नाम बचीवत नहीं की जा सकती। अतुपाकित बचतें (unearned increments) धार्मिक कार्यों में खर्च की जाती हैं।

धार्मिक अधिकारों और अर्थनिक पदों के लिये मारुटी की जाती है—जर्मनों को अर्थनिक पद अनिवार्य रूप से ग्रहण करने होते हैं।

मजदूर समठित हैं—यह जिला मजदूर परिषदों और रील की धार्मिक परिवारों से सम्बन्धित है।

उपरोक्त अवस्थाओं में यदि मजदूरों किन्ती कानून के बारे में चाहें तो वह रीलस्टाग के ३ भाग पर राब जानने के लिये प्रचारित किया जा सकता है।

(अ) रील का प्रेसीडेंट चाहे तो उसे लागू करने के पहले एक महीने के अन्दर।

(ब) या यदि मजदूरों पहले से किन्ती जिल को पेश करने की प्रार्थना करें तो वह सरकार के द्वारा रीलस्टाग में उपस्थित करना होता है। यदि ऐसे जिलों का सम्बन्ध कर या खर्च से हो तो प्रेसिडेंट उन्हें लेकर नये चुनाव करा सकता है।

! १०

सोवियत रूस

कुछ अन्य बातें

आन्तरिकीयन कांग्रेस में विधान बनाया है जिसके बृहत् विद्यामठों की पधना स्कूल में अनिवार्य है ।

विधान के मूल सिद्धांत—

(१) शहर और गांव के मजदूरों को तानाशाही का स्वापन और पूंजीपतियों का दमन । (२) सत्ता शहरी और देशी सोवियतों में निहित है (३) प्रदेश की सोवियतें मिल कर प्रादेशिक कमिश्न और संघ बना सकती हैं । (४) धर्म का राज्य और स्कूलों से कोई सम्बन्ध नहीं (५) सोवियतों की आन्तरिकीयन कांग्रेस और उठकी कार्यकारी सर्वोच्च है । (६) समाचार पत्रों के समस्त प्रकाशन के साधन मजदूरों को दे दिये गये हैं । (७) समा करमे, बहुत निष्कामने और संगठन करने की स्वतन्त्रता है— हॉल (Hall) का उपयोग ठमै गर्म करमे और प्रकाशित करमे की अनुमति है । (८) स्वयं-संगठन के समस्त साधन शिक्षण निगूहक शिक्षा मी है मजदूरों और किसानों को दिना रोड-टोक मिले हुए हैं । (९) जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा (१०) समाज बादी विदुषी की रक्षा और सम्भ-सेवा अनिवार्य है । (११) विदेशियों को नागरिकता और मजदूरी के अधिकार सोवियतों के मार्गद्वारे दिये जाते हैं । (१२) धार्मिक या राजनीतिक अपराधी विधाम पात्रे के हकदार हैं । (१३) सब नागरिक समान हैं—कोई विशेष सुविचार्य नहीं। अस्व मतवालों का दमन नहीं होता । (१४) व्यक्ति और समाज ऐसे काम करमे के लिये बर्धित हैं जो समाजवादी शासन को ठेक पहुँचायें ।

अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र

शासन विधान में परिवर्तन—

सर्वजनिक पहल—१९ राश्यों में कानूनों के लिये और २१ में वैधानिक परिवर्तनों के लिये लागू है—कमी कमी नागरिकों की पहल के आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये पॉब सेट्ट या अधिक किया जाता है। कैलीफोर्निया में पहल पर औसतन खर्च १५०० डॉलर पड़ता है। शक्ति-समूह और मोकेनाबी बलही है क्योंकि अत्यंत हस्ताक्षरों को अनियमित नहीं माना जाता। कमी कमी पहल करने के पहले उन विषयों पर प्रेसलेट लिखकर शत्रु करते हैं।

पहल के लिए सरकारें नहीं होतीं।

वैधानिक संशोधन के द्वारा आचारमूर्त अधिकारों को कम किया जा सकता है।

जनमत-मायना के अर से अनेकों लिए पास नहीं किये गये और पहल होने से अनेक अल्पे लिए अस्वीकृत मही किये गये।

बाल्ती का अधिकार है किन्तु बहुत कम उपयोग से लाया जाता है।

जुने हुए अष्टकों, जिनमें स्वाधीनता भी शामिल है, की बाल्ती द्वा राश्यों में हो सकती है और स्वाधीनताओं को छोड़ कर अर्यों की द्वा राश्यों में।

१५ वॉ संशोधन—आय-कर राश्व का विषय कटार दिया गया।

१६ वॉ संशोधन—राश्यों के विरुद्ध पुनः करना। निष्कासन में लून कराव नहीं किया जाता। सब राश्यों में एक ही मुविषाएँ और मुयम कार्र हैं—किन्तु अपराधी प्रवर्षण बलता है।

कुल राश्यों में नावाकितों से मकभूटी लेना अपराध है।

१५ वॉ संशोधन प्रेसीडेण्ट और वाइस प्रेसीडेण्ट के पुनःसंयोजन।

१७ वॉ संशोधन शराव बन्दी के मामलों में सम्मिलित अधिकार।

१९ वॉ संशोधन स्त्री-मतधिकार।

१५ वीं संशोधन दक्षिणी राज्यों ने नीग्रो के लिये समानाधिकार सम्बन्धी नियम रद्द कर दिये।

रोक-थाम की व्यवस्था—(१) स्वयंशासन विभाग (२) प्रमुख विभाग (३) स्वाय विभाग—एक दूसरे से अलग और स्वतन्त्र रहे जाते हैं। पहला दूसरे या तीसरे के साथ, दूसरा पहले या तीसरे के साथ तीसरा पहले या दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

प्रेसीडेन्ट कांग्रेस के बिल को बीटो कर सकता है किन्तु कांग्रेस के बहुमत से उक्त बीटो को अमान्य कर सकता है। स्वायत्त कांग्रेस के कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। कांग्रेस और प्रेसीडेन्ट का आपस में विरोध हो सकता है या दोनों का ही स्वायत्तता से।

अमेरिका का प्रेसीडेन्ट शासन भी करता है और सरकार भी चलाता है—ब्रिटिश राजा शासन करता है किन्तु सरकार नहीं चलाता—फ्रांसीसी प्रेसीडेन्ट न शासन चलाता है और न ही सरकार चलाता है—अनरल प्रेसीडेन्ट सरकार चलाता है।

मुद्रास्वच्छता को स्वायत्तता की अव्यवस्था के कारण बहुत कमजोर करनी होती है—प्रतिबन्धों के स्वायत्तता और भी बुरे हैं—बहुत अधिक धन्यता है—श्री का प्रवृत्त होने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि (अ) कोई ठीक सूची नहीं (ब) श्री के नामों के बारे में एकराज किया जा सकता है।

अपने स्वायत्तता के सम्मुख उठाये गए एकराजों पर पूरे स्वायत्तता द्वारा विचार होते-होते एक वर्ष या अधिक भीत जाता है। बकील यदि चाहें तो श्री पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं—दक्षिणी राज्यों में वार्षिक और कानूनी कठोर व्यवस्था बरत है।

पुराणियों—बमकाना; बोटों को गणतन्त्र विना, टैमनी के हस्तक्षेप—टैमनी के पास पुलिस और स्वाय-विभाग में विज्ञान के लिए मौद्रिकी रहती है—निरोधक और प्रचारक होते हैं—सुना-अवगतों उनके आदमियों से मरी रहती है—प्रेस को पैसा देते हैं—पत्रिकाओं की मदद करते हैं—सभी पार्टियों के उन मशीन मालिकों को जो राजनीति में नैतिकता के सिद्धांत को नहीं मानते, शुद्धता की बात नारतन्त्र होती है।

अमेरिका के नागरिक रेमिस्टान के परमाणुघो के रेत के समुद्र के समान हैं किन्हीं घोंबी इपर या उपर से जाती रहती है ।

अपराध—ठेकों का कब विक्रय—मलों का विक्रय—कानून तोड़ने वाले प्रायः दण्ड से बरी रहते हैं और पुलिस प्रायः स्वयं इन तकबदियों में फँसी रहती है ।

कार्मिक मेहरमाब नहीं है—कोई कटुता नहीं है—महाद्वीप की तरह बगमेद नहीं है—पार्लियाँ लाठी बोलकों पर लेवित की तरह है—शान्त ही नहीं कोई प्रेस किसी राजनीतिक के अधिकार में हो ।

नागरिक को लूट सूझनाई प्राप्त होती है किन्तु पार्टी के दलदल में फँसे रहते हैं—ये कानूनों के तुरे निर्धारक किन्तु मनुष्यों के सम्भे निर्धारक हैं ।

१२

स्वीडन

कुछ अम्य बातें

यूरोप में प्राचीनतम विधान है ।

बिना राजा की अनुमति के बरि रामकुमार शारी करे तो गद्दी का इक्यार नहीं रहता ।

अम-मत्त-भारत—राजा किसी भी विषय की बनवत गबना के सिने मेव लकटा है । इतमें अधिक संख्यावाले मजन के मतराता भाग लेते हैं । रिक्खमग हर बीजे राज ६ धरियों की एक कमेटी नियुक्त करती है जो स्वाम के मामलों के घटने के राज प्रेस की लक्षणता की निगरानी रखते हैं—इनमें दो बकील होते हैं । इनके द्वारा ही गई आम्ना होलकों की अक्षरवायित्व से मुक्त कर देती है ।

• १३ •

एस्थोनिया

कुछ अम्य बातें

नार्बनिक पहल और बनवत गबना का महत्वपूर्ण रणाय है ।

प्रस्तावना

अच्छी है, अनिर्धार्य उच्च सेवा।

१४

आस्ट्रिया

कुछ अन्य बातें

ग्राम परिभ्रम किया जाता है। बंगलों और सेंटों के मजदूरों के अतिरिक्त।

कुछ विषयों में कानून बनाने के अधिकार प्रांतों के पास है जैसे नागरिकता, पेशे, प्रतिनिधित्व और कर।

भूमि-सुधार के सम्बन्ध में अन्तिम अपील सप द्वारा नियुक्त एक कमीशन में होती है जिसमें न्यायाधीश सम्बन्ध करनेवाले अफसर और विशेषज्ञ होते हैं।

जनमत-योजना में सफलता के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है और वह प्रेसीडेन्ट द्वारा कराई जाती है।

१५

बेल्जीयम

कुछ अन्य बातें

सेना में राज्य से भरती होती है।

संधियों कार्बन्डमिड होती हैं।

हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कमेटियों या विभागों में बड़ा है जिन्हें विचार के लिए विल भेजे जाते हैं। विरोध विलों के लिए विरोध कमेटियों नियुक्त की जा सकती हैं। उपरोक्त कमेटियों को हर महीने परचे डालकर नए तिरों से बना लिया जाता है। प्रत्येक विभाग का एक रिपोर्टर नियुक्त किया जाता है। इन सब रिपोर्टों का एक केन्द्रीय विभाग

होता है जिसके रिपोर्टों की नियुक्ति वेम्बरो का प्रेसीडेंट करता है। हाउस द्वारा प्रत्येक अभिव्यक्ति में गुप्त वोट से दो स्थायी कमेटियाँ चुनी जाती हैं। (1) राजस्व और धितत्व की कमेटियाँ, वृद्धि-व्यापार और उद्योग की कमेटियाँ।

हाउस जब उचित समझता है तो विशेष कमेटियाँ नियुक्त करता है और सीनेट में इसका आम विचार है।

१६

नार्वे

कुछ अन्य बातें

विधान संयुक्त राष्ट्र (१७८७ ई०) फ्रांस (१७९१ ई) स्पेन (१८१२ ई०) के आधार पर बना है।

कानून धर्म के बारे में निर्धारण करता है।

१७ :

इंग्लैंड

कुछ अन्य बातें

ब्रिटेन का शासन विधान अनेकों चार्टरों, प्रचारों, निर्बंधों, न्यायों और कानूनों से मिलकर बना है जो बराबर बढ़ते रहते हैं, कभी स्थिर नहीं होते।

बर्न कांफ्रेंस में राजसभा असेम्बली एक्ट, १८१८ ई०—यह बर्न असेम्बली को कानून बनाने की अनुमति देता है कि वह पार्लियामेंट के प्रस्ताव द्वारा उचित उद्देश्य प्राप्त करने पर राजा मान लेता है।

परिशिष्ट

यू एस एस आर (सोवियत् रूस)

के

शासन विधान का मसविदा

: ६ :

एस एस आर (सोवियत् रूस)

के

शासन विधान का मसविदा

चेक-बुक ८८, १६ ७६१ बर्ग मील ।

अनंतपत्रा : १६, २६, ३५, ०००

राजधानी मास्को ।

पहला अध्याय

सामानिक संगठन

धारा १—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातंत्रों का यह संप्रदाय मजबूत और
तानों का समाजवादी राज्य है ।

धारा २—यू. एस. एस. आर. का राजनीतिक प्रभाव काम
रेवासों के प्रतिनिधियों की सोवियत है जो जमींदारों और पूँजीपतियों
वृत्त को दूर करने पर सर्वोच्च एकाधिकार की विषय से बनी और
मजबूत हुई है ।

धारा ३—यू एस एस आर. में सम्पूर्ण शक्ति वालों और नगरों में काम करने वालों को उनके प्रतिनिधियों की शोषितों के रूप में मिला दुर है ।

धारा ४—यू एस एस आर का आर्थिक आधार उसकी वह समाजवादी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन साधनों तथा रंग का समाजीकरण है जो पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने, उत्पादन के साधनों और रंग में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अर्थ करने तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य शोषण को समाप्त करने के बाद मज़दूरी के साथ काम किया गया है ।

टिप्पणी—शोषित रूप में 'सुधीम काउन्सिल' व्यवस्थापिका समा को कहते हैं । 'शोषित' के अर्थ साधारणतः प्रतिनिधि-समा समझ जा सकता है; 'पीपुल्स कमीशर' वहाँ उठी तरह होते हैं जैसे कि अन्य देशों में मंत्री; 'काउन्सिल ऑफ पीपुल्स कमीशर' से तत्पर्य मंत्रिमंडल से होता है; 'कमन्सलिट' का तत्पर्य शासन के विभाग (Department) से है; विपुष्टियों से तत्पर्य प्रतिनिधियों से है; 'प्रेसीडियम' वहाँ की अपनी निराली संस्था है जो व्यवस्थापिका समा के अन्वेषण में न होने के समय उसकी सहायता समस्त अधिकारों का उपयोग करती है ।

धारा ५—यू एस एस आर में समाजवादी सम्पत्ति का रूप वा ली राज्य का अधिकार (वह सम्पत्ति) है या उसका रूप सहकारिता और सामूहिक रंग की खेती का अधिकार (व्यक्तिगत सामूहिक सेतों की सम्पत्ति, सहकारिता समितियों की सम्पत्ति) है ।

धारा ६ मूँ, उसमें स्थित चीनें, बाल, बंगल, भिजे, पैकरीकों कानें, रेलें, जल तथा वायु के यथासाध के सम्पत्त बैंक, सर्वेश के साधन, राज्य द्वारा समर्थित बड़े अंत्र (राज्य के जेल मशीनें, ट्रेकर स्टेशनें इत्यादि) और साथ ही शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में परों के आन्-रूबक माय राज्य की पानी सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

धारा ७—सामूहिक सेतों के सार्वजनिक उपयोग और सहकारिता संगठन, अपने पशुओं, औज़ारों और सामूहिक सेतों और सहकारिता संगठनों की उपज और साथ ही उनकी सार्वजनिक हमारते सामूहिक सेतों और सहकारिता संगठनों की सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति है ।

प्रत्येक सामूहिक सेती में माग लेने वाले परिवार के पास निजी उपयोग के लिये पर से सगा हुआ एक जमीन का टुकड़ा होता है और व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में उठ जमीन में छोटे-मोटे काम एक पर उत्पादक पशु और चिकित्सों और छोटे-मोटे सेती के अंगार हो सकते हैं— यह सेती सर्वथी बारा के अंतर्गत होता है।

धारा ८—सामूहिक सेतों द्वारा जो भूमि पिटी हुई है, वह बिना किसी अवधि वाली सदा के लिये उनसे दे हो गई है।

धारा ९—यू एच एच आर की प्रथम समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के अतिरिक्त कानून ऐसी छोटी छोटी अलग-थलग किसानों और कारीगरों की आर्थिक व्यवस्था की भी अनुमति देता है जिसमें निजी काम लगता हो और बूतों की मजदूरी का शोषण न होता हो।

धारा १०—नागरिकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति, उनका धार और बचत में, पर और अन्य तरहकारी परेशु कामों में अन्य परेशु या पारसी की बस्तुओं में और साथ ही व्यक्तिगत उपयोग और आराम की चीजों में सुपक्षित है।

धारा ११—यू एच एच आर का आर्थिक जीवन उन्नति की राष्ट्रीय आर्थिक योजना द्वारा तार्किक बन को बढ़ाने के लिये काम करने वालों के मौखिक और तात्कालिक मापदण्ड को समाप्त करके करने के लिये और यू एच एच आर की स्वतन्त्रता को मजबूत करने और उसकी रक्षा-संबन्धी योग्यता को बढ़ाने के लिये निश्चित और निर्दिष्ट किया जाता है।

धारा १२—यू एच एच आर में प्रत्येक कार्य कर लकने योग्य व्यक्ति का इतत सिद्धांत के अनुसार काम करने का कर्तव्य है : "यह, जो कार्य नहीं करता, भूता रहेगा।" यू एच एच आर में समाजवाद के इतत सिद्धांत को पूरा किया जा रहा है "प्रत्येक से योग्यतानुसार कार्य, प्रत्येक को कार्यानुसार (आव का) माग।"

दूसरा अध्याय

राज्य संगठन

धारा १३—सोवियत सोशलिस्ट प्रजासत्तों का यह संघ एक संघ-राज्य है जो सोवियत सोशलिस्ट प्रजासत्तों को स्पेष्कल के आधार पर बना हुआ समुदाय है जिसमें उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं —

रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 ब्लाइट रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 अज़रबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 आर्मीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 आर्मीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 सर्कसीनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 लाज़िक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 तुमनिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 कबार्डिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक,
 किर्गिज़ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक

धारा १४—सोवियत सोशलिस्ट प्रजासत्तों के संघ, जिसका प्रतिनिधित्व उक्तके सर्वोच्च विभाग और शासन-के विभाग करते हैं, के निम्न-लिखित अधिकार हैं —

- (क) संघ का विदेशी मामलों में प्रतिनिधित्व, अन्य देशों के साथ सम्बन्ध करना — और उन्हें अधिकतम स्वीकृति प्रदान करना ,
- (ल) युद्ध और शांति के प्रश्न ,
- (ग) नये प्रजासत्तों का संघ में प्रवेश ;
- (घ) यू० एल० एल० धारा के शासन विधान की मास्यता के लिये नियन्त्रण और यह देखना कि संघ के प्रजासत्तों के शासन विधान यू० एल० एल० धारा के शासन-विधान के अनुकूल हैं ;
- (ङ) संघ के प्रजासत्तों के बीच होने वाले सीमा परिवर्तनों के लिये स्वीकृति देना ,

- (ब) यू, एल, एल, आर की रक्षा का संगठन और यू, एल, एल, आर की समस्त इधियार बन्द कौबो का निर्देशन ,
- (छ) राज्य के अधिकाधिकार के आधार पर विदेशी व्यापार ;
- (झ) राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध ,
- (ञ) यू, एल, एल, आर के लिये राष्ट्रीय आर्थिक योजना बनाना
- (त) यू, एल, एल आर के लिये एक संयुक्त बजट की और यू, एल, एल आर तथा अन्य राज्यों की मदों के लिये शोक्ति देना ,
- (ठ) बैंकों, औद्योगिक और खेती के कारबार और पूरे संघ के महत्व के व्यापारिक कामों का शासन ,
- (ड) वातावात और समुद्र के तालनों का प्रबन्ध ;
- (ढ) मुद्रा और उधार-व्यवस्था का निर्देशन ,
- (ढ) सम्पत्ति का राज्य के द्वारा बोमा की व्यवस्था ,
- (घ) ऋण लेना और देना ;
- (ट) मूमि के उपयोग और उसमें शिथल पदार्थों, खंगलों और जल के उपयोग के लिये मूल सिद्धान्त निर्धारित करना ;
- (य) शिक्षा के क्षेत्र में और तार्किक स्वायत्त की रक्षा के लिये मूल सिद्धान्त निर्धारित करना ,
- (र) राष्ट्र का आर्थिक हितान-किताब रखने के लिये एक केन्द्रीय पद्धति शिपर करना ,
- (व) मजदूर-सम्बन्धी बुनियादी कानून बनाना;
- (म) व्याप और कानूनी कार्यवाही के ढंग। शीवानी और श्रीवहारी के कानूनों के संग्रह सम्बन्धी नियम बनाना;
- (प) संघ की मागशिका के कानून विदेशियों से अधिकारों के कानून
- (फ) पूरे संघ के लिये ग्राम रिहाई के कानून पास करना ।
- धारा १५—संघ के प्रजातन्त्रों की राज्यशक्ति केवत यू० एल, एल आर, ई, शासन विधान की धारा १५ सीमित करती है। इन सीमाओं के बाहर संघ का प्रत्येक प्रजातन्त्र अपनी राज्यशक्त का स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग करता है। यू, एल, एल, आर संघ के प्रजातन्त्रों की राज्य शक्त के अधिकाधिकारों की रक्षा करता है।

धारा १९—प्रत्येक संघ में प्रजासभ का अपना अलग शासन विधान है जो संघ की विशेषताओं को ध्यान में रखता है और यू, एच, एच, आर के शासन विधान के पूर्ण अनुकूल बनाया जाता है।

धारा १०—संघ के प्रत्येक प्रजासभ को यू, एच, एच, आर, से स्वतन्त्रता पूर्वक अलग हो जाने का अधिकार है।

धारा १८—संघ के प्रजासभों के क्षेत्र विना उनकी इच्छा के परिवर्तित नहीं किये जा सकते।

धारा १९—यू, एच, एच, आर के कानून संघ के समस्त प्रजासभों के क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं।

धारा २०—यदि संघ के प्रजासभ का कोई कानून संघ के कानून से भिन्न हो तो संघ का कानून ही मान्य होता है।

धारा २१—यू, एच, एच, आर के समस्त नागरिकों के लिये संघ की नागरिकता का एक ही कानून है। संघ के प्रजासभों का प्रत्येक नागरिक यू, एच, एच, आर का भी नागरिक होता है।

धारा २२—दक्षिण अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—अफ्रीका—कालाहाार, सुदूरपूर्व, पश्चिमी तारबेरिया, कैम्बोवैंड उच्चो कींग्दम प्रान्त, बोचेनेज़, पूर्वी तारबेरिया, गोल्डी पश्चिमी ह्वान्धेन, कालिनिंग क्रिपेन, डिबोयेन, कर्ष, किनिनप्रान्त, मोल्को, क्रॉल्ड अरिनबर्ग, तारातोय, स्वर्डीलोवस्क उच्चो रयेस्तिनप्रान्त, वेस्तिवाविस्का, पारोस्लाव्ज; सुदूरपश्चिम अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—तातार, बरिस्क, दारिल्लान, तुर्कमेनिस्तान, कबार्डिनो-बाल्कार, आर्मीनिया, मीरो, मोर्डीशा, जर्मन बोस्ना, उच्चो अफ्रीका, उरुमर्त, वेचन—इगुय, बूबाय, पान्कू, सुदूरपश्चिम अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—एडोगेर, बहुरी काराचैब, मोरयेठ, लाइराय, वेरैय।

धारा २३—पूर्वोक्त अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—दिलीस्ता, मीरो—पेट्रोवस्क, डोनेस्, कीव अफ्रीका, इतरायेन वेर्नीयेन और सुदूर पश्चिम अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—एडोगेर, बहुरी काराचैब, मोरयेठ, लाइराय, वेरैय।

धारा २४—अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—तातार, बरिस्क, दारिल्लान, तुर्कमेनिस्तान, कबार्डिनो-बाल्कार, आर्मीनिया, मीरो, मोर्डीशा, जर्मन बोस्ना, उच्चो अफ्रीका, उरुमर्त, वेचन—इगुय, बूबाय, पान्कू, सुदूरपश्चिम अफ्रीका के संघ में निम्नलिखित प्रदेश हैं—एडोगेर, बहुरी काराचैब, मोरयेठ, लाइराय, वेरैय।

सुप्रीम काउन्सिल के यू, एच, एच, आर के पीपुल्स कमिश्नरों की काउन्सिल और यू, एच, एच, आर की पीपुल्स कमिश्नरयों ।

धारा ३२—यू, एच, एच, आर के कानून बनाने के अधिकार का यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा एक मात्र उपयोग किया जाता है ।

धारा ३३—यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दो मकान हैं— संघ परिषद और राज्यों की परिषद ।

धारा ३४—संघ परिषद का चुनाव यू, एच, एच, आर के मारिक प्रति १००००० की वन संख्या के पीछे एक डिपुटी की अनुमति से करते हैं ।

धारा ३५—राज्यों की परिषद मंत्रियों की सुझाव प्रकाशनों की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा प्रत्येक सुझाव प्रकाशनों में वन की विकाओं के डिपुटियों की सीमितता द्वारा प्रत्येक संघ के प्रकाशनों से एक डिपुटियों के अनुपात से, प्रत्येक सुझाव प्रकाशनों से पाँच डिपुटियों के अनुपात से और प्रत्येक सुझाव प्रकाशनों से दो डिपुटियों के अनुपात से चुने जाते हैं ।

धारा ३६—यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल बार बर्ष की अवधि के लिये चुनी जाती है ।

धारा ३७—यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों मकानों (संघ परिषद और राज्यों की परिषद) के समान अधिकार हैं ।

धारा ३८—संघ परिषद और राज्यों की परिषद दोनों ही समान रूप से कानून बनाने में वक्त कर सकते हैं ।

धारा ३९—बहि यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल के दोनों मकानों में कोई कानून अलग अलग साधारण बहुमत से पार हो जाय तो वह बाकायदा कानून बन जाता है ।

धारा ४०—यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाए गए कानून यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के सेपरेट और सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं ।

धारा ४१—संघ परिषद और राज्यों की परिषद के अधिकारण ताब ताब प्रारम्भ होते हैं और ताब ही ताब उनका अन्त होता है ।

धारा ४२—संघ परिषद अपने द्विजे एक बेबरमैन और दो बारत-बेबरमैनो को चुनती है ।

धारा ४३—राष्ट्रो की परिषद अपने लिये एक बेबरमैन और दो बारत-बेबरमैनो को चुनती है ।

धारा ४४—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद के बेबरमैन अपनी अपनी माननाओ के अधिवेशनो पर नियन्त्रण रखते हैं और उनकी आन्तरिक व्यवस्थाओ का प्रबन्ध करते हैं ।

धारा ४५—यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल के दोनो मन्त्री के सम्मिलित अधिवेशनो का निर्देशन बारी बारी से संघ परिषद का बेबरमैन और राष्ट्रों की परिषद का बेबरमैन करता है ।

धारा ४६—यू, एच, एच, आर, की काउन्सिल के अधिवेशन एक वर्ष में दो बार यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम हुआती है ।

यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम अपनी इच्छा से प्रबन्ध संघ के किसी प्रजातन्त्र की मांग पर विशेष अधिवेशन बुला सकती है ।

धारा ४७—बदि किसी प्रश्न पर संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद में आपस में मतभेद हो तो समझौते के लिये वह प्रश्न एक समझौता कमीशन के पास भेज दिया जाता है जो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्मित किया जाता है । अगर समझौता-कमीशन किसी निर्णय पर नहीं आ पाता अथवा उक्त निर्णय दोनो में एक को संतुष्ट नहीं करता तो वह प्रश्न दोबारा विचारार्थ भेज दिया जाता है । बदि फिर दोनो मन्त्र किसी निर्णय पर सहमत नहीं हो पाते तो यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल को मंग कर लेती है और नये चुनाव कराती है ।

धारा ४८—यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल दोनो मन्त्री के सम्मिलित अधिवेशनो में यू, एच, एच, आर की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का बितमें यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम काउन्सिल प्रेसीडियम का एक बेबरमैन आर बारत-बेबरमैन प्रेसीडियम का मिन्ट्री और प्रेसीडियम के ३१ सदस्य होते हैं, चुनाव कराती है ।

यू, एच, एच, आर की सुप्रीम कोर्टमिशन की प्रेसीडियम अपने समस्त कार्यों के लिये यू, एच, एच आर की सुप्रीम कोर्टमिशन के प्रति उत्तरदायी है।

धारा ४९—यू, एच, एच, आर, की सुप्रीम कोर्टमिशन की प्रेसीडियम:—

(क) यू, एच एच आर, की सुप्रीम कोर्टमिशन अधिवेशनं सुनाती है,

(ख) उचित निर्देश देकर लागू कानूनों की व्याख्या करती है;

(ग) यू, एच, एच, आर के हासन विधान की धारा ४७ के अन्तर्गत यू, एच, एच आर की सुप्रीम कोर्टमिशन को मंग करती है और नये कानून कराती है;

(घ) अपनी इच्छा से या यूनिवर्स के किसी प्रस्ताव पर मँग पर जन मत-गणना (Referendum) कराती है।

(ङ) यू, एच, एच, आर० के पीपुल्स कमीशनों की परिषद और प्रस्तावकों के पीपुल्स कमीशनों की परिषदों के निर्णय और आस्थाओं को यदि वे कानून के अनुसार न हों तो खर कर देती है,

(च) यू एच, एच आर० की सुप्रीम कोर्टमिशन के अधिवेशनों के बीच में यू, एच एच, आर० के पीपुल्स कमीशनों की कोर्टमिशन के चेयरमैन की इच्छा पर यू एच, एच आर० के विभिन्न पीपुल्स कमीशनों को पर से अलग और उन पर नई नियुक्तियाँ करती है जो बाद में यू, एच, एच, आर० की सुप्रीम कोर्टमिशन की स्वीकृति के लिये पेश कर दी जाती है।

(छ) यू, एच, एच आर० के परक प्रदान करती है;

(ज) धना प्रदान के अधिकार का उपयोग करती है;

(झ) यू एच, एच, आर० की संसद और के उच्चतम आधीशों को नियुक्त करती है और हटाती है;

(ञ) यदि यू, एच, एच, आर की सुप्रीम कोर्टमिशन के अधिवेशनों के बीच में यू एच, एच, आर० पर संसद आक्रमण हो तो मुद्र की घोषणा कर सकती है;

(ट) पूर्ण या आंशिक सैन्य संगठन की आस्था देती है;

(ठ) अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को अन्तिम अनुमोदन देती है;

(ड) यू. एच. एस. आर. के विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करती है और उन्हें बापस बुलाती है,

(ड) विदेशी राजदूतों के परिचयपत्रक प्रमाण पत्रों को स्वीकार करती है।
 धारा ५०—संघ परिषद और राष्ट्रों की परिषद अपने अपने मकान के डिप्युटियों की प्रामाणिकता की जाँच करने के निमित्त प्रमाण-पत्रों के देखने वाले कमीशनों के चुनाव करती है।

इन प्रमाण-पत्रों को देखने वाले कमीशनों के प्रतिनिधित्व पर सुप्रीम काउन्सिल के मकान इत बात का निर्वाह करते हैं कि भ्यक्तियुक्त डिप्युटियों के प्रमाण-पत्रों को मान्य जान या उनके चुनावों को रद्द कर दिया जाय।

धारा ५१—यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल, जब आवश्यकता समझती है, तब किसी भी विषय पर जाँच करने वाले और दिखाव का निरोक्षण करने वाले कमीशनों की नियुक्ति कर देती है।

समस्त संरचयों और अफसर इन कमीशनों की भौग को पूरा करने के लिये बाध्य है और उन्हें कमीशनों को आवश्यक चीजों और काम-जातों को पेश करना होता है।

धारा ५२—यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल के किसी डिप्युटी पर बिना यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की स्वीकृति के न तो अभियोग चलाया जा सकता है और न उसे बंदी बनाया जा सकता है। जब यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल का अभियोग न हो रहा हो तो यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम की सहमति लेनी होती है।

धारा ५३—यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अथवा अथनी अथपि के पूर्व सुप्रीम काउन्सिल के भंग हो जाने पर यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल को प्रैसीडियम उक्त समय तक तत्कारण रहती है जब तक कि यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल की प्रैसीडियम का नया चुनाव न हो जाय।

धारा ५४—जब यू. एच. एस. आर. की सुप्रीम काउन्सिल

की तथा समाप्त हो जाती है अथवा अर्ध-वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही यह मंग कर दी जाती है तो यू० एच० एस० आर० की सुप्रीम अडमिनिस्ट्रेशन को प्रैसीडियम यू० एस० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की तथा समाप्त होने अथवा उसके मंग होने के अधिक से अधिक दो माह के भीतर नये चुनाव कराती है।

धारा १३—यू० एच० एच० आर० की अन्व-निर्वाचित सुप्रीम काउन्सिल को यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल की पुरानी प्रैसीडियम अधिक से अधिक चुनाव के एक माह के भीतर बुलाती है।

धारा ५३—यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल अपने दोनों सक्तों की संयुक्त बैठक में यू० एच० एस० आर० की सरकार—यू० एच० एस० आर० की पीपुल्स कमीटियों की काउन्सिल का निर्माण कराती है।

चौथा अध्याय

संघ के प्रजातन्त्रों को राजसत्ता के सर्वोच्च विभाग

धारा ५७—संघ के प्रजातन्त्र की राजसत्ता का सर्वोच्च विभाग संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल है।

धारा ५८—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र के अन्दरिचे द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है।

प्रतिनिधित्व का अनुपात संघ के प्रजातन्त्रों के शासन विधान निर्दिष्ट करते हैं।

धारा ५९—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल प्रजातन्त्र का एकमात्र कानूनशाखा विभाग है।

धारा ६०—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल—

(क) प्रजातन्त्र का शासन-विधान बनाती है और यू० एच० एस० आर० के शासन विधान की... धारा १६ के अनुसार इसे बंधोचित करती है ;

(क) उन सब मुक्तार प्रजातन्त्रों के जो उनके क्षेत्र में हैं शासन-विधानों पर अन्तिम स्वीकृति देती है और उनके क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है ;

(ग) प्रजातन्त्र की राष्ट्रीय आर्थिक योजना और बजट पर वह मति देती है ,

(घ) सब के प्रजातन्त्रों के न्यायालयों द्वारा दिए गए दायों में क्षम रिहाई और क्षम-प्रदान के अधिकार का उपयोग करती है ।

धारा ६१—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम की चुनती है जिसमें एक संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का चेयरमैन, उसके सरकारी और संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के सदस्य होते हैं ।

संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम के अधिकार संघ के प्रजातन्त्र का शासन विधान निश्चित करता है ।

धारा ६२—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल अपनी बैठकों का काम चलाने के लिए अपना चेयरमैन और उसके सरकारी नियुक्त करती है ।

धारा ६३—संघ के प्रजातन्त्र की सुप्रीम काउन्सिल संघ के प्रजातन्त्र को सरकार को संघ के प्रजातन्त्र की पीपुल कमोन्सों की काउन्सिल संगठित करती है ।

पाँचवाँ अध्याय

सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ का शासन के अंग

धारा ६४—सोवियत सोशलिस्ट प्रजातन्त्रों के संघ को सर्वोच्च शासन और प्रमुख विभाग की राज्यसत्ता सू० एल० एल० धार० की पीपुल कमोन्सों की काउन्सिल में निहित है ।

धारा ६५—सू० एल० एल० धार० की सुप्रीम काउन्सिल की पीपुल कमोन्सों की काउन्सिल उसके प्रति उत्तरदायी है ।

धारा ६६—यू० एच० एच० आर० की पीपुल्स कमिटीयों को काठस्थित कानूनों के अन्तर्गत और उनको वास्तविक रूप से पूरा करने के लिए निर्वाहों और आकाश्यों को निश्चलती हैं और उनही समीक्षा पर निबन्धन करती है ।

धारा ६७—यू० एच० एच० आर० की पीपुल्स कमिटीयों की काठस्थित के निर्वाहों और आकाश्यों को मानना अनिवार्य है और यू० एच० एच० आर० के समस्त क्षेत्र में उनका पालन होना चाहिए ।

धारा ६८—यू० एच० एच० आर० की पीपुल्स कमिटीयों की काठस्थित—

(क) यू० एच० एच० आर० के संघ की और संघ के प्रजातंत्रों की पीपुल्स कमिटीयों और अपनी सत्ता के अन्तर्गत आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के काम का संवाहान और एकीकरण करती है ।

(ख) राज्य के बजट और राष्ट्रीय आर्थिक योजना को पूरा करने के लिए और मुद्रा तथा उधार व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए क्रम ठठा सकती है ;

(ग) धार्मिक शक्ति स्थापित करने के लिए, राज्य के हितों की रक्षा के लिए और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए क्रम ठठा सकती है ;

(घ) विदेशी राज्यों के साथ संबंधों को आम निर्देश देती है ;

(ङ) यह निश्चित करती है कि प्रतिवर्ष बिजने नागरिक सक्रिय ऐनिक सेवा के लिए जुलाए जाते हैं और देश की संरक्षण क्षेत्रों को आम देखभाल और मलाई का ध्यान रखती है ।

धारा ६९—यू० एच० एच० आर० की पीपुल्स कमिटीयों की काठस्थित को यू० एच० एच० आर० के अधिकार-क्षेत्र की समस्त शासन और आर्थिक शाखाओं और संघ के प्रजातंत्रों की पीपुल्स कमिटीयों की काठस्थित के निर्वाहों और आकाश्यों को मंजूर करने और यू० एच० एच० आर० की पीपुल्स कमिटीयों की आकाश्यों और निर्देशों को रद्द करने का अधिकार है ।

धारा ७०—यू० एच० एच० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल में जो यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई जाती है, निम्नलिखित सदस्य होते हैं —

यू० एच० एच० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल का चेयरमैन ;

यू० एच० एच० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल का वाइस-चेयरमैन ;

यू० एच० एच० आर० की 'स्टेट प्लानिंग कमीशन' का चेयरमैन ,
'ओरियण्ट इंस्टीट्यूट कमीशन' का चेयरमैन ,

यू० एच० एच० आर० के वीपुस्त कमीतार ,
कृषि के उन्नयन को त्वरित करनेवाली कमेटी के चेयरमैन ;
उच्च शिक्षा की कमेटी का चेयरमैन ।

धारा ७१—यू० एच० एच० आर० की सरकार अर्थात् वीपुस्त कमीतारों से सुप्रीम काउन्सिल के डिप्युटी चीफ़ प्ररन करे तो उन्हें समा में उक्तका मौखिक अथवा लिखित उत्तर अधिक से अधिक तीन दिन में देना पड़ता है ।

धारा ७२—यू० एच० एच० आर० के वीपुस्त कमीतार यू० एच० एच० आर० की सत्ता के अंतर्गत आने वाले शासन की सभी शाखाओं का निर्देशन करते हैं ।

धारा ७३—यू० एच० एच० आर० के वीपुस्त कमीतार अपने वीपुस्त कमन्सियर के क्षेत्र की सीमा में कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिये आजायें और निर्देशों को जारी करते हैं । साथ ही साथ वे यू० एच० एच० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल के निर्णयों और आशाओं को भी लागू करते हैं और यह देखते हैं कि उन्हें पूरा किया जाता है ।

धारा ७४—यू० एच० एच० आर० के वीपुस्त कमन्सियरों का तो संघ के हैं अथवा संघ के प्रजासंघों के ।

धारा ७५—संघ की वीपुस्त कमन्सियरों यू० एच० एच० आर० के समस्त क्षेत्र में शासन की शाखाओं का प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके द्वारा बनाये गये संगठनों द्वारा निर्देशन करती हैं ।

धारा ७६—संप के प्रजातंत्र की पीपुस्त कमसरियतों उनके अंतर्गत शासन की शाखाओं का उची नाम की संप के प्रजातंत्रों की पीपुस्त कमसरियतों के द्वारा निर्देशन करती हैं ।

धारा ७७—संप की पीपुस्त कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुस्त कमसरियतें हैं :—

रक्षा ;

विदेशी मामले ,

विदेशी व्यापार ;

रेलें ;

संदेश के वाहन ;

बख्त-यातायात ,

बड़े उद्योग-धंधे ।

धारा ७८—संप के प्रजातंत्र की पीपुस्त कमसरियतों में निम्नलिखित पीपुस्त कमसरियतें हैं —

मोहन संबंधी उद्योग का ,

प्रकाश संबंधी उद्योग का ;

सफ़ाई उद्योग का ,

कृषि का ;

राज्य के अनाज और पशु कामों का ,

राजस्व का ,

एह-व्यापार का ,

एह-विनाय का ,

म्याम का ,

स्वास्थ्य का ।

अध्याय छठा

संघ के प्रजातंत्रों के शासन के ढंग

धारा ७१—संघ के प्रजातंत्र की सर्वोच्च शासन और प्रबंध के ढंग की राज्यसभा संघ के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल में निहित है।

धारा ८०—संघ के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल संघ के प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी और उसके निर्बंध में है।

धारा ८१—संघ के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल यू० एच० एच० आर० और संघ के प्रजातंत्र में लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरा करने के लिये आजाधों और निर्यातों को निकालते हैं। साथ ही वे यू० एच० एच० आर० की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल के निर्णयों और आजाधों को भी पूरा करते हैं और उनकी समीक्षा का निर्बंध करती है।

धारा ८२—संघ के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल छुटमुक्तार प्रजातंत्रों की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल की आजाधों तथा निर्यातों को मंजूर करने का अधिकार रखता है और जम कीवियों के डिपुटियों के प्रदेरों, प्रांतों, छुटमुक्तार प्रांतों की लोकियतों की कार्य कारिणी समितियों के निर्णयों और आजाधों को रद्द कर सकती है।

धारा ८३—संघ के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल में जो संघ के प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा बनाई जाती है निम्न लिखित सदस्य होते हैं —

संघ के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीतारों की काउन्सिल का चेयरमैन ;

भारत-चेयरमैन ,

'स्टेट ज़ारिंग कमीशन' का चेयरमैन ;

वीपुस्त कमीतार —

मोजन संबंधी उद्योग का ;

प्रकाश संबंधी उद्योग का ;

बच्चों उद्योग का,
 कृषि का;
 राज्य के अमानत और पशु कार्यों का;
 राजस्व का,
 यह व्यापार का;
 यह विमाय का;
 न्याय का;
 स्वास्थ्य का;
 शिक्षा का,
 स्थानीय उद्योग का,
 समुदाय की आर्थिक व्यवस्था का;
 सामाजिक मजदूरी के कामों का;
 कृषि के उत्पादनों की सही संबंधी कमीशन का एक प्रतिनिधि,
 कच्चा के प्रबन्ध का प्रबन्ध,
 संघ के पीपुल्स कमन्सिबल के प्रतिनिधि-सदस्य।

धारा ८४—संघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीशन संघ के प्रजातंत्र की शासन-व्यवस्था के अंतर्गत समस्त क्षेत्र में शासन की शाखाओं का प्रबन्ध करते हैं।

धारा ८५—संघ के प्रजातंत्र के पीपुल्स कमीशन अपने अपने पीपुल्स कमन्सिबल के अधिकार-क्षेत्र की सीमा, में सू० एल० एच० धार० और संघ के प्रजातंत्र के कमूनों के अंतर्गत और उन्हें पूरी तरह लागू करने के सिने तथा सू० एल० एल० धार० की और संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमीशन की आठमिलन की आभाओं और निर्देशों को पूरा करने और लागू करने के लिए आजाओं और निर्देशों को दे सकती है।

धारा ८६—संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्सिबलें या तो संघ प्रजातंत्र की हैं अथवा प्रजातंत्र की हैं।

धारा ८७—संघ-प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्सिबलें राज्य के उच्च भाग का प्रबन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं। वे संघ के प्रजातंत्र की पीपुल्स कमन्सिबलें की आठमिलन और उठी प्रकार की सू० एल० एल० धार० की पीपुल्स कमन्सिबलें के माद्वत होती हैं।

धारा ८८—प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीसियों राज्य के शासन के उस माय का प्रबन्ध करती हैं जो उनके अधिकार में हैं। वे सीपी तथा के प्रजातंत्र की वीपुस्त कमीसियों की काउन्सिल के मातहत होती हैं।

अध्याय सातवाँ

सुदमुक्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्यसत्ता के सर्वोच्च अंग

धारा ८९—सुदमुक्तार प्रजातंत्र की राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग सुदमुक्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की सुप्रीम काउन्सिल होती है।

धारा ९०—सुदमुक्तार प्रजातंत्र सुप्रीम काउन्सिल उस प्रजातंत्र के मामलों द्वारा सुदमुक्तार प्रजातंत्र के शासन विधान द्वारा निश्चित अनुपात के अनुसार चार वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा ९१—सुदमुक्तार प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल सुदमुक्तार सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक मात्र कानून बनाने वाला विभाग है।

धारा ९२ - प्रत्येक सुदमुक्तार प्रजातंत्र का अपना शासन-विधान है जो सुदमुक्तार प्रजातंत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखता है और संघ के प्रजातंत्र के शासन-विधान की अनुकूलता में बनाया जाता है।

धारा ९३—सुदमुक्तार प्रजातंत्र की सुप्रीम काउन्सिल की प्रेसीडियम का चुनाव करती है और सुदमुक्तार प्रजातंत्र के शासन-विधान के अनुसार एक वीपुस्त कमीसियों की काउन्सिल बनाती है।

अध्याय आठवाँ

राज्यसभा के स्थानीय अंग

भारत २४—सेनों, प्रान्तों, ज़रमुक़्तार प्रांतों, प्रदेशों, जिल्लों, शहरों और गांवों (स्टेडीस्ताट, क्लोर्त्, किरतकत, कोम्स) में राज्यसभा के अंग नम बीबियों के विपुटियों के लोबित है ।

धारा २५—नम बीबियों के विपुटियों की लोबितों, सेनों, प्रांतों ज़रमुक़्तार प्रांतों, प्रदेशों, जिल्लों, शहरों और गांवों में नागरिकों द्वारा अपने अपने सेनों प्रांतों, ज़रमुक़्तार प्रान्तों प्रदेशों जिल्लों, शहरों और गांवों से दो वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा २६—नम बीबियों के विपुटियों की लोबितों में प्रवि-
निमित्त का अनुपात संघ के प्रजातंत्रों के शासन-विधान निर्धारित करते हैं ।

धारा २७—नमबीबियों के विपुटियों की लोबितों उन शासन के विभागों के कार्यों की देखभाल करती हैं जो उनके मतहत हैं । वे राज्य में शांति बनाये रखने, कानूनों का पालन कराने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने, स्थानीय आर्थिक और सांस्कृतिक निर्माण का कार्य और स्वाधीन बन्द बनाने का कार्य करती हैं ।

धारा २८—नमबीबियों के विपुटियों की लोबितों यू० एच० एच० आर० और संघ के प्रजातंत्र के कानूनों द्वारा निर्धारित राज्यसभा की सीमा के अंतर्गत निर्धारित करती हैं और आचार्ये निष्काली हैं ।

धारा २९—सेनों, प्रांतों, ज़रमुक़्तार प्रांतों, प्रदेशों, जिल्लों और शहरों, की नमबीबियों के विपुटियों की लोबितों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले विभाग उनके द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी समितियों होती हैं जिनमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और सदस्य होते हैं ।

धारा ३०—छोटे स्थानों में नमबीबियों के विपुटियों की काम लोबितों के शासन और प्रबन्ध का काम करने वाले अंग, संघ के प्रजातंत्रों के शासन-विधानों के अनुसार, एक चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्य होते हैं ।

धारा १०१—ममजीवियों के डिपुटियों की छविगतों के कार्य-कारिणी विभाग ममजीवियों के डिपुटियों की छविगतों के प्रति जो उर्गें जुनती हैं और याव ही मम जीवियों के डिपुटियों की ऊंची छविगत के कार्यकारिणी विभाग के प्रति छीमे उचरदायी होते हैं ।

अध्याय नवाँ

न्यायालय और अभियोग

धारा १०२—यू० एच० एच० आर० में निम्नलिखित न्यायालय हैं—यू० एच० एच० आर० का सुप्रीम कोर्ट, संप के प्रजासत्ताओं का सुप्रीम कोर्ट, प्रादेशिक और प्रांतीय न्यायालय, हुए मुकदार प्रांतों के न्यायालय, यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल के निर्माण से स्थापित यू० एच० एच० आर० के विशेष न्यायालय, और अनन्यायालय न्याय करने के लिये ।

धारा १०३—इन समस्त न्यायालयों में कानून द्वारा विशेषतया बतवाए गये मामलों के अतिरिक्त अन्य अभियोगों की सुनवाई बनता के सहाकारी न्यायाधीशों की सहायता से होती है ।

धारा १०४—यू० एच० एच० आर० का सुप्रीम कोर्ट सर्वोप न्याय विभाग है इसके सुपुर्न यू० एच० एच० आर० और संप के प्रजासत्ताओं के समस्त न्याय विभागों की कार्यवाही का नियंत्रण है ।

धारा १०५—यू० एच० एच० आर० का सुप्रीम कोर्ट और यू० एच० एच० आर० के विशेष न्यायालय यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा पाँच वर्ष के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०६—संप के प्रजासत्ताओं के सुप्रीम कोर्ट संप के प्रजासत्ताओं की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०७—प्रत्येक प्रजासत्ताओं के सुप्रीम कोर्ट उन प्रजासत्ताओं की सुप्रीम काउन्सिलों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं ।

धारा १०८—प्रादेशिक और प्रांतीय न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायालय अमलीयों के विपुटियों की प्रादेशिक और प्रांतीय कोषियों और उच्चतम न्यायालय के अमलीयों के विपुटियों की कोषियों द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा १०९—जन-न्यायालय जिले के मायिकों द्वारा प्रत्यक्ष, आम, समान, महाधिकार के आधार पर गुप्त मत से तीन वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

धारा ११०—न्यायालयों की कार्यवाही संघ अथवा उच्चतम न्यायालय प्रशासन अथवा उच्चतम न्यायालय की भाषा में होती है। जो व्यक्ति इस भाषा को नहीं जानते उन्हें मुकद्दमे की तमाम बातों के जानने का अवसर एक अनुवादक के माध्यम दिया जाता है और उसे न्यायालय के सामने अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है।

धारा १११—यू० एच० एच० आर० के समस्त न्यायालयों में केवल कानून द्वारा निर्धारित मामलों के अतिरिक्त मुन्वाई मुझे आम होती है और अभियोगी के उद्धार का अधिकार सुरक्षित है।

धारा ११२—स्वाधीन स्वतन्त्र है और केवल कानूनों के मातहत है।

धारा ११३—यू० एच० एच० आर० में समस्त पीपुल्स कमिश्नरों, और उनके मातहत संस्थाओं, साथ ही उनके पर नियुक्त व्यक्तियों और नायिकों द्वारा कानूनों के मधोचित पाठन की उन्नोच बेसमाप्त यू० एच० एच० आर० के सरकारी बकील के शब्द में है।

धारा ११४—यू० एच० एच० आर० का सरकारी बकील यू० एच० एच० आर० की सुप्रीम काउन्सिल द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये चुना जाता है।

धारा ११५—यू० एच० एच० आर० के सरकारी बकील द्वारा प्रशासनो प्रदेशों और प्रांतों के सरकारी अभिवोध्य और साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सरकारी बकील पांच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

धारा ११६—जिले के सरकारी बकील संघ के प्रशासनो के सर

कारी बकीलों द्वारा यू० एच० एच० आर० के सरकारी बकील की सहमति से पाँच वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं ।

धारा ११७—अभियोग लगाने वाले विभाग अपने कार्य समस्त स्थानीय विभागों से अत्यन्त स्वतन्त्रतापूर्वक करते हैं और केवल यू० एच० एच० आर० के सरकारी बकील के प्रति उत्तरदायी होते हैं ।

अध्याय दसवाँ

नागरिकों के मूल अधिकार और उत्तरदायित्व

धारा ११८—यू० एच० एच० आर० के नागरिकों को काम करने का अधिकार है—उन्हें अपने काम के लिये उसके परिमाण और गुणों के अनुसार बेतन उचित मारपटीयुदा काम पाने का अधिकार है ।

काम करने का यह अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के समन्वयकारी संगठन से, सीमित समान की उगावक शक्तियों के निरन्तर विकास से, आर्थिक संकटों के अभाव से और बेकारी अन्त कर देने से सुरक्षित है ।

धारा ११९—यू० एच० एच० आर० के नागरिकों को आराम करने का अधिकार है ।

आराम करने का यह अधिकार मजदूरों के एक बहुत बड़े बहुमत के लिये काम का समय परा कर तात फटे प्रति दिन कर देने से मजदूरों और नौकरों के लिये उचित आर्थिक सुविधों का प्रबन्ध करने से और मजदूरियों को रहने के लिये देश में स्वास्थ्य-शरीर, आराम-शरीर और हठों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा देने से सुरक्षित है ।

धारा १२ - यू० एच० एच० आर० के नागरिकों को वृद्धावस्था में बीमारों में और कार्य के लिये अक्षम हो जाने की हासत में मौखिक रक्षा (बीमा) पाने का अधिकार है ।

यह अधिकार मजदूरों और नौकरों के लिये राज्य के सर्वे सर

सामाजिक बीमा के विस्तृत विकास से निःशुल्क डाक्टरी सहायता के प्रबन्ध से और अमञ्जीबियों के लिये स्वास्थ्य-ग्रहों के एक बड़े जाल बिछा देने से सुसज्जित है।

धारा १२१—बू० एच० एच० आर० के मायरीकों को शिक्षा पन्ने का अधिकार है।

इस अधिकार को सुसज्जित करने के लिये निःशुल्क, साम, अन्विवर्ष प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है, जिनके स्कूलों में छात्रों के एक बहुत बड़े बहुमत के लिये राख की ओर से बच्चीके की व्यवस्था है; स्कूलों में मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है और कारखानों, राख के सेठों, मशीन और टू फट्टों के स्टेशनों और सम्बन्धित सेठों पर काम करने वालों के लिये निःशुल्क औद्योगिक टैक्नीकल और प्रामोद्य अर्थशास्त्र का प्रबन्ध है।

धारा १२२—यू० एच० एच० आर० में नारियों को पुस्कों के साथ समस्त राख के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है।

नारियों को इन अधिकारों के उपयोग के अन्वित देने के लिये उन्हें पुस्कों के साथ अन्वित काम करने, आराम करने, सामाजिक बीमा, शिक्षा के अधिकार लिये गये हैं। साथ ही राख की ओर से माँ तथा बच्चे के हित की रक्षा का प्रबन्ध है, मातृत्व के समय अन्वित लुई का प्रबन्ध है और प्रवृत्ति-ग्रहों, शिक्षा-ग्रहों और किडर मार्टनों के जाल बिछा दिये गये हैं।

धारा १२३—अन्वित और राष्ट्रीयता का बिना भेदभाव लिये यू० एच० एच० आर० के मायरीकों के अधिकारों की राख के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में समानता एक दुनियावी कानून है।

कोई भी लीये या अन्वित रूप से इन अधिकारों में कमी, अन्वित अन्वित और अन्वित या राष्ट्रीयता के आन्वित पर किन्हीं मायरीकों को ही गये प्रबन्ध अन्वित अन्वित अन्वित और साथ ही, अन्वित अन्वित राष्ट्रीय बिरोधता या अन्वित और अन्वित का प्रन्वित कानून अन्वित अन्वित अन्वित है।

धारा ११४—नागरिकों को ग्रामा-संबन्धी स्वतंत्रता देने के लिये यू० एच० एच० आर० में वर्ध का राज्य से और स्कूल का वर्ध से पूर्ण संबन्ध विच्छेद कर दिया गया है। धार्मिक कृत्यों को करने की स्वतंत्रता और वर्ध के शिरोष में प्रचार करने की स्वतंत्रता अब नागरिकों को है।

धारा ११५—भ्रम जीवियों के हित में समाजवादी व्यवस्था को हट करने के निमित्त, यू एच एच० आर० के नागरिकों को निम्न गारंटियों प्राप्त हैं।

(क) भाषण स्वतंत्रता;

(ख) प्रेस की स्वतंत्रता;

(ग) समुदाय बनाने और समा करने की स्वतंत्रता;

(घ) बाजार में मुक्त निष्काशन और प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता।

नागरिकों को ये अधिकार मजदूरियों और उनके संगठनों को प्रेस, काण्ड, तार्किक भव्य, बाजार संदेश के साधन और उन्हें प्राप्त करने के लिये आवश्यक अन्य मौखिक साधनों को लेकर सुरक्षित किये गये हैं।

धारा ११६—भ्रम जीवियों के हित में और जनता के राजकीय कर्तव्यों और विचारों के संगठन के लिये, यू० एच० एच० आर० के नागरिकों को धार्मिक संगठन बनाने, मजदूर समारोह, सहायिता समितियाँ, युवक संघटन, जेल-कूट और रक्षा संगठन सांस्कृतिक, टेक्नीकल और वैज्ञानिक सोसाटियों लोचने का अधिकार है और मजदूरों और भ्रम जीवियों के अन्य वर्गों के सबसे अधिक सक्रिय और कर्तव्य पराध नागरिकों को यू० एच० एच० आर० की कन्सुल्ट पार्सी में सम्मिलित होने का अधिकार है। कन्सुल्ट पार्टी भ्रम जीवियों के समाजवादी व्यवस्था को विकसित और हट बनाने के संपर्क में समथी है और भ्रम जीवियों के समस्त धार्मिक और राज्य के संगठनों के उच्चतम तहों का प्रतिनिधित्व करती है।

धारा ११७—यू एच० एच० आर० के नागरिकों के शरीर की सुरक्षा की गारंटी है। किसी भी नागरिक को बिना म्यायालय के निर्वच के अथवा राज्य के अधिपोस्ता की अनुमति के बन्दी नहीं बनाया जा सकता।

धारा १२८—कानून द्वारा नागरिकों के घरों में प्रवेश निषिद्ध है और कानून पत्र-व्यवहार की गोपनीयता की रक्षा करता है।

धारा १२९—यू० एच० एच० आर० उन समस्त विदेशी नागरिकों को आश्रय देता है जो भ्रमजीवियों के हितों की रक्षा के अथवा अपने वैज्ञानिक कर्मों के कारण अथवा अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संरक्षण में भाग लेने के कारण तय किये जाते हैं।

धारा १३ —यू० एच० एच० आर० के प्रत्येक नागरिक को लोबितत लोकहित प्रवर्तकों के साथ के शासन विधान को मानना होता है कानूनों का पालन करना होता है, अम-अनुशासन मानकर चलना होता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और समाजवादी समुदाय के नियम मानकर चलना होता है।

धारा १३१—यू० एच० एच० आर० के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा और ठठकी स्थिति बढ़ करनी होती है क्योंकि वह समाजवादी व्यवस्था को पवित्र नीति है, पितृभूमि के धन और शक्ति का स्रोत है, और समस्त अम-जीवियों के समृद्धि शक्ती सांस्कृतिक जीवन की कुञ्जी है। वे व्यक्ति जो सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं, कनता के दुरमन हैं।

धारा १३२—ग्राम सैनिक सेवा का नियम है। मजदूरों और किसानों की सशस्त्र सेना में सेवा यू० एच० एच० आर० के नागरिकों का सम्माननीय कर्तव्य है।

धारा १३३—पितृ भूमि की रक्षा करना यू० एच० एच० आर० के प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है। पितृभूमि के प्रति द्रोह, शपथ को तोड़ना, दुरमन से मिल जाना, राज्य की सैनिक शक्ति को हानि पहुँचाना किसी विदेशी राज्य के लिये आतंकी करना घोरतम अपराध है और इनके लिये कानून में निर्धारित बका से बका दण्ड दिया जा सकता है।

अध्याय ग्यारहवाँ

चुनाव परिपाटी

धारा ११४—भम जीवियों के डिपुटियों की समस्त लोचियतों में, यू एल एल० आर० को सुपीम काउन्सिल में, संप द प्रजातनों की सुपीम काउन्सिल में, भम जीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक और प्रांतीय लोचियतों में लुरमुठार प्रजातनों की सुपीम काउन्सिल में, भमजीवियों के डिपुटियों की प्रादेशिक, ज़िबा, शहर और ग्राम लोचियतों में मठरलाओं द्वारा ध्यान, समान, प्रायश्च मताधिकार के आधार पर गुन मठ से चुनाव होता है।

धारा ११५—डिपुटियों के ग्राम चुनाव होते हैं। यू एल० एल० आर० के समस्त नागरिकों को जो चुनाव के वर्ष में १८ वर्ष की आयु के हो जाते हैं डिपुटियों के चुनाव में मत देने और चुने जाने का अधिकार है। बिरुद मन्त्रिक बाने व्यक्ति और ग्यायालयों द्वारा मताधिकार से स्पुत व्यक्ति इत संबंध में धाजार हैं।

धारा ११६—डिपुटियों के चुनाव में बराबर मताधिकार होता है : प्रत्येक नागरिक को चुनने और चुने जाने का अपनी जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, शिक्षा-संबंधी योग्यता, उसके सम्मानिक जन्म, सम्मति संबंधी स्थिति और पुराने कार्य के गारहूद मी अधिकार हैं।

धारा ११७—नारियों को पुरुषों के साथ चुनने और चुने जाने के समान अधिकार हैं।

धारा ११८—साथ सेना में सेवा करने वाले नागरिकों को ग्राम्य नागरिकों के समान ही चुनने और चुने जाने के समान अधिकार हैं।

धारा ११९—डिपुटियों के चुनाव प्रायश्च होते हैं, ग्राम और शहरों की भमजीवियों के डिपुटियों की लोचियतों से लेकर यू० एल० एल० आर० की सुपीम काउन्सिल तक के चुनाव नागरिकों द्वारा लीये किये जाते हैं।

धारा १४—डिपुटियों के चुनाव में गुन मठ-मदान होता है।

धारा १४१—जम्मेदारों को निर्वाचित लोगों म लका दिया जाता है।

उम्मेदबारी को सजा करने का अधिकार सभी सामाजिक सरपत्यों और भ्रमजीवियों की लोहाइतियों को है, कम्युनिस्ट पार्टी संगठनों को, मजदूर समाजों को, सहकारिता समितियों को, युवक-बलों को और सांस्कृतिक समुदायों को।

धारा १४२—प्रत्येक डिपुटी को अपने कार्य का लेला और भ्रमजीवियों के डिपुटियों की सोवियत के कार्य का निवरण मतदाताओं को देना होता है, उसे किसी भी समय कानून में निर्धारित पद्धति से मतदाताओं के बहुमत द्वारा वापिस बुलाया जा सकता है।

अध्याय चारहवाँ

बिह, ध्वजा, रामधानी

धारा १४३—सोवियत सोरसिस्ट प्रजातंत्रों के संघ का राज्य बिह त्रिरणों के सिम्ब पर बना हुआ, हँसिया और हथोका है और उसे चारों ओर से भ्रम की बालों घेरे हुए है। इसके साथ संघ के प्रजातंत्रों को माथाओं में लिखा रहता है "दुनिया के मजदूरों, एक हो!" इस बिह के ऊपर पौंच मोक बस्ता तारा रहता है।

धारा १४४—सोवियत सोरसिस्ट प्रजातंत्रों के संघ की राज्य-पञ्चासाल कपड़े पर बरब के पास ऊपरी सिरे पर सुन्दरले रंग में हँसिया और हथोका बना रहता है और उनके ऊपर सुन्दरले रंग के केनारे बस्ता एक पौंच नोक का साज तारा रहता है। लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात १ और २ है का रहता है।

धारा १४५—सोवियत सोरसिस्ट प्रजातंत्रों के संघ की रामधानी वैसिचो है।

